मंगलवार,
१७ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, १७ फ़रवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ईरानी प्रेस प्रतिनिधिमण्डल

*९२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे कि क्या पांच ईरानी समाचारपत्र सम्पादकों का दल, जो भारत आया है, भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां ।

डा० राम सूभगसिंह : क्या सरकार द्वारा भारत-ईरानी सम्बन्धों को बढ़ाने के हेतु ईरान को भारतीय समाचारों के उपयुक्त परिषण, तथा विलोभत:, के प्रबन्ध के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह विषय दूसरे पक्ष के उठाने का है यदि वे अभिरुचि रखते हैं तो । हम लोग अपने लोगों को कहीं भी बलात् नहीं ठूंस सकते ।

भाखरा–नांगल योजना

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **सिंचाई तथा शक्ति** मंत्री कृपाकर बतलायेंग :

(क) क्या भाखरा-नांगल कर्मशाला के कुछ ठेकेदारों पर सरकारी निधि के दुरुपयोग का आरोप है;

(ख) यदि ऐसा है तो कितना धन गबन करने का उन पर आरोप है और किन परिस्थितियों में; और

(ग) क्या इस विषय में पुलिस ने कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा शक्ति के उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग)। अन्तर्ग्रस्त राशि का अभी पता नहीं है । मामले राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसन्धान के अधीन हैं ।

श्रीमती रणु चक्रवर्ती : :क्या मैं जान सकती हूं कि इस गबन में किन्हीं पदाधिकारियों का भी हाथ रहा है ?

श्री हाथी : हो सकता है । हम लोग अभी तक किसी खास पदाधिकारी को ढूंढ निकालने में समर्थ नहीं हुए हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इन पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या वे निलम्बित कर दिए गए हैं ?

श्री हाथी : विषय अभी अनुसन्धान के आधीन है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह धन सम्बन्धित विभाग द्वारा काम के निरीक्षित हो जाने के बाद लिया गया है ?

श्री हाथी : स्वभावत: यह धन बिलों के स्वीकृत हो जाने के बाद दिया गया था ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सन्देह करने के लिए, कि कुछ पदाधिकारी भी इन अवैध सौदों में अन्तर्ग्रस्त थे, कुछ आधार है ?

श्री हाथी : कदाचित् विषय अभी भी अनुसन्धान के आधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि जांच कब पूरी हो जायेगी ?

श्री हाथी : प्रथम सूचना केवल दिसम्बर में प्राप्त हुई थी । अभी कुछ और हफ्ते लग सकते हैं ।

श्री ए० एम० टामस—क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मजुमदार समिति, जिसने हीराकुद योजना में जांच की थी, के द्वारा सिपारिश की गई आर्थिक नियन्त्रण के हिसाब किताब करने और प्रक्रिया सम्बन्धी पुनरावृत्ति प्रक्रिया के पुर:स्थापन का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : यह भाखरा-नांगल योजना के सम्बन्ध में है और इस पर विचार करना पंजाब सरकार का कार्य है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कितने ठेकेदार अन्तर्ग्रस्त हैं और क्या यह संविदा लेने के पूर्व उन्होंने कोई बयाना जमा किया था ?

श्री हाथी : उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान ठेकेदारों की संख्या दो है । सम्पूण अनुसन्धान समाप्त हो जाने पर और सूचना उपलब्ध हो सकती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य योजनाओं के समान इस योजना के प्राक्कलन भी इस गबन के फल-स्वरूप बढ़ जायेंगे ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि इसकी इस प्रश्न के साथ कोई सुसंगति नहीं है ।

श्री ए० वी० टामस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार की योजनाओं के हेतु पुनरावृत्त प्रक्रिया इस योजना में भी पुर:स्थापित नहीं की जायेगी ?

श्री हाथी : इस का सम्बन्ध भाखर नियन्त्रण बोर्ड से है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्येक योजना को कार्यान्वित करने में एक गबन होता है ?

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाखरा नांगल योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों में खोज करने के हेतु एक खोज समिति नियुक्त की गई है ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

श्री के० के० बसु : केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए एक बड़ी धन राशि अंशदान करती है । क्या हिसाब किताब इत्यादि पर उनका कोई नियन्त्रण है ?

श्री हाथी : बोर्ड में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं ।

प्रव्रजन प्रमाणपत्रों का निर्गमन

***९४. श्री बी० के० दास :** क्या प्रधान-मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) पूर्वी बंगाल से इच्छुक प्रव्रजकों को अब तक निर्गमित किए गए प्रव्रजन प्रमाणपत्रों की संख्या;

(ख) कितने दफ्तरों से प्रमाणपत्र निर्गमित किए जाते हैं; और

(ग) क्या किसी इच्छक प्रव्रजक को किसी दशा में पाकिस्तानी अधिकारियों को प्रव्रजक की हैसियत से अपनी सद्भावना के सम्बन्ध में संतुष्ट करना पड़ता है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ३१ जनवरी, १९५३ तक ६,७२५

(ख) पूर्वी बंगाल में केवल ढाका में भारत के उप-उच्चायुक्त के दफ्तर के द्वारा।

(ग) जी नहीं। अप्रैल १९५० के दिल्ली समझौते के आधीन प्रव्रजकों को गतिविधि स्वतंत्र्य समायुक्त है और इसलिए एक प्रव्रजक के लिए अपने उत्पत्ति के देश से प्रव्रजन के हेतु अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

श्री बी० के० दास : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी इच्छुक प्रव्रजक को इस देश को अपने इच्छित प्रव्रजन सम्बन्धी अपनी सद्भावना को प्रमाणित करना पड़ता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं। उस को वह नहीं प्रमाणित करना पड़ता किन्तु एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या न्याय से भागने वाले अपराधी इस प्रव्रजन से लाभ उठा सकते हैं। यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है और वह हमारी सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है। अतः प्रव्रजकों को कोई अनुज्ञा नहीं लेनी पड़ती।

श्री बी० के० दास : जैसे ही कोई इच्छुक प्रव्रजक एक प्रार्थनापत्र देता है, तब क्या अधिकारियों को उस के इस देश म आने के सम्बन्ध में उस की सद्भावना के बारे में अपने आप को संतुष्ट नहीं करना होता ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कौन से अधिकारीगण ?

श्री बी० के० दास: ढाका में जो अधिकारी हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : यह प्रश्न, कि क्या वह एक सद्भावपूर्ण प्रव्रजक है, उठता ही नहीं किन्तु यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या, वह किसी दूसरे प्रकार का अपराधी और प्रवज्रन के आवरण में नहीं है, वह उस का लाभ उठा सकता है। अतः उस को किस प्रकार पहचाना जाय और क्या किसी प्रकार की सूचना आवश्यक हो सकती है इस सम्बन्ध में प्रश्न पर विचार किया जा चुका है।

श्री बी० क० दास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ढाका में प्रमाणपत्र देने के लिए केवल एक ही दफ्तर है तथा और दफ्तर आवश्यक हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रश्न पर सम्मेलन के अन्तर्गत चर्चा हुई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस पर काफ़ी गहराई में चर्चा हुई थी और कुछ विषयों पर सोच विचार हो रहा है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि उस काल के अन्तर्गत जिन मुसलमान प्रव्रजकों ने प्रव्रजन प्रमाणपत्र लिए हैं उन की संख्या के बारे में क्या सरकार को कोई अनुमान है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम लोगों के पास आंकड़ों का फुटकर रूप नहीं है। कम से कम यहां वे मेरे पास नहीं हैं। हमारे पास उन व्यक्तियों की, जो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल अथवा पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए हैं, संख्या सम्बन्धी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आंकड़े हैं। वे हमारे पास हैं।

श्री ए० सी० गुहा : वह भी पारपत्र प्रणाली के बाद बंद हो गया। माननीय मंत्री ने इस ओर आने वाले हिन्दू प्रव्रजकों की

या बतलाईपर क्या इस ओर से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन प्रमाणपत्र लेने वाले मुसलमानों का भी कोई आंकड़ा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निस्सन्देह है। वह मेरे पास यहां पर नहीं है क्योंकि प्रश्न यह नहीं पूछा था किन्तु वास्तव में मैं ने कल ही उन मुसलमानों और हिन्दुओं के आंकड़े देखे थे जो पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल और विलोमतः सफर करते रहते हैं। वे आंकड़े हमारे पास हैं। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उन में से कौन प्रव्रजक है और कौन नहीं।

श्री ए० सी० गुहा : दोनों आंकड़ों के अनुपात सम्बन्धी उपसन्न विचार ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रव्रजकगण अथवा यात्रीगण ?

श्री ए० सी० गहा : प्रव्रजक गण।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं आप को पारपत्र युक्त यात्रियों आदि का अनुपात बता सकता हूं। स्वभावतः मुझे स्मरण शक्ति से बोलना पड़ रहा है। माननीय सदस्य को जान लेना चाहिए कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ऐसे लोगों की काफ़ी गण्य संख्या थी जो पारपत्र प्रणाली पुरःस्थापित होने के ठीक पहले पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल चले आये। काफ़ी संख्या विपरीत दिशा में भी गई। नवम्बर में आंकड़े लगभग सम थे लेकिन फिर भी पूर्वी बंगाल जाने वाले लोग अधिक थे। दिसम्बर में पूर्वी बंगाल जाने वाले लोग, हिन्दू और मुसलमान दोनों, कहीं अधिक थे और ऐसा ही जनवरी में भी था। पिछले दिसम्बर और जनवरी के दो महीनों में आंकड़े अनुमानतः लगभग ३० या ४० प्रतिशत अधिक पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल जाने वाले हिन्दुओं और मुसलमानों के होंगे।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यहां पर इच्छुक प्रव्रजकों को प्रमाणपत्र देने के कार्य को सुविधापूर्ण बनाने के हेतु कितने और दफ्तरों की आवश्यकता होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे वास्तव में नहीं मालूम है कि क्या कोई और कठिनाई पैदा हो गई है, मेरा मतलब है अपनी ओर से। दृष्टांक देने में कठिनाइयां रही हैं जो एक भिन्न वस्तु है। दोनों पक्ष दृष्टांक देने के लिए नए दफ्तरों को खोल रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं वे शर्तें जान सकता हूं जो कि एक इच्छुक उत्प्रवासी को उत्प्रवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के हेतु पूरी करनी पड़ती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कोई भी शर्तें आवश्यक नहीं हैं। उस को केवल हमारे उप-उच्चायुक्त को प्रार्थनापत्र देना पड़ता है और साधारण प्रकार से एक उत्प्रवासी प्रमाणपत्र दे दिया जायगा।

सिन्द्री फैक्टरी में उत्पादन

*९५. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या उत्पादन मंत्री कृपाकर बतलायेंगे :

(क) १९५२ के अन्त तक सिन्द्री खाद फैक्टरी में कुल उत्पादन;

(ख) उत्पादन का मूल्य और उस का विदेशी खाद के विशेषकर जापान की, मूल्य से किस प्रकार तुलना होती है; और

(ग) वह मूल्य जिस पर विभिन्न राज्यों के कृषकों को सिन्द्री की खाद दी जाती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १,७९,९६४ टन अमोनियम सल्फेट।

(ख) मुझे खेद है कि मैं उत्पादन मूल्य नहीं बता सकता क्योंकि यह एक गोपनीय

विषय है किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि ३१० रुपए प्रति टन का मूल्य, जिस पर सिन्द्री फर्टीलाइज़र्स तथा केमिकल्स लिमिटेड आजकल अपनी खाद केन्द्रीय खाद भंडार को दे रही है, लगभग सभी अन्य उत्पादक देशों में बिक्री मूल्य के अनुकूल तुलना में है। यह अभिनिश्चित कर लिया गया है कि जापान में आन्तरिक बिक्री मूल्य ३५० रुपये प्रति टन है जब कि साधारण निर्यात मूल्य ३३६ रुपए प्रति टन है।

(ग) सिन्द्री की खाद भिन्न मूल्य पर नहीं दी जाती वरन् वह ३१० रुपए प्रति टन के एकसम मूल्य पर भंडार को अंशदान की जाती है। वर्तमान भंडार मूल्य है ३३५ रुपये प्रति टन एफ० ओ० आर० भेजने का स्टेशन।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फैक्टरी के पास बड़ा स्टाक जमा है और यदि ऐसा है तो व्यवस्थापन का क्या साधन है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस मास की ७ को स्टाक लगभग ८०,००० टन के निकट था। बाद में स्टाक कम कर दिया गया है। ७ से बड़े पैमाने पर खाद का आवागमन शुरू हो गया है और वर्तमान स्टाक लगभग ७०,००० टन है। वितरण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय खाद भंडार के द्वारा होता है। उन को तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों तथा कुछ अन्य व्यवसायियों जैसे चाय बागीचे के लोग और कॉफी बोर्ड आदि से मांगें प्राप्त हो जाती हैं। वे उन मांगों को सिन्द्री खाद फैक्टरी को भेज देते हैं और इन बटवारों के आधार पर सिन्द्री खाद फैक्टरी भेजने का प्रबन्ध करती है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं इस अधिक मात्रा में जमा हो जाने के कारण जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : कारण अनेक हैं। दुर्भाग्यवश इस वर्ष और गत वर्ष के अन्त में विभिन्न राज्यों की और चाय बागीचों आदि की मांग पर्याप्त नहीं थी। चाय उद्योग में गतिरोध, कदाचित् कृषकों में क्रय शक्ति की कमी, उधार सुविधाओं की अपर्याप्तता, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ना, विशेषकर मद्रास और कुछ अन्य राज्यों में, इन सभी कारणों ने खाद के निकास में घटत में अंशदान दिया है। किन्तु इस खाद को लोकप्रिय बनाने के हेतु खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यवाहियां की गई हैं। हाल में वस्तुविनिमय के आधार पर खादों को देने का प्रस्ताव हुआ है अर्थात् खाद देकर चावल लेना। इस को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जब यह अन्तिम रूप प्राप्त कर लेगा तो यह आशा की जाती है कि हमारी आवश्यकताओं के लिए हमारे देश में पर्याप्त उत्पादन होगा।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि इस वर्ष हमने विदेश से भी अधिक मात्रा में खाद आयात की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस वर्ष इतना नहीं। गत वर्ष हमने लगभग दो लाख टन खाद आयात की थी। इस वर्ष हम लगभग एक लाख टन आयात करने का वचन दे चुके हैं। यह टी० सी० ए० के० साथ एक पूर्व प्रबन्ध के आधीन है। यह कोई नया प्रबन्ध नहीं है जिस में हम नए नए घुस रहे हों। पुराने प्रबन्ध के अनुसार हम को लगभग एक लाख टन इस वर्ष आयात करना ही है जिस में से लगभग २५ टन टी० सी० ए० के द्वारा आई है,—जापानी खाद। हम लोग यह देखने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या टी० सी० ए० की सहायता से हम इस खाद को जो हम आयात कर रहे हैं किसी अन्य वस्तु से प्रति स्थापित नहीं कर सकते। यह कहना कि क्या हम अपने उस प्रयत्न में सफल होंगे, अभी समय से बहुत पूर्व है।

श्री टी० एन० सिंह : इस तथ्य को देखते हुए कि सिन्द्री खाद फैक्टरी को १९५२ से भी पूर्व उत्पादन कार्य आरम्भ कर देना चाहिए था, क्या टी० सी० ए० के साथ समझौता करते समय इस बात का कुछ ध्यान रखा गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, अवश्य । योजना आयोग के अनुसार और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुसार हमारी खाद की खपत का अनुमान इस वर्ष ४५०,००० टन है जो १९५५-५६ में ६ लाख और अयुग्म टन हो जायेगा । सिन्द्री खाद फैक्टरी में उत्पादन केवल तीन लाख टन के निकट है, और अन्य स्वदेशी फैक्टरियों में लगभग ५०,००० या ६०,००० टन ।

श्रीमती ए० काले : आयात की गई खाद का प्रति टन मूल्य क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : आयात की हुई खाद का मूल्य बदलता रहता है । एक समय तटागत मूल्य ४८० रुपए प्रति टन था । बाद में कमी हुई और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य कम हो गया है । अब भी उस खाद का तटागत मूल्य, जो हम को विदेश से प्राप्त हो रही है, हमारे द्वारा निश्चित भंडार मूल्य से अधिक है, जापानी खाद के परेशण को छोड़कर जो हमें टी० सी० ए० के द्वारा प्राप्त हुआ है । वह विशेष परेषण हमारे हाथ २४० रुपये प्रति टन बेचा गया है । वह अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों के आधीन है । जापानी खाद हम को जिसे मैं "बलिदान मूल्य" कहूंगा उस पर क्यों उपलब्ध की गई है इसके अनेक कारण हैं ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खादों के मूल्य निश्चित करते समय सरकार कृषकों की क्रय शक्ति के महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका । क्या माननीय सदस्य प्रश्न को फिर से दुहरायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या मूल्य निश्चित करने में कृषकों की क्रय शक्ति पर भी विचार किया गया है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं कहूंगा—जी हां ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि गांधी निधि नामक संस्था के जो बम्बई के निकट बोरीविली में काम कर रही है कुछ कर्मचारियों ने कहा है कि सिन्द्री में उत्पादित अमोनियम सल्फेट उस प्रयोजन के लिए तनिक भी उपयोगी नहीं जिस के लिए वह अभिप्रेत है कि वह धान्य को जला देती है और यह कि वह केवल पत्ते वाले पौदों के सम्बन्ध में ही उपयोगी है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह खाद अनेक वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही है और यह सफल सिद्ध हुई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ ऐसी वैयक्तिक फर्म हैं जो खाद उत्पादित कर रही हैं और वहां उत्पादन का खर्च सिन्द्री में उत्पादन के मूल्य से बहुत कम है और यह भी कि वे सरकारी मूल्य से कम मूल्य उल्लिखित करती हैं ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि वह किस विषय में बात कर रहे हैं । केवल एक वैयक्तिक फैक्टरी ऐसी है जो आलवे में खाद उत्पादित कर रही है । उन का उत्पादन का खर्च कहीं अधिक है और इसलिए वे हमारे पास भंडार पुरःस्थापन के लिए आए हैं ताकि मूल्य

समायोजित हो सके। एक या दो लौह तथा इस्पात कर्मशालायें हैं जो उसे एक उप-उत्पाद की तौर पर उत्पादित कर रही हैं। वहां पर खर्च कुछ कम है क्योंकि वह मुख्य उत्पाद नहीं है।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या संविदा अपरावर्त्य तथा अधिबंधनीय है ?

श्री किदवई : कौन सा संविदा ?

उपाध्यक्ष महोदय : टी० सी० ए० के साथ।

श्री किदवई : टी० सी० ए० के द्वारा हमें यह मुफ्त मिलता है और हम उस को अस्वीकार कर सकते हैं। पर वास्तव में हमारी खपत जितनी आज है उस से कहीं अधिक होनी चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, इस वर्ष खपत के ४।। लाख टन हो जाने की हम लोग आशा कर रहे हैं। तब सिन्द्री उत्पादन और यह पर्याप्त हो जायगा। हम लोग इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस वर्ष खाद का प्रयोग उस सीमा तक बढ़ जाये जहां तक वह उपलब्ध हो।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं वह अन्तर जान सकता हूं जो उस मूल्य में जिस पर फैक्टरी भंडार को खाद देती है और जिस पर खेतिहर उस को लेते हैं उस मूल्य के बीच है ?

श्री किदवई : भंडार मूल्य ३१५ रुपए है; सिन्द्री मूल्य ३१० रुपये है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह समझूं कि ठीक उसी भंडार मूल्य पर कृषकों को खाद मिलती है ?

श्री किदवई : जी हां। कृषकों को खाद, भडार मूल्य धन रेल भाड़ा पर मिलती है।

श्री के० सी० रेड्डी : धन प्रासंगिक व्यय।

श्री अल्तेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी खाद की किस्म उतनी ही अच्छी है जितनी कि विदेशों से प्राप्त किसी भी खाद की ?

श्री किदवई : हम को ऐसी ही आशा करनी चाहिए।

श्री के० के० बसु : क्या हम लोग जान सकते हैं कि कुल खपत का कौन सा अनुपात वास्तविक कृषकों द्वारा उपभुक्त होता है ?

श्री किदवई : मुझे आशा है कि वह दूसरों द्वारा नहीं प्रयोग की जाती। वह सदैव कृषकों द्वारा ही प्रयोग की जाती है।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि खरीदारों द्वारा मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या उत्पादन को घटाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री किदवई : जी नहीं। जितना अधिक हम उत्पादित करेंगे उतना ही मूल्य कम होगा और कृषकों को इच्छापूर्वक स्वीकार्य होगा।

श्री झुनझुनवाला : क्या कृषकों से केवल भंडार मूल्य धन भाड़ा ही लिया जाता है अथवा कुछ अन्य प्रासंगिक खर्चे भी हैं ?

श्री किदवई : अन्य प्रासंगिक खर्चे भी हैं और इसलिये प्रत्येक राज्य सरकार जितना अधिक संभव है उतना कम करने का प्रयत्न कर रही है और मैं आशा करता हूं कि हम लोग काफ़ी सीमा तक सफल होंगे।

श्री झुनझुनवाला : आजकल वह क्या है ?

श्री किदवई : वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न है। उदाहरण के लिए मैं समझता हूं कि सिन्द्री से बम्बई का रेल भाड़ा ५० रुपए है और यह कि आन्तरिक वितरण और भाड़ा तथा क्रयकर्ता को कमीशन यह सब मिला कर बम्बई में वह ८० रुपए हो जाता है। बंगाल में, मैं समझता हूं, वह ५० रुपए है और वे उस को

घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार वह विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है।

श्री झुनझुनवाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि भाड़े को छोड़ कर कमीशन के खर्चे और प्रासंगिक खर्चे क्या हैं। भाड़ा ऐसी वस्तु है जो कम नहीं की जा सकती।

श्री किदवई : यह सूचना राज्यों से उपलब्ध हो सकेगी। हम लोग हर राज्य को उस की मांगें भेज देते हैं और तब वे वितरण का प्रबन्ध करते हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा: वर्तमान प्रति दिन के उत्पादन की गति क्या है? क्या कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है?

श्री किदवई : वह उस से अधिक है जो कि हम लोगों ने सामर्थ्य की तौर पर अनुमान लगाया था। ठीक आजकल वह १,००० टन प्रति दिन उत्पादित कर रही है।

उद्योगोंको कोयले की पूर्ति

*९६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या उत्पादन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या गत वर्ष उद्योगों को कोयले की पूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों से यथासम्भव तेल का प्रयोग करने के लिए और कोयले पर संयुक्तन न करने के लिए कहा है; और

(ग) गत वर्ष इस कठिनाई का कारण?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी नहीं; उन उद्योगों के सम्बन्ध में छोड़ कर जो ऐसे क्षेत्र में विद्यमान हैं जहां यातायात कठिन है।

(ख) जी नहीं ; लेकिन उद्योगों को से ही उन्ही के हितों में चेतावनी गई थी कि इस से पहले कि वे बढ़ी हुई कोयला खपत को अन्तर्ग्रस्त करने वाली प्रक्रिया में (उदाहरण के लिए भट्टी के तेल से कोयले पर बदली) कोई परिवर्तन करें, उन्हीं कोयला आयुक्त से पहले अभिनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना संभव होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कोयले का उत्पादन १९५१-५२ के ३४० लाख टन के अभिलेखनीय आंकड़े से गिर गया है?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं, वह गिरा नहीं है। इस के विपरीत वह बढ़ गया है।

श्री० ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोयले की खानों के निकट गत वर्ष से अधिक कोयले का संचय हुआ है?

श्री के० सी० रेड्डी : खदानों के ऊपर का स्टाक अधिक मात्रा में रहा है, किन्तु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वह प्रगामी रूप से कम किया जा रहा है। खदानों के ऊपर का स्टाक बढ़ने के बजाय घट रहा है।

श्री ए० सी० गुहा : किसी भी दशा में वह गत वर्ष से अभी भी अधिक है।

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं। मैं ने कहा कि वह घटता जा रहा है। वह गत वर्ष से अधिक नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या वह अधिक संचय रेल के डब्बों की सुविधाओं की कमी के कारण है; और यदि ऐसा है तो रेल के डब्बों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया गया है?

श्री० के० सी० रेड्डी : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर रेल मंत्री को देना होगा पर मैं यह कह सकता हूं कि गत वर्ष अप

उस के निकट स्थिति निश्चित रूप से सुधर गई है, लेकिन विभिन्न उद्योगों की मांग रेल के डब्बे की उपलब्धता को पार कर जाती है, और ऐसी दशा में उस के कारण कुछ मात्रा में कठिनाई है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि उत्पादन मंत्रालय द्वारा निश्चित कुछ पूर्व-वर्तिताओं के फलस्वरूप, कोयले के आवागमन में बाधा पहुंची है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे ज्ञान में नहीं।

श्री के० क० बसु: क्या हम लोग जान सकते हैं कि यह अभी तक कोयले का संचित स्टाक कब तक साफ हो जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : हम लोग प्रत्येक प्रयत्न कर सकते हैं, पर मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इस में कितना समय लगेगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा : संचित कोयले क्या वर्तमान टन भार क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समुचित वर्षा की कमी के कारण वहां हाल की विद्युत शक्ति में कटौती के कारण दक्षिण से अधिक कोयले की पूर्ति के लिए प्रार्थना की गई थी ?

श्री क० सी० रड्डी : विद्युत की पूर्ति की कमी के कारण अब जो आपवादिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं उन के कारण मैं नहीं कह सकता कि कितनी बढ़ी हुई पूर्ती हम दक्षणि भारत को दे सकते हैं। साधारण रूप से भी यातायात की कठिनाइयों के कारण दक्षिण को पूर्तियां देने में कुछ कठिनाई है। मुझे अभी तक पता नहीं है कि विद्युत पूर्ति के अनिष्पादन के कारण विभिन्न उद्योगों द्वारा कितनी कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता है। मैं उस का उत्तर अभी नहीं दे सकता ।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का कोटा पिछले साल ५० पर सेंट क्यों कम कर दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे ऐसी किसी कमी की सूचना नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या यह कोले की कमी की वजह से किया गया है या वैगनों की कमी की वजह से ?

श्री बी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खानों के ऊपर संचित कोयला बिगड़ रहा है, और यदि ऐसा है तो एसे बिगड़ने का प्रतिशतक क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं समझता कि वह किसी भयंकर रूप से बिगड़ रहा है। कुछ बिगाड़ हो सकता है। मैं निश्चित सूचना नहीं दे सकता ।

श्री बी० पी० नायर : मैं ने बिगाड़ का प्रतिशतक पूछा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नगण्य है । अन्यथा वे बता देते ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं प्रतिशतक नहीं बता सकता ।

श्री रघवय्या : क्या दक्षिण कोरिया और मलाया को कोयला निर्यात करने से पूर्व सभी कोयला उपभोगी संघों जैसे तम्बाकू उत्पादक संघ तथा अन्य उद्योगों की भी मांगें पूरी कर दी गई हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : सभी विभिन्न मांगें विभिन्न उद्योगों से अभिनिश्चित कर ली जाती हैं। और कोयला आयुक्त प्रत्येक उद्योग को अमुक मात्रा बंटन कर देता है, पर उसका अर्थ यह नहीं होता कि चूंकि विशेष उद्योगों के लिए पूर्ति की कमी है अतः हम को अपने निर्यात सर्वथा बन्द कर देने चाहियें ।

श्री मेघनाद साहा : क्या दक्षिण में आरकाट जिले के उन गर्त-निक्षेपों का उपयोग करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है जो कोयले के स्थान पर काम में लाये जा सकते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : कदाचित माननीय सदस्य बभ्रु अंगार की ओर संकेत कर रहे हैं ?

श्री मेघनाद साहा : जी हां ।

श्री के० सी० रेड्डी : वह अभी तक योजना की दशा में है मद्रास सरकार द्वारा एक अग्रगामी योजना शुरू की गई है और अभी तक कोई उत्पादन नहीं हुआ है । अग्रगामी योजना के सफल हो जाने के उपरांत और उत्पादन शुरू हो जाने के उपरांत स्थिति थोड़ी बहुत सुधरेगी ।

केन्द्रीय अफ़्रीका संघ

*९७ **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतायेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिण और उत्तर रोडेशिया तथा न्यासालैण्ड के लिए उस केन्द्रीय अफ्रीकी संघ योजना पर ध्यान दया है जिस पर आजकल चर्चा हो रही है ;

(ख) उन प्रदेशों में अधिवासी भारतीयों की संख्या और योजना से उन की भविष्य स्थिति कहां तक प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या अस्वायत्तशासी प्रदेशों की स्वायत्तता अथवा स्वायत्त शासनके दृष्टिकोण से सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से या संयुक्त राज्य की सरकार से इस संघ प्रस्ताव के बारे में कोई लिखापढ़ी की है; और

(घ) क्या सरकार ने यह बता दिया है कि भारत अफ्रीका के भावी विकास में महत्वपूर्ण रूप से सार्थ है ?

प्रधान मत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) भारत सरकार यह जानती है कि केन्द्रीय अफ्रीकी संघ के लिए एक योजना सामने रखी गई है और उस पर चर्चा हो रही है ।

(ख) दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैण्ड में क्रमशः लगभग ४,१५०, २,६०० और ४,००० भारतीय हैं एक संघ के लिए प्रस्ताव अभी तक निर्माणावस्था में है और यह कहना कठिन है वह उन क्षेत्रों के भारतीय समुदाय को अन्ततोगत्वा किस प्रकार प्रभावित करेगी ।

(ग) और (घ) । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राज्य को औपचारिक संचार नहीं भेजा गया है । किन्तु यह तथ्य, कि भारत सरकार दिलचस्पी रखती है और उस का विचार है कि इन क्षेत्रों के अफ्रीकी निवासियों के विचारों पर पूर्ण विचार होना चाहिए, सुज्ञात है । अवसर पड़ने पर सरकार के विचार सम्बन्धित सरकारों को औपचारिक रूप से संचारित कर दिए जायेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि पहले के आज्ञापित क्षेत्रों या उन क्षेत्रों में से भी जो अब न्यासत्व परिषद् (ट्रस्टीशिप कौंसिल) के आधानी हैं कोई इस संघ में सम्मिलित हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : दुःख है कि मैं इस का उत्तर बिना पूछताछ के नहीं दे सकता । मुझे निश्चित रूप से नहीं मालूम है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या संघ के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव की संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासत्व परिषद् अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा (जनरल असेम्बली) के सामने विचारार्थ आने की संभावना है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : साधारण रूप से वह अपने आप सामने नहीं आती जब तक कि कोई पक्ष उस को सामने न लाये ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत का इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाने का कोई विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय अफ्रीका में बसे हुए भारतीय वहां के श्वेत लोगों के साथ एक मत हो रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं ।

सिन्द्री में यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन

***९८. श्री बर्मन :** क्या उत्पादन मंत्री कृपाकर बतलायेंगे कि सिन्द्री में यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए फैक्टरी के विस्तार के हेतु क्या प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): प्रशासनिक और टेकनीकल विशेषज्ञों का एक दल जिस में टी० सी० ए० का भी प्रतिनिधित्व है, १० फरवरी १९५३ को जापान, उत्तरी अमेरिका और योरप भेजी गयी है उन देशों के मुख्य यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के संयन्त्र को देखने के लिए और सिन्द्री में अपनाने के लिए सब से अधिक उपयुक्त पद्धति को चुनने की दृष्टि से यूरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए । ऐसी आशा की जाती है कि यह दल अध्ययन समाप्त करने और एक प्रतिवेदन सामने रखने के लिए लगभग दो मास लेगा ।

श्री बर्मन : यदि सिन्द्री में यह उत्पादन आरम्भ करना वांछनीय समझा जाता है तो क्या इस को राज्य उपक्रमण अथवा निजी उपक्रमण द्वारा आरम्भ करने का विचार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वह सिन्द्री फर्टीलाइजर्स तथा केमीकल्स लिमिटेड द्वारा आरम्भ किया जायेगा और यह एक राज्य उपक्रमण है ।

श्री ए० एम० थामस खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न प्रस्तुत किया है उन को पूर्ववर्तिता मिलनी आवश्यक है । मिस्टर बर्मन ।

श्री बर्मन : कुछ समय पहले यह मालूम हुआ था कि खाद के निकालने के बाद आचूर्ण (जिप्सम) के बचे हुए अवपंक से सीमेन्ट के निर्माण के लिए एक सीमेन्ट फैक्टरी शुरू की जा सकती है । उस योजना के सम्बन्ध में सरकार कहां तक आगे बढ़ी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरा निवेदन है कि यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है । किन्तु माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बता दूं कि एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी, जिस के साथ सीमेन्ट के निर्माण के हेतु कैलशियम कार्बोनेट अवपंक के उपभोग के लिए हमने एक समझौता किया है, काफ़ी अच्छी प्रगति कर रही है ।

श्री ए० एम० टामस : सिन्द्री फ़ैक्ट्री के आस पास चलने वाली सहायक उद्योग कौन से हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : न्यंगार कंदु संयन्त्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है और एक प्रस्ताव यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए एक संयन्त्र रखने का है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कोई अन्य संयन्त्र नहीं है ।

श्री बंसल : क्या वहां पर प्रोदीन्यक (मीथानोल) निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वह एक बहुत छोटा संयन्त्र है ।

श्री मेघनाद साहा : यह फैक्टरी सरकारी अथवा वैयक्तिक प्रबन्ध के आधीन रहेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : कौन सी ?

श्री मघनाद साहा : ये सभी सहायक फैक्टरियां. यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, मीथानोल (प्रोदीन्यव) और न्यंगार कन्दु संयन्त्र (कोक ओवेन प्लान्ट) ।

श्री के० सी० रेड्डी : एक पिछले, अवसर पर माननीय सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने कहा था कि यह सब राज्य उपक्रमण होंगे सीमेन्ट के निर्माण को छोड़ कर जिस के सम्बन्ध में हम ने एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी के साथ एक समझौता किया है।

श्री मेघनाद साहा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस देश के किसान विभिन्न प्रकारों की खादों के उपभोग के आदी नहीं हैं, क्या सिन्द्री फैक्टरी के साथ खादों के उपभोग तथा उन के समुचित सम्मिश्रण के लिए एक अन्वेषण प्रयोगशाला सौंपने की कोई योजना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूं कि यह खाद्य तथा कृषि के माननीय मंत्री के सतत विचार के आधीन है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि सिन्द्री में निर्मित सीमेन्ट के लिए एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी जो मूल्य लेती है, क्या उस पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे भय है, मेरे माननीय सहयोगी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को उस प्रश्न का उत्तर देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट से सीमेन्ट पर जा रहे हैं । अगला प्रश्न ।

श्री के० के० बसु : वे उस से फायदे उठा रहे हैं ।

उद्योगों के लिये विकास परिषदें

*९९. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कृपाकर वे उद्योग बतलायेंगे जिन के सम्बन्ध में उद्योगों के विकास तथा पंजीयन अधिनियम, १९५१ के आधीन विकास परिषदें बनाई गई हैं ?

(ख) इन परिषदों का कृत्य क्या है उस उद्योग के सम्बन्ध में जिस से वे प्रजुष्ट हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) इन के लिए विकास परिषदें :

(१) भारी रसायन (अम्ल और खादें); और

(२) आभ्यन्तर दहन गन्त्र तथा शक्ति संचालित उदंच पहले ही लगाये जा चुके हैं । औरों का लगाना विचाराधीन है ।

(ख) अधिनियम के द्वितीय अनुसूची की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : ये परिषदें किस प्रकार गठित की गई हैं, नाम निर्देशन से अथवा किसी अन्य तरीके से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नाम निर्देशन से गठित ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह तथ्य है कि कुछ विशेषज्ञ हम को इन विकास परिषदों के बनाने के सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिए आमंत्रित किए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हा, कुछ समय पूर्व एक विशेषज्ञ यहां आया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने उद्योगों के लिए सरकार इस समय इन विकास परिषदों को बनाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, उद्योगों की मंत्रणा-परिषद् ने सात उद्योगों के लिए विकास परिषदें बनाने की सिफारिश की थी । सरकार ने दो के लिए परिषदें बनाई हैं । दूसरों का बनाना विचाराधीन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : पिछले अधिवेशन में माननीय मंत्री ने कहा था कि उपयुक्त कर्मचारीगणों की कमी के कारण वे इन विकास परिषदों को बनाने में असमर्थ थे; क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह कमी अन्य विकास परिषदों के बनाने में भी रोड़ा अटका रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दो के सम्बन्ध में कमी अब तथ्य नहीं है। अन्य के सम्बन्ध में, कमी तथा अन्य बातें प्रवर्तित हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन नाम निर्देशनों को करने में सरकार विभिन्न हितों को जैसे श्रमिक, नियोजकों अथवा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इन परिषदों में प्रत्येक सम्बन्धित हित स्थान पाता है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं विशेषज्ञ का नाम तथा उस की राष्ट्रीयता जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह आया और चला गया, लेकिन मेरा विश्वास है वह एक अंग्रेज है।

आदिमजाति क्षेत्रों का विकास

* **१००. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे :

(क) वह राशि जो कि १९५२-५३ के आयव्ययक में उत्तर-पूर्व सीमान्त के आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के लिए बंटित की गई थी जिस में आसाम राइफिल्स का भरण-पोषण सम्मिलित था ;

(ख) उसी में से कितना आदिमजाति क्षेत्र में व्यय किया गया है;

(ग) खर्चे की मदें क्या हैं; और

(घ) प्रधान मंत्री ने कितने आदिमजाति क्षेत्रों का दौरा किया है ?

प्रधान मंत्री के० संसद् सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क)

आर्थिक विकास	१०,९१,५०० रुपए
आसाम राइफिल्स	१,८३,४४,८०० रुपए
कुल	१,९४,३६,३०० रुपए

(ख) ३०-११-५२ तक का खर्चा—

आर्थिक विकास	६,२८,३९५ रुपए
आसाम राइफिल्स	६७,२१,७९१ रुपए

दिसम्बर से मार्च तक के महीने इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उस काल में भारी खर्चा होता है।

(ग) आर्थिक विकास :

खर्चे की मदें ये हैं—

सड़कों, जंगलों, कृषि (कौशकृमि पालन तथा शालिहोत्रि सहित) शिक्षा, वैद्यक, स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास।

आसाम राइफिल्स :

पदाधिकारियों का वेतन और स्थापना।

भत्ते और मानदेय।

शस्त्र और युद्धोपकरण।

अन्य खर्चे।

(घ) बालीपारा सीमन्त भूखण्ड।

एबोर पहाड़ी ज़िला।

मिशमी पहाड़ी ज़िला।

कुछ आदिम जाति क्षेत्र आसाम राज्य में भी और मैं, मनीपुर राज्य का माओ क्षेत्र तथा आसाम राज्य के खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िलों के चिरापूंजी को, जोड़ दूं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां के आदिमजाति के लोगों के शीघ्रगामी उत्थान के लिए आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों में ज़िला और प्रादेशिक परिषदें बनाई गई हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : जहां तक अभिकरण क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां ज़िला परिषदों का कोई प्रश्न ही नहीं है । किन्तु आसाम के इन स्वायत्तशासी ज़िलों के लिए उन्होंने पहले ही ज़िला परिषदें शुरू कर दी हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कोई राशि उनकी जीवित परम्पराओं, जैसे लोकनृत्य, उनका संगीत, उनकी स्वदेशी कलाएं और शिल्प आदि, के प्रोत्साहन पर व्यय की गई है?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य का प्रश्न, यदि मैं सम्पूर्ण आदरसहित ऐसा कहूं तो, बहुत यथार्थ रूप से शब्द रचित नहीं था। उन्होंने उत्तर-पूर्व सीमान्त के आदिमजाति क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया और जो उत्तर दिया गया है वह पूर्ण-रूपेण उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण से सम्बन्ध रखता है । आसाम राज्य, मनीपुर और त्रिपुरा में अन्य आदिमजाति क्षेत्र हैं इस उत्तर में सम्मिलित नहीं हैं। मैं इस को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो आंकड़े दिए गए हैं वे केवल उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण से सम्बन्ध रखते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अन्तिम प्रश्न, कि क्या कोई धन उन की कलाओं और शिल्पों, नृत्यों आदि के विकास के लिए खर्च अथवा बंटित किया गया है, का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि कोई विशेष राशि उन के लिए अनुदान की गई है। किन्तु यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध स्वायत्तशासी ज़िला परिषदों तथा अन्य सम्बन्धितों से है, लेकिन हम उन को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

श्री ए० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने बतलाया कि कुछ धन इन उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा, वैद्यक स्वास्थ्य तथा लोक-स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर व्यय किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्कूल जाने वाले बच्चों को पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं मुफ्त दी गई हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : स्कूल जाने वाले बच्चों के मुफ्त पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं देने का कोई उपबन्ध नहीं है । लेकिन कभी कभी उनकी सहायता अनुदानों तथा अंशदानों के लिए उपबन्धों से की जाती है । अनाथ बालकों और स्कूल जाने वाले बच्चों को पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम राइफिल्स के भरण-पोषण के लिए खर्चे किस प्रकार उत्तर-पूर्व आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के हेतु आयव्ययक में सम्मिलित किए गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह गत वर्ष के आयव्ययक में था, तो वह था । यदि वह वहां है तो आगामी आयव्ययक में वह आयेगा । माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री रिशांग किशिंग : मेरा प्रश्न था कि आसाम राइफिल्स के भरण-पोषण के लिए खर्चे किस प्रकार उत्तर-पूर्व आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के हेतु आयव्ययक में सम्मिलित किए गए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: वे इसलिए सम्मिलित किए गए हैं क्योंकि प्रश्न उस राशि के सम्बन्ध में था जो उन के विकास के लिए और आसाम राइफिल्स के भरण-पोषण के लिए भी बंटित है । अतः दोनों आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार ने इन आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अच्छी सड़कों के भारी महत्व पर ध्यान दिया है, और यदि ऐसा है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सड़कों के निर्माण को सर्वोपरि पूर्ववर्तिता दी जाती है।

श्री आर० के० चौधरी : मैं संसद् सचिव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(श्री आर० के० चौधरी ने आसामी में प्रश्न किया)

श्री ज० एन० हजारिका : मैं सन्तुष्ट .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य को उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्यों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोलना चाहिए।

श्री आर० के० चौधरी : हम लोगों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति है और यह एक दुर्लभ अवसर है जो मुझ को मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन के बाहर अपनी मातृभाषा में बोलने का काफ़ी अवसर रहता है।

श्री बेलीराम दास : क्या सीमान्त अभिकरण में कोई सामुदायिक योजना आरम्भ की गई है, और यदि ऐसा है तो किस खर्च पर?

श्री जे० एन० हजारिका : जी हां। एक विकास योजना आरम्भ की गई है और तीन वर्षीय योजना के एक वर्ष में लगभग ६,७३,००० रुपए खर्च होंगे।

श्री बेलीराम दास : क्या किए गए कार्यों का प्रकार मैं जान सकता हूं?

श्री जे० एन० हजारिका : कार्यों का प्रकार है—कृषि सम्बन्धी प्रसार, सिंचाई, कृष्यकरण, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वच्छता, शिक्षा, सामुदायिक मनोविनोद केन्द्रों सहित सामाजिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा आदि।

श्री रिशांग किशिंग : वे कौन सी सब से अधिक सामान्य तथा महत्वपूर्ण समस्यायें थीं जिन पर प्रधान मंत्री का ध्यान उन की यात्रा के समय इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा आकर्षित किया गया था?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण अथवा स्वायत्त-शासी [illegible] की ओर संकेत कर रहे हैं?

श्री रिशांग किशिंग : सीमान्त अभिकरण।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सब से बड़ी समस्या संचारों की थी। दूसरी समस्या अथवा दूसरी मांग स्कूलों के लिए थी। वे अन्य विषयों पर प्रभुत्व रखते हैं।

एकीकृत लौह तथा इस्पात संयन्त्र की स्थापना

*१०३. **श्री नानादास** : क्या उत्पादन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या एक एकीकृत लौह तथा इस्पात संयन्त्र की स्थापना के लिए कुछ जापानी तथा अमरीकी हितों के साथ वाद-विवाद समाप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार किए हुए समझौते की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार करती है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):
(क) वादविवाद समाप्त हो गए हैं।

(ख) चूंकि कोई समझौता नहीं हुआ है अतः इस का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नानादास : महाशय, क्या यह तथ्य है कि सरकार ने अमरीकी तथा जापानी हितों के साथ नवीन लौह तथा इस्पात संयन्त्र की स्थापना में शिल्पिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए होने वाली समझौते की बातचीतें छोड़ दी हैं क्योंकि हितों द्वारा लगाई गई शर्तें संयन्त्र के राज्य नियन्त्रण के विपरीत हैं?

श्री के० सी० रेड्डी : उस दिन म सदन स्थल पर उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

श्री नानादास : महाशय, क्या यह तथ्य है कि पौण्ड पावना पाने तथा उन का उस प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए सरकार अब ब्रिटेन का नवीन संयन्त्र की स्थापना में शिल्पिक तथा आर्थिक सहकार के लिए सहयोग पाने का इरादा कर रही है क्योंकि इंगलैण्ड के हितों की शर्तें अमरीकी तथा जापानी हितों की शर्तों से अधिक अनुकूल हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : वह सब कुछ केवल अनुमान और किस्सा है । ऐसी कोई चीज़ घटित नहीं हुई है ।

श्री नानादास : महाशय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रस्तावित एकीकृत लौह तथा इस्पात संयन्त्र पूर्णतया राज्य अधिकृत और नियन्त्रित होगा या क्या वह केवल एक राज्य नियन्त्रित योजना होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : उस को एक राज्य नियन्त्रित योजना बनाने का विचार है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि क्या वह पूर्ण रूपेण राज्य द्वारा वित्तपोषित तथा अधिकृत होगा ।

श्री नानादास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यह मामला १९४८ से लम्बित है, महाशय, क्या मैं जान सकता हूं कि इस संयन्त्र के एकीकरण के सम्बन्ध में मामला कहां पर रुका हुआ है और योजना के पूर्ण होने तथा और संयन्त्र के स्थान के निर्णय होने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : महाशय, जैसा कि कल मैं ने दूसरे सदन में कहा था कि सरकार भी इस बात से प्रसन्न नहीं है कि इस महत्वपूर्ण विषय में बहुत विलम्ब हो चुका है । किन्तु परिस्थिति के अधीन विलम्ब अनिवार्य था । सरकार बहुत जल्द ही अपने देश में इस लौह तथा स्पात संयन्त्र को राज्य नियन्त्रित करने के लिए हर आवश्यक कार्यवाही कर रही है । अभी एक शिल्पिक मिशन बनाया गया है जिसमें विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि, अमेरिका में कॉपर्स की फार्म का एक प्रतिनिधि और भारत सरकार का एक पदाधिकारी भी है । उस आयोग ने कार्य आरम्भ कर दिया है और हम लगभग दो मास के समय में उस आयोग के प्रतिवेदन की आशा कर रहे हैं। उस के प्राप्त होने के उपरान्त हम इस एकीकृत लौह तथा इस्पात संयन्त्र के अधिष्ठापन को जल्दी करने के लिए हर संभव कार्यवाहियां करेंगे ।

श्री के० के० बसु : महाशय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक एकीकृत संयन्त्र स्थापित करने का विचार अन्तिम रूप से छोड़ दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वह छोड़ नहीं दिया गया है । इस के विपरीत हम इस विषय के सम्बन्ध में बड़ी क्रियाशीलता से बढ़ रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : महाशय, क्या मैं समझूं कि मंत्री महोदय इस को कार्यान्वित करने में विलम्ब को अनिवार्य कहकर उचित बतलाते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूं । मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : महाशय, क्या मैं जान सकता हूं कि संयन्त्र किस जगह स्थापित किया जाना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह बार बार पूछा जा चुका है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या दामोदर घाटी से वहां पर एक इस्पात योजना केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव हुआ है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री नानादास : वे विशिष्ट विचार क्या हैं जिन्होंने सरकार को योजना प्रतिवेदन फिर से तैयार करवाने के लिए बाध्य किया ?

श्री के० सी० रेड्डी : मूलतः विचार एक इस्पात संयन्त्र स्थापित करने का था। किन्तु अब हमारा विचार एक एकीकृत लौह तथा इस्पात संयन्त्र स्थापित करने का है। यह मुख्य कारणों में से एक है। दूसरे, वर्तमान इस्पात व्यापारिक संस्थाओं ने एक प्रसार कार्यक्रम शुरू किया है। उस के कारण हम को यह निश्चित करना है कि प्रस्तावित एकीकृत लौह तथा इस्पात संयन्त्र में किन प्रकारों के इस्पात निर्मित होने हैं। और प्रस्तावित लौह तथा इस्पात संयन्त्र के लिए आवश्यक पूंजी का फिर से हिसाब लगाना है। इन सब कारणों से हमने प्रश्न के हर पहलू पर विचार करने तथा पहले के सभी योजना प्रतिवेदनों को पुनर्विलोकित के उपरांत हम को एक ताजी अद्यावत प्रतिवेदन देने के लिए एक नवीन शिल्पिक मिशन बनाना निश्चित किया है ताकि इस विषय के सम्बन्ध में हम शीघ्र आगे बढ़ सकें।

श्री वी० पी० नायर : महाशय, क्या मैं वह वर्ष जान सकता हूं जिसमें सरकार अब यह आशा करती है कि एकीकृत संयन्त्र भारत में कार्य करना शुरू कर देगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : महाशय, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। किन्तु इस को यथाशीघ्र करने के लिए सरकार हर संभव कार्यवाही करेगी।

श्री मेघनाद साहा : इस तथ्य की दृष्टि से कि भारत की इस्पात की आवश्यकताएं २५ लाख टन बतलाई गई हैं और वर्तमान फैक्टरी का विस्तारित कार्यक्रम केवल १३ लाख टन तक आता है, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह इस तथ्य का किस प्रकार से समर्थन करते हैं कि सरकार बिना तत्स्थानी परिस्थिति पर विचार किए किसी नई योजना में नहीं प्रवेश कर सकती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैंने यह नहीं कहा था कि सरकार किसी नई योजना के बारे में नहीं सोच रही है। इस के विपरीत, मैं ने कहा था कि सरकार के पक्ष में इस फैक्टरी को स्थापित करने की बलवती इच्छा है।

राजकीय गृह-निर्माण फ़ैक्टरी

*१०४. **श्री के० के० बसु :** क्या **उत्पादन** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या राजकीय गृह निर्माण फैक्टरी एक व्यक्तिगत सीमित कम्पनी में परिवर्तित कर दी गई है;

(ख) क्या भारत सरकार को छोड़ कर इस कम्पनी की पूंजी में कोई अन्य हित भी हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, पूंजी में ऐसे प्रत्येक हित का क्या अंश है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां। गृह निर्माण फैक्टरी की आस्तियां हिन्दुस्तान गृह निर्माण फैक्टरी लिमिटेड को पट्टे पर दे दी गई हैं।

(ख) जी हां। एक और अंशभागी हैं, मैसर्स बसाखा सिंह-वालेनबोर्ग, लिमिटेड।

(ग) भारत सरकार और मेसर्स बसाखासिंह–वालेनबोर्ग, लिमिटेड ५ लाख रुपए की पूंजी में हिस्सा बंटाते हैं जिस का १ लाख रुपया बराबर बराबर परिदत्त हो चुका है।

श्री के० के० बसु : क्या हम लोग जान सकते हैं कि क्या इन व्यापारिक संस्थाओं के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विशेष शर्त है ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रबन्ध कार्य बसाखा सिंह वालेनबोर्ग लिमिटेड में निहित होगा।

श्री वी० पी० नायर: फैक्टरी में विनियोजित कुल पूंजी राशि की पट्टे पर दी गई राशि का प्रतिशत भाग क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी का संयन्त्र और मशीन नई कम्पनी को पट्टे पर दे दी जायेंगी । नई कम्पनी आयकर क़ानून के अनुसार आस्तियों पर अवमूल्यन भत्ता के बराबर किराया देगी । मैं यह और बता दूं कि यह लगभग १.७५ लाख रुपए प्रतिवर्ष के आता है ।

श्री वी० पी० नायर : महाशय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । संयन्त्र पर विनियोजित पूंजी का पट्टा राशि का कौन सा प्रतिशत भाग है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उनके मूल खर्च में अंशदान का प्रतिशत भाग जानना चाहते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : स्थिति यह है । फैक्टरी की वर्तमान आस्तियां नई कम्पनी को कुछ शर्तों पर, पट्टे पर दे दी जायेंगी । नई कम्पनी नई सक्रिय पूंजी लगायेगी । दस लाख आवश्यक होंगे । नई कम्पनी बसाखा सिंह–वालेनबोर्ग लिमिटेड फैक्टरी के कार्य क्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नई मशीनें आयात करने के लिए लगभग १७ लाख तक का अतिरिक्त खर्चा उठायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जाना चाहते हैं कि विनियोजन के प्रतिशत भाग के रूप में सरकार की आय क्या होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं उस प्रकार से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । मैं ने उस का उत्तर दूसरी प्रकार से दिया कि हम को उन आस्तियों पर किराया मिलने जा रहा है जो हम नई कम्पनी को पट्टे पर देने जा रहे हैं । किराए की राशि आयकर कानन के आधीन अवमूल्यन भत्ते के बराबर होगी । मैं नहीं कह सकता वह कितना प्रतिशत भाग होगा ।

श्री वी० पी० नायर : इस फैक्टरी पर मूल खर्च क्या होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : महाशय, उस सब का पहले अनेक अवसरों पर उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या हम जान सकते हैं कि क्या माननीय मंत्री इस नई कम्पनी के पूंजी निर्माण आदि तथा प्रबन्ध के लिए बसाखा सिंह–वालेनबोर्ग लिमिटेड के साथ किए गए समझौते की शर्तों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देने को तैयार हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : हम समझौते को पटल पर रख सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस कम्पनी का लेखा सरकार द्वारा लेखापरीक्षित हो सकता है या सरकार ने लेखा की जांच के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : महाशय मैं प्रश्न का एकदम अभी उत्तर नहीं दे सकता । संघ के पद तथा अनुबोधक में कुछ खण्ड कम्पनी के लेखा की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या हम लोग समझ लें कि उस विशेष फर्म में विनियोजित सरकारी धन महालेखा परीक्षक द्वारा किसी भी लेखा परीक्षा नियन्त्रण के आधीन नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी : ऐसी सभी औद्योगिक व्यापारिक संस्थाओं में जहां हमने कम्पनियां बनाई हैं, हमने महालेखापरीक्षक द्वारा एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षा के लिए प्रबन्ध किया है ।

श्री के० के० बसु : क्या हम लोग जान सकते हैं कि क्या इस व्यवसायिक संस्था के

प्रबन्ध तथा उत्पाद के मूल्यों के नियतीकरण पर सरकार का कोई नियंत्रण है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैंने कहा था कि जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, वह बसाखा सिंह–वालेनबोर्ग लिमिटेड में निहित होगा। फैक्टरी के प्रबन्ध तथा दैनिक कार्य में सरकार का कोई हाथ न होगा, लेकिन निश्चित ही सरकार इस चीज़ पर निगाह रखेगी कि कम्पनी किस प्रकार काम कर रही है और यदि किसी समय बीच में पदार्पण करने की आवश्यकता हुई तो वह वैसा करेगी।

सरदार हुक्म सिंह : महाशय, क्या यह तथ्य है कि इस परिवर्तन के कारण सामग्रियों के भारी संभार अतिरेक घोषित कर दिए गए हैं जिनकी अब नीलाम में बेचे जाने की संभावना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, कुछ पदार्थ जो नई कम्पनी के उत्पादन कार्यक्रम में किसी उपयोग के नहीं होंगे, वे फालतु तौर पर बेच दिए जायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : उन पदार्थों का पुस्तक मूल्य क्या है जो अतिरेक घोषित कर दिए गए हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परिवर्तन होने के पूर्व राजकीय गृह निर्माण फैक्टरी के आस्तियों का कोई मूल्यांकन हुआ था और वह मूल्यांकन किस प्रकार किया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : मूल्यांकन किया गया है। तथ्य तो यह है कि उसने बहुत समय लिया और मूल्यांकन बहुत सावधानी से किया गया है।

श्री ए० सी० गुहा : मूल्यांकन किस के द्वारा किया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : सम्बन्धित राजकीय विभागों द्वारा।

श्री के० के० बसु : इस तथ्य की दृष्टि से कि राजकीय गृह-निर्माण फैक्टरी अन्तिम रूप से एक व्यक्तिगत कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दी गई है, क्या हम लोग जान सकते हैं कि क्या सरकार हम लोगों को इस व्यवसायिक संस्था के द्वारा उठाई गई कुल क्षति के वास्तविक आंकड़े दे सकती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : महाशय, इस का भी पहले अनेक अवसरों पर उत्तर दिया जा चुका है।

श्री के० के० बसु : पिछली बार यह कहा गया था कि वह अभिनिश्चित नहीं हुआ है। अब वह अन्तिम रूप से तय हो गया है। क्या हम जान सकते हैं . . .

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जब कि मिस्टर रेड्डी ने यह कहा है कि वे सदन पटल पर एक विवरण रखेंगे तो मैं समझता हूं कि उस की प्रतीक्षा करना अच्छा होगा।

श्री के० सी० रेड्डी : यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न करते हैं तो मैं एक विस्तृत उत्तर दे सकता हूं।

श्री राधा रमण : फैक्टरी चालू कब हो जायेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : हम बहुत उत्सुक हैं कि उस को बहुत शीघ्र ही चालू हो जाना चाहिए। यह अब उस कम्पनी का उत्तरदायित्व है जो बनाई गई है। मैं ने एक जांच की थी और मेरी सूचना यह है। नई कम्पनी इस प्रयोजन के हेतु कुछ मशीन आयात कर रही है और उस मशीन के आने तक कम्पनी तत्काल

ही कुछ दबाई गई कंकरीट के पदार्थ जैसे टेलीग्राफ के खम्भों, लकड़ी के दरवाज़ों और खिड़कियों का निर्माण शुरू करने का विचार कर रही है। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उस के अनुसार यह आशा की जाती है कि फैक्टरी अगले कुछ दिनों में चालू हो जाएगी।

गोआ में दो भारतीयों का परिपीड़न

*१०५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** कृपाकर बतलायेंगे :

(क) क्या १० जनवरी, १९५३ को "टाइम्स आफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित एक सम्पादक के नाम पत्र, जिसमें पंजिम (गोआ में) में घूमने गए हुए दो भारतीयों के एक पुर्तगाली पुलिस अफसर द्वारा परिपीड़न का आरोप है और उनके ड्राइवर जो एक भारतीय नागरिक के प्रति पुलिस हवालात में आरोपित दुर्व्यवहार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या आरोपित घटना के बारे में कोई प्रतिवेदन मांगा गया है अथवा गोआ में भारतीय महावाणिज्यदूत से प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि आरोपित घटना घटित प्रमाणित हो गई है तो सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक कार्य के उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) हमारे गोआ में महा-वाणिज्यदूत से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) मामले में सत्वर कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। जैसे ही उन को घटना का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, महावाणिज्यदूत ने गोआ के गवर्नर जनरल का निजी हस्तक्षेप मांगा और पुलिस हवालात से कार के ड्राइवर को छड़ा लिया। तब उन्होंने ऐसी घटनाओं के पुनः होने को रोकने के लिए गोआ की सरकार के सामने घोर विरोध प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने भी नई दिल्ली में पुर्तगाली दूतावास को एक विरोध भेजा है। इन दो विरोधों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

श्री वी० पी० नायर : महाशय, क्या यह तथ्य है कि भारतीय नागरिक गोआ के पुलिस हवालातों में स्वच्छाचारितापूर्वक अकारण ही निरुद्ध कर लिए जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसी कई घटनाओं की सूचना मिली है।

श्री वी० पी० नायर : चालू वर्ष में कितने मामलों की सूचना मिली है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस घटना को छोड़ कर जिसकी चर्चा की जा चुकी है एक बिलकुल वैसी ही घटना उसी तारीख को हुई थी।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को इस घटना के बारे में मिस्टर सूद और श्रीमती कामिनी कौशल, फिल्मी कलाकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस घटना में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति श्रीमान् और श्रीमती सूद हैं। उनके हम लोगों को अभिवेदित करने से पहले ही हमारे महा-वाणिज्य दूत ने मामले में कार्य-वाही कर ली थी।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने मिस्टर सूद को शिकायत की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेज दी है ? आपने कहा कि आप को मिस्टर सूद से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने कहा था कि कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि घटना १ ली जनवरी को घटी थी और ३ री को हमारे महा-वाणिज्य दूत ने सरकार को एक विरोध प्रस्तुत कर दिया था ।

श्री नम्बियार : ऐसे कई हो रहे बन्दीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ताकि भारती नागरिक परिपीड़ित नहीं किए जाएं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने नहीं कहा था कई बन्दीकरण । मैं ने कहा था इस प्रकार की कई घटनाएं ।

श्री के० के० बसु : सरकार कब तक उत्तर पाने की तथा अगली कार्यवाही करने की आशा करती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : निश्चय ही पुर्तगाल की सरकार को उत्तर भेजने में समय लगता है । अभी ठीक लगभग एक महीना हुआ है । मैं आशा करता हूं कि आगामी कुछ ही दिनों में हम किसी प्रकार का उत्तर पा सकेंगे ।

श्री नम्बियार : क्या कार्यवाही की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकार को लिखा है । माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक सोचेंगे कि अन्य और क्या कार्यवाहियां की जा सकती हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जापानी कपड़ा

***१०२. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह तथ्य है कि जापानी कपड़ा अपनी सस्ती के कारण हमारी समुद्र पार बाजार को प्रभावित कर रहा है ?

(ख) क्या सरकार को १९५२ के उत्तरार्ध में उन देशों को जापानी कपड़े के निर्यात के विस्तार के सम्बन्ध में कोई सूचना है जिन को हम सूती कपड़ा निर्यात करते हैं और यदि ऐसा है तो उस की मात्रा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) निश्चय ही हमारी निर्यात बाजारों में जापानी प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है ।

(ख) १९५२ के उत्तरार्ध के यह आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं ।

भारत में विदेशी व्यवसायिक संस्थाओं के अभारतीय कर्मचारीगण

***१०६. श्री वैंकटारमन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या भारत में विदेशी वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले अभारतीय पदाधिकारियों की एक जनगणना संकलित की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में भारतीय पदाधिकारियों का अभारतीय पदाधिकारियों के साथ क्या अनुपात है;

(ग) क्या उसी श्रेणी के भारतीय तथा अभारतीय पदाधिकारियों के बीच वेतन, भत्तों और उपलब्धियों के स्तरों में कोई भेदभाव है; और

(घ) क्या भारत में काम करने वाली संस्थाओं में अभारतीयों की नौकरी को विनियमित करने का सरकार विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांकित ३१ जुलाई १९५२ के उत्तर में प्राप्त अभारतीयों को काम पर लगाने वाली संस्थाओं के लेखे संकलित हो रहे हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक राज्य में नौकरी के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं मंगाए गए थे।

(ग) समान श्रेणी के भारतीय और अभारतीय पदाधिकारियों के बीच वेतन, भत्तों और उपलब्धियों के स्तरों में भेदभाव में कोई जांच नहीं की गई है।

(घ) विदेशी संस्थाओं में भारतीयों की नौकरी को प्रोत्साहित करना सरकार की घोषित नीति है।

रसायनों की फ़ैक्टरियों का बन्द होना

*१०७. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अनेक एसी फैक्टरियां जो रसायन उत्पादित करती थीं बन्द हो गई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो, ऐसी फैक्टरियों की संख्या क्या है ?

(ग) ऐसी फैक्टरियों के बन्द होने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)। जहां तक सरकार को ज्ञात है केवल चार फैक्टरियां स्थायी रूप से बन्द हो गई हैं। यह पुराने सीस वेश्म प्रणाली से, शुल्बारिक अम्ल उत्पादित कर रही थीं, जो अमितव्ययी है। सरकार को ऐसे पांच मामलों की भी सूचना प्राप्त हुई है जहां उत्पादन स्थगित कर दिया गया है। उनमें से एक उसी प्रणाली से शुल्बारिक अम्ल उत्पादित कर रहा था। दो अधिभास्वियिक उत्पादित कर रही थीं जिस के लिए उपभोक्त खपत में कमी हो गई है। और दो श्वेतन क्षोद उत्पादित कर रही थीं जो आंशिकरूप से कागज तथा कपड़ा फैक्टरियों और पानी के जीवाणुघात में भी तरल वीर जी द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई हैं।

पारपत्र व्यवस्था पर भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

*१०८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल में पारपत्र व्यवस्था के कार्य से पैदा होने वाले प्रश्नों पर वाद-विवाद करने के लिए एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच सम्मेलन में पारपत्र व्यवस्था की वांछनीयता अथवा इस के विपरीत, भी पर्यालोचित हुई थी;

(ग) क्या पर्यालोचित कार्यावलि तथा पहुंचे हुए निश्चयों की पूर्ण रिपोर्ट को सरकार सदन पटल पर रखने का विचार करती है; और

(घ) क्या इस सम्मेलन के फलस्वरूप वर्तमान पारपत्र व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन होने की संभावना है।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, नई दिल्ली में २८ जनवरी से १ फरवरी १९५३ तक।

(ख) नहीं।

(ग) सम्मेलन में लिए गए निर्णय १ मार्च १९५३ को या उस से पहले अनुसमर्थन के आधीन हैं जिस के लम्बित रहने तक वे प्रकट नहीं किए जा सकते। उस तिथि के बाद वे प्रैस को दे दिए जाएंगे और सदन की ऐसी इच्छा है तो संक्षिप्त संस्मरण की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर समझौता हुआ था जो परिपालित होने पर दोनों देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बना देंगे। सम्मेलन की समाप्ति पर एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य इस सम्बन्ध में दोनों प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा जारी किया

गया था जिस की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आमंत्रित करता हूं ।

मिल के कपड़े पर उपकर

*१०९. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर वह धन राशि बतलायेंगे जिस की उस उपकर के द्वारा प्राप्त होने की आशा है जो हाल में हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के हेतु कपड़ा मिलों के उत्पादन पर लगाया गया है ?

(ख) उस को राज्यों में किस प्रकार वितरित करने का विचार है ?

(ग) क्या इन राशियों के उपयोग के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उपकर से प्राप्त होने वाला कुल संग्रह लगभग ५ करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने की आशा है ।

(ख) और (ग)। माननीय सदस्य का ध्यान १३ फरवरी १९५३ को चिह्नित प्रश्न नम्बर १० के दिए गए उत्तर की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

पंचवर्षीय योजना के संचालन के लिये सलाहकार

*११०. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **योजना** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि उन सलाहकारों के कृत्य क्या होंगे जो कि पंचवर्षीय योजना के संचालन के सम्बन्ध में तीन क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : योजना आयोग द्वारा सब राज्य सरकारों को सम्बोधित अक्टूबर ३०, १९५२ के पत्र की एक नकल जिस में कार्यक्रम प्रशासन के सलाहकारों के कृत्य दिए गए हैं, सदन पटल पर रखा है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१**]

कोक बनाने का संयन्त्र

*१११. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **उत्पादन** मंत्री कृपाकर बतलायेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोक बनाने का संयन्त्र कब उत्पादन आरम्भ करेगा;

(ख) इस समय सिन्द्री फैक्टरी में संचित कोक की मात्रा क्या है;

(ग) वर्तमान संचित राशि कितने काल के लिए पर्याप्त होगी;

(घ) क्या संचित कोक की कोई मात्रा नष्ट हो गयी है; और

(ङ) यदि ऐसा है तो, सरकार को प्राक्कलित क्षति क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जैसा कि मैं इस सदन में डाक्टर राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गए २१ नवम्बर १९५२ के तारांकित प्रश्न नम्बर ५३५ के उत्तर में बतला चका हूं, कोक भट्टी संयन्त्र सिन्द्री खाद तथा रसायन लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है । आशा की जाती है कि वह १९५४ के मध्य के लगभग उत्पादन शुरू कर देगा ।

(ख) १४-१-१९५३ को संचित राशि १,५७,००० टन थी ।

(ग) वर्तमान संचित राशि की, भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी, जिस के साथ सिन्द्री खाद तथा रसायन लिमिटेड का अप्रैल १९५३ तक परिसिद्ध एक संविदा है, से प्राप्त साधारण पूर्तियों के सहित लगभग १९५३ के अन्त तक पर्याप्त होने की आशा है ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

काश्मीर के साथ संवैधानिक सम्बन्ध

* ११२. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या जुलाई १९५२ का काश्मीर के साथ संवैधानिक सम्बन्धों पर दिल्ली समझौता पूर्ण रूप से परिपालित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि किस समय तक ऐसे उपबन्ध जैसे कि वित्तीय एकीकरण और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्बन्धी, परिपालित किए जायेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख)। मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस उत्तर की ओर आमंत्रित करूंगा जो कि मैंने लोक सदन में १८ नवम्बर १९५२ को अल्प सूचना प्रश्न नम्बर २४ के जवाब में दिया था। उस उत्तर में मैंने जुलाई १९५२ के भारत-काश्मीर समझौते के उपबन्धों के परिपालन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही लक्षित की थी।

राज्य की विधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा उस समझौते को स्वीकार कर लिया है। समझौते का एक भाग जो कि अभी परिपालित होना है, उस को राज्य के उस नए संविधान में स्थान पाना होगा जो कि विधान सभा बना रही है। विलम्ब का एक कारण जम्मू प्रान्त के भागों में चलाया जाने वाला आन्दोलन रहा है।

टेलीविजन फ़िल्म

*११३. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पहली टेलीविज़न फिल्म भारत में बनाई गई है;

(ख) यदि ऐसा है तो उस की प्रारंभिक अवस्था में अब तक प्राप्त सफलता; और

(ग) यदि नहीं तो क्या निकट भविष्य में उस के बनाने की कोई संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) मैं अनुमान करता हूं कि 'टेलीविज़न फिल्म' शब्द उन फिल्मों की ओर संकेत करता है जो कि टेलीविज़न सर्किटों में प्रयोग के लिए बनी हैं। केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध चलचित्रों को प्रदर्शन के लिए स्वीकृत करने से है और साधारणतया उस को भारत में निर्मित फिल्मों की सूचना नहीं प्राप्त होती उन फिल्मों को छोड़ कर जो कि फिल्म नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड को प्रमाणन के लिए प्रेषित की जाती हैं।

(ख) और (ग)। प्रश्न नहीं उठता।

तंजोर तथा त्रिचनापली में बंवडर–सहायत

*११४. **श्री नम्बियार** : क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या उन को मद्रास राज्य के तंजोर तथा त्रिचनापली जिलों के बवंडर से प्रभावित लोगों की सहायता के अनुदान के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख)। केवल एक अभ्यावेदन पुदुक्कोत्ताई बवंडर सहायता समिति से प्राप्त हुआ था। इस से स्वतंत्र, मद्रास के मुख्यमंत्री से मद्रास राज्य में बवंडर से हुई क्षति और हानि सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में से मद्रास के राज्याल को ३०,००० रुपए बवंडर प्रभावित क्षेत्रों में विपत्ति की सहायता के हेतु भेजे गए थे। एक और २,३५० रुपए की राशि भी जो कि प्रधान मंत्री के उस राष्ट्रीय सहायता कोष में प्राप्त हुई थी जो कि मद्रास बवंडर सहायता के लिए निश्चित था, मद्रास के राज्य पाल को भेज दी गई थी। प्रधान मंत्री की अपील के उत्तर में कुछ अंशदान सीधे मद्रास सरकार को किए गए थे।

शिशु-भोजनों का आयात

***११५. श्री माधव रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने चालू अनुज्ञापन काल में ८० प्रतिशत तक शिशु भोजनों के आयात कम कर दिए हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं। इस के विपरीत चालू अनुज्ञापन काल में सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से पिछले वर्ष में २० प्रति शत के विरुद्ध शिशु भोजनों के लिए कोटा का प्रतिशत भाग १०० प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही डालर तथा दुर्लभ मुद्रा देशों से चूर्ण किए हुए दूध (शिशु को पिलाने के लिए) के आयात के लिए अनुज्ञप्तियां २० प्रति शत कोटे के आधार पर स्वीकृत हैं। नवागंतुकों द्वारा आयात अनुज्ञप्तियों के लिए प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किए जाते हैं।

निर्यात मंत्रणा परिषद् की सिफारिशें

***११६. श्री माधव रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि उस निर्यात मंत्रणा परिषद् की, भारत के निर्यात व्यापार को उन्नत करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सिफारिशें क्या हैं, जिस की दिसम्बर १९५२ के महीने में दिल्ली में बैठक हुई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२**]

डिब्रूगढ़ नगर का कटाव से रक्षण

***११७. श्री अमजद अली** :(क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि डिब्रूगढ़ नगर के कटाव से रक्षण के लिए ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित बांध का निर्माण कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

(ख) आसाम में अगली वर्षा शुरू होने से पूर्व डिब्रूगढ़ नगर के कटाव को रोकने के लिए अब तक यदि कोई कार्यवाहियां की गई हैं तो वह क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य की सरकार कार्य के संचालन के लिए उत्तरदायी है। जैसे ही आवश्यक प्राथमिकतायें पूरी हो जायेंगी वैसे ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

साइकिल उद्योग

***११८. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या साइकिल उद्योग के विषय में आयात निर्यात कर आयोग की जांच पूरी हो गयी है; और

(ख) क्या इस उद्योग का रक्षण काल और बढ़ा दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, ३१ दिसम्बर १९५३ तक।

अखिल-भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योगों के पर्षद

***११९. श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योगों के पर्षदों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह काम का कार्यक्रम क्या है जो उन्होंने चालू वर्ष के लिए बनाया है ?

(ग) क्या पृथक् खादी तथा ग्राम उद्योगों के कोष बनाए गए हैं और यदि ऐसा है तो प्रत्येक में राशि क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योगों का बोर्ड (पर्षद्) २ फरवरी १९५३ को उद्घाटित किया गया था।

(ख) चालू वर्ष के लिए बोर्ड ने अखिल भारतीय बुनकर संघ को ९ लाख रुपए के एक अनुदान तथा ३० लाख रुपए के एक कर्ज़ की सिपारिश की है। अनुदान उत्पादन पर तथा मज़दूरी और विक्रय को सहायता देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों पर खर्च किया जाना है, और कर्ज़ खादी उत्पादन के लिए सूत खरीदने के लिए है। इन सिपारिशों की अब जांच की जा रही है।

बोर्ड ने अपने काम के कार्यक्रम पर सोच विचार के लिए समितियां बनाई हैं और इन समितियों की रिपोर्टों पर सोच विचार करने के लिए उसकी अगले मास बैठक होने की आशा है।

(ग) एक खादी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। ग्राम उद्योगों के लिए एक पृथक् कोष बनाने का प्रस्ताव नहीं है किन्तु फिर भी इस प्रयोजन के लिए साधारण रूप से आय व्ययक प्रावधान किया जायेगा।

कपड़ा निर्यात

*१२१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे कि कहां तक भारत सरकार की उस घोषणा ने, जिसके द्वारा कपड़े पर निर्यात कर मूल्यानुसार २५ से १० प्रतिशत घटा दिया गया है, विदेशी बाज़ारों में भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता को सुधारा है?

(ख) इस वर्ष के अन्त तक १००० प्रयुत के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की दृष्टि से भारत तथा अन्य देशों के बीच क्या कोई विशेष समझौता हुआ है?

(ग) क्या सरकार ने इस निर्यात के फलस्वरूप वस्त्रों के घरेलू मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए कार्यवाहियां की हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) कमी इसी उद्देश्य से की गई थी किन्तु उसके प्रभाव को आंकना अभी समय से बहुत पूर्व है।

(ख) नही। फिलहाल हमारे निर्यात सभी देशों को मुक्त रूप से अनुज्ञप्त हैं।

(ग) सरकार अपनी निर्यात नीति के कारण ऐसी किसी बढ़त की आशा नही करती। कुछ प्रकार के कपड़ों के सम्बन्ध में, जिनकी निर्यात मांग है, अब भी आन्तरिक विक्रयों पर मूल्य नियन्त्रण रखा गया है।

काश्मीर असैनीकरण वार्तालाप

*१२२. **श्री के० जी० देशमुख:** क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे।

(क) क्या फरवरी १९५३ के मास में जिनेवा में काश्मीर असैनीकरण वार्तालाप फिर से प्रारम्भ की जाने वाली है;

(ख) क्या भारत ने उक्त वार्तालाप में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण स्वीकार किया है; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो जिनेवा को जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कौन कर रहा है?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). जी हां, डा० ग्राहम ने चार फरवरी को जिनेवा में काश्मीर प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बातचीत पुनः प्रारम्भ की हैं।

(ग) श्री गिरजा शंकर बाजपेयी।

सांभर झील के निवासियों की मांगें

*१२३. **श्री गिडवानी :** (क) क्या उत्पादन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सांभर झील के निवासियों ने नमक व्यापार के एक उचित भाग की मांग की है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि १८ जनवरी १९५३ को, एक विरोध सभा तथा उस स्थान के नागरिकों का जलूस आयोजित किया गया था, जबकि नमक नियंत्रण आदेश को उठा लेने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था ।

(घ) क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना पर सोच विचार किया है ?

(ङ) यदि ऐसा है तो उनका निर्णय क्या है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां । (ख) विषय अभी विचाराधीन है ।

(ग) सरकार को एक ग़ैर सरकारी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि १८ जनवरी १९५३ को सांभर के कुछ नागरिकों की एक सभा हुई थी जिसमें नमक के विनियंत्रण का अनुग्रह करने वाला एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ।

(घ) और (ङ) यह मामला भी विचाराधीन है, और सामग्रियों के नियंत्रण की समिति की, जो आम नियंत्रणों के प्रश्न पर सोच विचार कर रही है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

नान्दीकोन्डा योजना

*१२४. **श्री एन० आर० नायडू :** (क) क्या योजना मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नान्दीकोन्डा योजना की अन्तिम जांच के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि जांच संचालन का उत्तरदायित्व मद्रास सरकार पर छोड़ दिया गया है ?

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या मद्रास सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के ऊपर कोई केन्द्रीय देख रेख है ?

(घ) क्या जांच के साथ हैदराबाद सरकार भी मिला ली गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक कृष्णा नदी योजना के परिक्षेत्र के निरूपित न होने के कारण यह नहीं ज्ञात है कि क्या नान्दीकोन्डा योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेगी । इस योजना सम्बन्धी जांचें चल रही हैं ।

(ख) जी हां । जहां तक उस सरकार का सम्बन्ध है ।

(ग) अनुसन्धान योजना आयोग द्वारा नियुक्त शिल्पिक समिति की आम देख रेख में चल रहे हैं ।

(घ) हैदराबाद सरकार योजना के अपने भाग के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है ।

फ़िल्म उद्योग

*१२५. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर:** (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ?

(ख) क्या हाल में फिल्मों के सेंसर को शासित करने वाले नियमों तथा नीति में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

(ग) गत एक वर्ष में सेंसर बोर्ड द्वारा कितने चित्र पूर्णतः अस्वीकृत कर दिए गए थे ?

(घ) सेंसर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को शासित करने वाली कसौटी क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

(क) फिल्म जांच समिति ने कुछ सिपारिशें की हैं जो विचाराधीन हैं।

(ख) सेंसर करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड के सम्मुख रखी गई फिल्मों की और बारीक छानबीन तथा फिल्मों के प्रमाणित ढंग से प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के हेतु चलचित्र (सेंसरशिप) नियम, १९५१ में कुछ योग किए गए हैं।

(ग) १९५२ के पत्री वर्ष में फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा २८ फिल्में पूर्णतः अस्वीकृत कर दी गई थीं।

(घ) बोर्ड की सदस्यता के हेतु कोई अर्हताएं विहित नहीं की गई हैं। सभापति को छोड़कर, जो एक शासकीय व्यक्ति है, फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड में ७ सदस्य हैं; सदस्यगण सार्वजनिक जीवन से लिए जाते हैं।

हल्के संगीत को प्रोत्साहन

*१२६. **श्री दामोदर मेनन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे

(क) अखिल भारतीय आकाश वाणी द्वारा प्रसारित फिल्मी रेकार्डों को प्रतिस्थापित करने के हेतु हल्के संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए क्या एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या योजना केवल हिन्दी तक ही सीमित रहेगी; और

(ग) क्या योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विभिन्न भारतीय भाषाओं के संगीत-क्षेत्र के व्यक्तियों से परामर्श लेने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पूर्ण होने पर योजनाएं देश के सभी भागों में उपलब्ध प्रतिभाओं के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करेंगी।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय चाय बाज़ार का प्रवर्जन

*१२७. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :—

(क) क्या उस देश में भारतीय चाय बाज़ार के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चाय व्यापार के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो, उस समझौते का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध नम्बर २३]**

हल्के संगीत को लोकप्रिय बनाना

*१२८. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या हाल में फिल्म संगीत को छोड़कर अन्य हल्के संगीत को आकाशवाणी के द्वारा लोकप्रिय बनाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) सम्मेलन में कौन उपस्थित हुए थे और उसके ठोस सुझाव क्या थे ?

(ग) इस दिशा में प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए क्या कार्यवाहियां की जाने वाली हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां । फिल्मी गीतों को प्रतिस्थापित करने के लिए अच्छे हल्के संगीत का पर्याप्त संचय बनाने के लिए अखिल भारतीय आकाशवाणी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर सोच-विचार करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में एक बैठक हुई थी ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) की गई आम सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

भारतीय गस्ती दल पर पाकिस्तानी फ़ौजों द्वारा गोली चलाना

*१२९. **सरदार ए० एस० सहगल** क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे :

(क) क्या यह एक तथ्य है कि ३ और ४ जनवरी १९५३ को भारतीय संघ सीमा पर गारो पहाड़ियों में स्थित पाकिस्तानी सशस्त्र फ़ौजों ने खूब गोलियां चलाना शुरू किया जबकि महादेव कैम्प की भारतीय सीमा फ़ौजें मेमनसिंह गारो पहाड़ियों की सीमा पर बागमारा और नाहेशकोल के बीच गश्त लगा रही थीं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि अन्धाधुन्ध गोली चलना जारी रहा, और यदि ऐसा है तो कितने घंटों या दिनों तक;

(ग) दोनों तरफ कितने व्यक्ति आहत हुए और मारे गए; और

(घ) क्या इस घटना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है और किस परिणाम के साथ ?

प्रधान मंत्री के संसद् सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विस्तृत सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) आसाम सरकार ने पूर्वी बंगाल सरकार से विरोध प्रकट किया है । उन्होंने तात्कालिक संयुक्त जांच के लिए और इस अनुत्तेजित हमले के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध भयोत्पादक कार्यवाही के लिए ज़ोर दिया है ।

'युद्ध नहीं' घोषणा

*१३०. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे कि क्या हाल में दोनों सरकारों द्वारा एक 'युद्ध नहीं' घोषणा के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच कोई पत्र व्यवहार हुआ है ?

(ख) यदि ऐसा है तो, क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है और ऐसी किसी घोषणा में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख)। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ है और वह अभी जारी है । वह 'युद्ध नहीं' घोषणा के अतिरिक्त बहुत से अन्य विषयों से सम्बन्ध रखता है ।

राजस्थान में सामुदायिक विकास योजनाएं

*८५. **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) आजकल राजस्थान में सामुदायिक विकास योजनाओं सम्बन्धी काम की प्रगति;

(ख) क्या जिला विकास समिति तथा योजना मंत्रणा समितियां बना ली गई हैं;

(ग) उस राज्य में काम की प्रगति की देखरेख कौन कर रहा है;

(घ) राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अभिपूर्ति के लिए कौन से क्षेत्र चुने जायेंगे;

(ङ) सामुदायिक योजनाओं के लिए क्षेत्रों का चुनाव राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सामुदायिक प्रशासन द्वारा किया जाता है; और

(च) किसी राज्य में सामुदायिक योजना के लिए क्षेत्रों के चुनाव के आधार क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) कृषि तथा पशु कृषि कर्म के क्षेत्र में मुख्यतः खाद के गड्ढों को खोदने का काम रहा है । दिसम्बर और जनवरी में रायसिंह नगर में ८०० खाद के गड्ढे १४० सुमेरपुर में और १०० डुंगरपुर में खोदे गए थे। कृषकों को तिक्तालु शुल्बीय वितरित किया गया था । जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, डुंगरपुर में पांच टैंकों में काम किया जा रहा है। नए नल कूप गलाए गए हैं । खन्देल सहायक नहर पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है । काम करने वालों ने १,२०,००० घन फीट जमीन पूरी कर ली है। इससे राजस्मंद झील का खन्देल टैंक से सम्बन्ध हो जायेगा और १४,००० एकड़ जमीन की सिंचाई को लाभ पहुंचाएगा । वारने में एक जल निकास खाई बनाई गई है और १५ पीने के पानी के कुएं साफ किए गए हैं ।

विद्या के क्षेत्र में, वारन, डुंगरपुर, रायसिंह नगर तथा सुमेरपुर में ५० जवाहर बाल मन्दिरों (प्राथमिक स्कूल) ने काम करना शुरू कर दिया है । १२ वयस्क शिक्षा केन्द्र मय महिला मण्डलों के डूंगरपुर में खोले गए हैं और ३०० वयस्क पढ़ाई पढ़ रहे हैं । संचार के क्षेत्र में, अलवर में ४५० फीट कच्ची सड़क बनाई गई है मुख्य रूप से गांव वालों के अवैतनिक प्रयास से और बारन ब्लाक में पांच मील लम्बी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। सुमेरपुर ब्लाक में एक मील लम्बी और २२ फीट चौड़ी पहुंचने की सड़क पूर्ण होने के निकट है । सभी विकास ब्लाकों में एक आम सफाई आन्दोलन चलाया जा रहा है ।

योजना सलाहकार समितियां बना दी गई हैं ।

(ग) सामुदायिक योजनाओं के संचालक श्री जी० के० अहूजा ।

(घ) मैं १० नवम्बर १९५२ को लोक सदन में तारांकित प्रश्न नम्बर ३८ के भाग (ख) और (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आमंत्रित करता हूं ।

(ङ) और (च) । ४ जून १९५२ को लोक सदन में तारांकित प्रश्न नम्बर ४८१ के (ग) तथा (घ) भागों की ओर ध्यान आमंत्रित करता हूं ।

सिन्द्री रसायनिक खाद फ़ैक्टरी में उत्पादन

***८६. श्री कर्णी सिंह जी** : क्या उत्पादन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) १९५२ में सिन्द्री रासायनिक खाद फैक्टरी के उत्पादन की कुल मात्रा; और

(ख) राजस्थान के विशेष संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को निर्दिष्ट मात्रा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १,७२,५१९ टन तिक्ताल शल्बीय ।

(ख) प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्री से सम्बन्ध रखता है। उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है। १९५२ में मय राजस्थान के विभिन्न राज्यों के तिक्तालु शुल्बीय के कुल विभाजन और सिन्द्री फैक्टरी से असम्बद्ध निर्दिष्ट मात्रायें निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	आबंटनी कुल विभाजन	सिन्द्री फैक्टरी से असम्बद्ध
	टन	टन
(१) मद्रास	१,६३,०००	५२,५७६
(२) उत्तर प्रदेश	४१,०००	३६,७५०
(३) बम्बई	३०,०००	५,०००
(४) बिहार	२,०२०	२,०००
(५) पश्चिमी बंगाल	१३,०००	६,५००
(६) पूर्वी पंजाब	३,५००	१,०००
(७) उड़ीसा	५,०००	५००
(८) मध्य प्रदेश	९,०००	७,०००
(९) आसाम	५००	५००
(१०) हैदराबाद	१२,२००	१,०००
(११) मैसूर	३,४५०	,,
(१२) मध्य भारत	३७५	,,
(१३) राजस्थान	७००	,,
(१४) भोपाल	५००	,,
(१५) अजमेर	६५	,,
(१६) दिल्ली	७००	,,
(१७) कुर्ग	३३	,,
(१८) हिमाचल प्रदेश	७०	,,
(१९) त्रिपुरा	३	,,
(२०) कच्छ	१०	,,

खनिज पदार्थों का आयात

८७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या सरकार निम्नलिखित सूचनायें देते हुए गत चार वर्षों में भारत में खनिज पदार्थों के आयात पर एक विवरण सदन पटल पर रखने का विचार कर रही है :—

(१) प्रत्येक वर्ष आयात किए जाने वाले खनिज पदार्थों की सूची, उनकी मात्रा, उनका मूल्य और निर्यात का देश ;

(२) वे प्रयोजन जिनके लिए ये खनिज पदार्थ भारत में आयात किए गए थे; और

(३) इन आयातों से प्रत्येक वर्ष की कुल प्रवेश्य कर आय ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (१) और (२) अदह, हरिशुल्बिज, टंकण, चीनी मिट्टी, लिखिज, भास्वीय, नमक, सीसा, और अयोयस्क तथा गंधक सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा हुआ है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५**] यदि माननीय सदस्य किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में सूचना निर्दिष्ट कराना चाहते हैं तो सूचना एकत्रित की जाएगी और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(३) सूचना उपलब्ध नहीं है।

काश्मीर-विवाद

८८. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे :

(क) सुरक्षा परिषद के काश्मीर पर पिछले प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र में काश्मीर प्रश्न की क्या दिशा है ;

(ख) क्या अब भी डाक्टर ग्राहम का कर्तव्य कोई हल ढूंढना है अथवा उनकी कार्यावधि समाप्त हो गई है; और

(ग) क्या डाक्टर ग्राहम के साथ कोई और बातचीत हुई है अथवा उन्होंने या संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने कोई प्रस्ताव किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) से (ग)। जम्मू और काश्मीर राज्य सम्बन्धी सुरक्षा परिषद का २३ दिसम्बर

का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। परिषद ने डाक्टर ग्राहम से समझौता कराने के प्रयत्नों को जारी रखने की प्रार्थना की थी। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सुरक्षा परिषद के २३ दिसम्बर वाले प्रस्ताव के आधार पर किसी विषय पर सोच विचार नहीं कर सकती किन्तु वह पूरी तौर से, समझौता का कोई रास्ता ढूंढने के विचार से, डाक्टर ग्राहम के साथ बातचीत करने को तैयार थी। आजकल डा० ग्राहम जिनेवा में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

इन्डोनीशिया के साथ व्यापार

८९. **सरदार हुक्म सिंह** :(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि १९५२ में इंडोनेशिया के साथ व्यापार (निर्यात और आयात अलग अलग) का मूल्य क्या था ?

(ख) आयात की गई मुख्य वस्तुयें क्या थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) जनवरी से नवम्बर १९५२ के ११ महीनों में भारत के इंडोनेशिया को निर्यातों (पुनः निर्यातों सहित) का मूल्य लगभग ४८२ लाख रुपये था। उसी काल के आयात १२९ लाख रुपए के थे।

(ख) मुख्य आयात की गई वस्तुयें पीडज्वाल तैल, खादें, काच्यक तैल, मट्टी का तेल, पेट्रोल तथा आवश्यक तैल थीं।

व्यापार संतुलन

९०. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि पूर्व तीन महीनों के मुकाबले में अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर १९५२ में क्या समग्र व्यापार संतुलन की स्थिति में कोई सुधार हुआ था ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस सुधार के होने के लिए कौन सी बातें सहायक थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से कच्ची रूई, गेहूं और अनाज, दालें और आटा के आयात में घटत के कारण था।

स्वीडन के साथ व्यापार

९१. **डाक्टर राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे:

(क) १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५२ से शुरू होने वाले काल में स्वीडन से आयातों और उसको निर्यातों के आंकड़े; और

(ख) क्या वह प्रबन्ध जिसके द्वारा स्वीडन और भारत के बीच व्यापार शासित होता था नवकृत किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी-नवम्बर १९५२ के काल में स्वीडन से भारत में आयात ५५८.४८ लाख रुपए का था, जबकि उसी काल में निर्यात, पुनः निर्यातों सहित, १५९.६९ लाख रुपए का था। दिसम्बर १९५२ मास के व्यापार प्रत्यावर्तन अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत-स्वीडिश व्यापार प्रबन्ध के वर्ष १९५३ के लिए नवकरण के लिए बातचीत चल रही है।

फ़िल्म जांच समिति की रिपोर्ट

९२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री कृपा कर २३ दिसम्बर १९४९ को पूछे गए तारांकित प्रश्न नवम्बर ८९७ के उत्तरों तथा श्री एच० वी० कामत द्वारा उठाये गये अनुपूरक प्रश्नों और विवरण ५ की क्रम संख्या १ जिसमें भारत की विधान

सभा के नवम्बर-दिसम्बर अधिवेशन १९४९, में दिये गये आश्वासनों पर की गई कार्यवाई दिखाई गई थी, की ओर निर्देश करेंगे और बतलायेंगे :

(क) क्या उसके बाद से फ़िल्म जांच समिति की ऐसी सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए विधान बनाने के हेतु कार्यवाहियां की गई हैं, जिनके लिए विधान मंडल की मंजूरी आवश्यक है ;

(ख) फ़िल्म जांच समिति की सिफ़ारिशों और रिपोर्ट पर विचार करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या समुन्नति और सुधार किए गए हैं, और फ़िल्म उत्पादन में सुधार करने के सम्बन्ध में की गई अन्य कोई कार्यवाही ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) कुछ सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार हो रहा है और इस सम्बन्ध में फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की राय लेने के हेतु कार्यवाही की जा रही है। जहां तक अन्य सिफ़ारिशों का सम्बन्ध है, उनको लागू करने के मार्ग में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं।

(ग) आजकल केन्द्रीय सरकार की शक्तियां "चलचित्रों को लोकप्रदर्शन के लिए मंजूरी देने" तक सीमित ह और उत्पादन तक नहीं विस्तृट होतीं।

बहु सूत्री नदी घाटी परियोजनाएं

९३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री कृपा कर श्री एच वी. पटास्कर द्वारा ४ जून १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न नम्बर ४९७ के उत्तर तथा उस विवरण, की क्रमसंख्या नम्बर ९२ में दी गई सूचना, जिसमें लोक सदन के प्रथम अधिवेशन में दिए गए आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाहियां दिखाई गई हैं, की ओर निर्देश करेंगे और बतलायेंगे :

(क) क्या प्रश्न की प्रत्येक नदी घाटी परियोजनाओं की संशोधित प्राक्कलित लागत में कोई और संशोधन किया गया है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा तुलनात्मक विवरण रखने का विचार करती है जिसमें संशोधित प्राक्कलन और मौलिक तथा पश्चाद्वर्ती आंकड़े, किए गए परिवर्तनों के कारण और वह धन राशि जो अब तक किए गए काम की मात्रा पर खर्च की गई है, दिखाए गए हैं;

(ग) क्या अब जो प्राक्कलन किए गए हैं वे लगभग अन्तिम हैं और उनका पालन किया जायेगा;

(घ) क्या इन नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्षेप्यक, दुरुपयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या उन पर जांचें की गई हैं; और

(च) क्या उन पर कार्यवाहियां की गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (च) वांछित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

संश्लिष्ट तन्तु

९४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि ऊन को विस्थापित करने वाले संश्लिष्ट तन्तु की क्या स्थिति है, और हमारी ऊन की मांग का कौन सा प्रतिशत भाग, यदि कोई है तो, संश्लिष्ट तन्तुओं द्वारा पूरा किया जा रहा है ?

(ख) हमारे देशी ऊन के उत्पादन की लागत और गुण की तुलना में वह कैसा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) संश्लिष्ट तन्तुओं की केवल एक थोड़ी मात्रा आयात किए गए ऊन के साथ संमिश्रण के लिए उपयोग की जाती है।

(ख) जबकि देशी ऊन भारी ऊनी कपड़ों के काम के लिए होता है, संश्लिष्ट तन्तु आयात किये गये ऊन के साथ संमिश्रित किया जाता है जोकि हल्के कपड़ों के निर्माण में काम आता है। अतः देशी ऊन तथा संश्लिष्ट तन्तुओं के बीच उत्पादन की लागत और कपड़ों के प्रकार में कोई तुलना नहीं की जा सकती।

हिन्दुस्तान नौप्रांगण लिमिटेड

९५. श्री के० के० बसु: क्या **उत्पादन मंत्री** कृपा कर बतलायेंगे:

(क) वह तिथि जब और वे शर्तें जिनके आधीन सिंधिया वाष्प नौपरिवहन कम्पनी से भारत सरकार ने हिन्दुस्तान नौप्रांगण ले लिया था;

(ख) सिंधियाओं को दिए गए प्रतिकर की राशि:

(ग) वह तिथि जबकि कम्पनी एक व्यक्तिगत लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित की गई थी;

(घ) उस व्यक्तिगत लिमिटेड कम्पनी में भारत सरकार तथा अन्य हितों का हिस्सा;

(ङ) कम्पनी के निर्देषकों के नाम; और

(च) कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता का नाम।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): एक विवरण सदन पटल पर रखा हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

नारिकेल तथा नारियल का तैल

९६. श्री वी० पी० नायर: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर सदन पटल पर रखेंगे:

(१) १९५१ और १९५२ में लंका से भारत में आयात किए गए नारिकेल तथा नारियल के तैल का विस्तृत वर्गन, इन वस्तुओं पर वसूल किया गया कुल आयात कर और ऐसे आयात कर की दर तथा वे अभिकरण जिनके द्वारा ये वस्तुयें आयात की गई थीं, दिखाने वाला एक विवरण; और

(२) एक विवरण जिसमें भारत में राज्यानुसार नारिकेल तथा नारियल के तैल के आन्तरिक उत्पादन के विस्तृत विवरण और १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में इन वस्तुओं के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य, दिखाए गए हों?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (१) और (२) मांगी गई सूचना को देने वाले पांच विवरणें सदन पटल पर रखे हैं। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**। जहां तक उन अभिकरणों का सम्बन्ध है जिनके द्वारा ये वस्तुएं आयात की गई थीं, सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सदन-पटल पर रखा जायेगा।

यूगोस्लाव मिशन

९७. सरदार ए० एस० सहगल: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हाल ही में एक यूगोस्लाव मिशन भारत घूमने आया था?

(ख) उस मिशन में कितने सदस्य थे?

(ग) उनके परिवहन आदि के बारे में सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए गए थे?

(घ) सरकार ने इस मिशन पर कितना खर्च किया था?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां। दिसम्बर १९५२--जनवरी १९५३ में चार सप्ताह ठहरने के लिए यूगोस्लाविया से एक सद्भावना मिशन यूगोस्लाविया की संघ सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री महामहिम श्री रोडोल जब कोलाकोविक के नेतृत्व में भारत आया था।

(ख) नेता सहित मिशन में पांच सदस्य थें।

(ग) उनके भारत में ठहरने के समय में मिशन के सदस्यों को राज्य आतिथ्य प्रदान किया गया था। अधिकतर उन्होंने सरकारी हवाई जहाज से यात्रा की और एक या दो मौकों पर ट्रेन से।

(घ) चूंकि विभिन्न राज्यों में हुए खर्चे अभी तक प्राप्त नही हुए हैं, अतः वर्तमान अवस्था में सरकार द्वारा इस मिशन पर किया गया खर्च बताना संभव नहीं है। उसके ३५,००० रुपए से बढ़ जाने की आशा नहीं की जाती।

अर्थ-साहाय्य प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना

९८. **श्री बंसल** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) (१) राज्य सरकारों,
(२) वैधानिक गृह-व्यवस्था मण्डलों,
(३) औद्योगिक मज़दूरों की पंजीबद्ध सहकारी संस्थाओं, और
(४) नियोजकों

से अर्थ-साहाय्य प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के आधीन ३१ जनवरी १९५३ तक प्राप्त अर्थ-साहाय्यों तथा। अथवा ऋणों के अनुदान के लिए प्रार्थना पत्रों की संख्या।

(ख) उक्त चार श्रेणियों में आने वाले प्रार्थियों द्वारा मांगे गए अर्थ-साहाय्यों तथा ऋणों की कुल राशि और मंजूर की गई राशि; तथा

(ग) उक्त प्रत्येक श्रेणी के प्रार्थियों द्वारा बनाए जाने वाले प्रगृहों की लगभग संख्या ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]**

मनीपुर में नमक के कुएं

९९. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) मनीपुर में कितने नमक के कुएं हैं और उनमें से कितने अच्छी दशा में हैं;

(ख) इन कुओं से किस प्रकार के नमक उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इन कुओं से उत्पादन बढ़ रहा है अथवा घट रहा है;

(घ) इन नमक के कुओं को सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में इन नमक के कुओं को विस्तृत करने की कोई संभावना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ङ)। मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन को दी जाएगी।

बर्मा को निर्यातें

१००. **श्री बी० एन० राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) १९५१-५२ में बर्मा को निर्यात किए गए भारतीय पदार्थ और भारत में आयात की गई बर्मी वस्तुएं;

(ख) क्या १९४९-५० और १९५०-५१ में किए गए निर्यातों की तुलना में १९५१-५२ में बर्मा को निर्यात बढ़ गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस देश को भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के मार्ग की मुख्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए कारण तथा की जाने वाली कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : "जनवरी से मार्च १९५२ की देशों तथा मुद्रा क्षेत्रों से भारत के वैदेशिक व्यापार की सांख्यकी" (वाणिज्यिक समाचार और सांख्यकी के प्रधान संचालक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित), के ६२-६४ पृष्ठों की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में है।

(ख) और (ग) १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत के बर्मा को निर्यात क्रमशः १४ करोड़ रुपए, २२ करोड़ रुपए और १९.६ करोड़ रुपए के थे। पिछले वर्ष के निर्यातों की तुलना में १९५१-५२ के निर्यातों के कुल मूल्य में थोड़ी कमी मुख्यतः व्यापार में सामान्य विश्रान्ति और मूल्यों में कमी के कारण है, जोकि कोरियाई युद्ध से उत्पन्न अभिवृद्धि परिस्थितियों को समाप्ति के उपरांत १९५१-५२ के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। १९५२ में व्यापार के सामान्य पुनर्जीवन के साथ ही, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की अपनी निर्यात स्थिति सुधर गई है।

भवन निर्माण के लिये विशेषज्ञों की समिति का प्रतिवेदन

१०१. श्री एस० एन० दास : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री कृपाकर बतलायेंगे :

(क) क्या सरकार ने अन्तिम रूप से भवन निर्माण के लिए विशेषज्ञों की समिति के प्रतिवेदन पर सोच विचार कर लिया है; और

(ख) कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार तथा परिपालित की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सिफारिशों की भारत सरकार द्वारा परीक्षा हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास (उत्पादन तथा आयात)

१०२. श्री के० जी० देशमुख : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपाकर बतलायेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ में भारत में कच्ची कपास का कुल लगभग उत्पादन;

(ख) कपास की गांठों की कुछ संख्या जो भारतीय मिलों के उपभोग के लिए आवश्यक होती हैं; और

(ग) उसी वर्ष में सरकार द्वारा विदेशी कपास के क्रय के लिए किए गए संविदे, यदि कोई हैं तो ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) ३३.६ लाख गांठें।

(ख) ४३.८३ लाख गांठें।

(ग) वर्ष १९५२-५३ में सरकार ने विदेशी कपास के क्रय के लिए कोई संविदा नहीं किया है।

पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य नियतीकरण

१०३. डा० अमीन : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद पर उसका मूल्य नियत करने से पूर्व तैल कम्पनियों को कितना लाभ–प्रत्यन्तर स्वीकृत है ?

(ख) वे कौन से मद हैं जो प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद का मूल्य-ढांचा है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) माननीय सदस्य को निस्सन्देह ज्ञात है कि पैट्रोलियम उत्पादों पर कोई वैधानिक मूल्य नियंत्रण नहीं हैं। अतः यथार्तः सरकार द्वारा किसी विशेष पैट्रोलियम उत्पाद के सम्बन्ध में कोई विशेष लाभ-प्रत्यन्तर स्वीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

(ख) महत्वपूर्ण पैट्रोलियम उत्पाद का मूल्य आधारतः मैक्सिको की खाड़ी में अभिभावित बन्दरगाह पर निःशुल्क मूल्य द्वारा निश्चित होता है और निम्नलिखित मदें अन्तिम मूल्य पर प्रभाव डालती हैं :—

(१) सागर परिवाहन शुल्क;

(२) बीमा;

(३) निराक्राम्य तथा उत्पादन शुल्क;

(४) उपरिव्यय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय, और

(५) लाभ।

बनारसी सिल्क तथा जरी (सं० ए० अमेरिका को निर्यात)

१०५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में सं० रा० अमेरिका को निर्यात की गई बनारसी सिल्क तथा जरी की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं;

(ख) सं० रा० अमेरिका में इन वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर क्या है; और

(ग) क्या यह कर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सं० राज्य सीमान्त प्रशुल्क के वे पैराग्राफ दिखाए गए हैं जिनके आधीन बनारसी सिल्क और ज़री कर तथा कर की सुसंगत दर के लिए परिगणित हो सकती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ग) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में असिस्टेंट्स और क्लर्क

१०६. श्री एन० प्रभाकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति अपने साढे बारह प्रतिशत के आरक्षित कोटा में इस मंत्रालय में वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में असिस्टेंटों तथा क्लर्कों के रिक्त स्थान पर भर्ती अथवा पदोन्नत किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है।

विवरण

अनुसूचित जातियों के उन व्यक्तियों की संख्या जो अपने साढे बारह प्रतिशत के कोटा में इस मंत्रालय में वर्ष १९५०-५१ तथा

१९५१-५२ में असिस्टेंटों तथा क्लर्कों के रिक्त स्थान पर भर्ती अथवा पदोन्नत किए गए हैं

	उन अनुसूचित जाति वालों की संख्या जो असिस्टेंट के पद पर भर्ती अथवा पदोन्नत किए गए।	उन अनुसूचित जाति वालों की संख्या जो क्लर्कों की तौर पर भर्ती किए गए।
	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५०-५१	१९५१-५२
भूत पूर्व वाणिज्य मंत्रालय	४	—	१	—
भूतपूर्व उद्योग तथा रसद मंत्रालय	..	..	..	..
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	..	..	..	..

दिल्ली राज्य में सामुदायिक योजनाएं

१०७. **श्री एन० प्रभाकर:** (क) क्या **योजना** मंत्री कृपाकर बतलायेंगे कि क्या कोई सामुदायिक योजना दिल्ली राज्य में वास्तविक रूप से शुरू कर दी गई है और यदि ऐसा है तो अब तक की प्रगति क्या है ?

(ख) दिल्ली राज्य में सामुदायिक योजना के प्रत्येक खण्ड के सम्बन्ध में प्रथम वर्ष के लिए काम का कार्यक्रम क्या है ?

(ग) योजना तथा सहायक योजना पदाधिकारियों का वेतन और अर्हताएं क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां। एक कच्ची सड़क बनाई गई है और वह पक्की कर दी जायेगी। ग्रामस्तर के कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा आयव्ययक आगणन तैयार कर लिए गए हैं और भू-मापन पूरा हो गया है।

(ख) दिल्ली को केवल एक विकास खण्ड बंटित किया गया है। काम का कार्यक्रम अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है।

(ग) योजना कार्यकारी पदाधिकारी का वेतन ३०० रुपए प्रति मास है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एम० ए० है। गत तीन वर्षों से वह जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गुरगांव, पंजाब, था। उसको ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्य का अनुभव है। कोई भी सहायक योजना कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।

शार्क तैल उद्योग

१०८. **श्री एन० प्रभाकर:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे उन संस्थाओं की संख्या जो शार्क तैल उद्योग में प्रणित है, उत्पादन की कुल मात्रायें तथा तैल के औसत मूल्य ?

(ख) वैदेशिक प्रतिस्पर्धा से उद्योग को सुरक्षित रखने के हेतु क्या कोई कार्यवाही की जा रही है, जैसे स्नेहमीन यकृत तैल आदि के आयात और यदि ऐसा है तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) (१) शार्क तैल उद्योग में लगी हुई संस्थाओं की संख्या—तीन

(२) शार्क तैल का उत्पादन

१९५१	१९५२
(प्रति ग्राम ६००० अन्तर्राष्ट्रीय इकाईयों की शक्ति वाले गैलन)	
९,१२३	१९८५७

(३) मूल्य (चालू)

२४ रुपए प्रति गैलन

(ख) विदेशीय विनिमय को बचाने की दृष्टि से स्नेहमीन यकृत तैल के आयात

निर्बन्धित हैं और इसके साथ ही स्नेहमीन यकृत तैल के दुर्गन्धहरण में सहायता करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

नवीन आकाशवाणी केन्द्र

१०९. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे:

(क) गत एक वर्ष में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए नए आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या;

(ख) वे कौन से स्थान हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या गत एक वर्ष में किसी आकाशवाणी केन्द्र की शक्ति बढ़ाई गई है; और

(घ) यदि ऐसा है तो ये कौन से केन्द्र हैं और ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर शक्ति कितनी बढ़ा दी गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) कोई नहीं, महाशय।

(ख) दो आकाशवाणी केन्द्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए काम चालू है।

(ग) नागपुर तथा गौहाटी दोनों वर्तमान १ किलोवाट मध्यम तरंग के पारेषकों के स्थान पर १० किलोवाट मध्यम तरंग।

बड़ौदा में सामुदायिक प्रापक

११०. डा० अमीन: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे:

(क) बड़ौदा जिले में प्रवर्तित सामुदायिक प्रापकों की संख्या; और

(ख) बड़ौदा जिले में उन स्थानों के नाम जहां पर वे अधिष्ठापित किए गए ह, साथ ही प्रत्येक स्थान की आबादी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) १२।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सामाजिक कार्य के लिए संस्थाओं को सहायता

१११. श्री के० सी० सोधिया: (क) क्या **योजना** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या जनसहयोग के लिए राष्ट्रीय मंत्रणा समिति ने सामाजिक कार्य में प्रणित स्वायत्त संस्थाओं की, जोकि अपने काम में सरकार से सहायता के लिए योग्य हैं, एक सूची तैयार की है ?

(ख) ऐसी सहायता के लिए विशेषक शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) जी नहीं। यह काम योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है। वे सिद्धान्त जिनके आधीन सामाजिक कार्य में लगी हुई स्वायत्त संस्थाओं को सहायक अनदान ग्राहय होगा, अभी तक सूचित नहीं हुए हैं किन्तु विचाराधीन हैं।

सिन्द्री रासायनिक खादें, लिमिटेड का उत्पादन

११२. श्री के० सी० सोधिया: क्या **योजना** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे:

(क) १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९५२ का सिन्द्री रासायनिक खादों का कुल उत्पादन;

(ख) (१) केन्द्रीय सरकार,

(२) राज्य सरकारों, और

(३) आम जनता

को बेची गई कुल मात्रा;

(ग) ३१ दिसम्बर १९५२ को स्टाक की कुल मात्रा;

(घ) उसी काल में, विदेशों से तिक्तालु शुल्बीय का कुल आयात, यदि कोई हुआ है तो;

(ङ) सिन्द्री में बने हुए तिक्तालु शुल्बीय की प्रति टन लागत मूल्य क्या है; और

(च) जापानी तिक्तालु शुल्बीय का प्रति टन मूल्य क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) १,४५, १६५ टन ।

(ख) (१) केन्द्रीय सरकार की निजी आवश्यकताएं कुछ नहीं हैं ।

(२) १,२२,७८७ टन, और

(३) २२,५१० टन, केन्द्रीय भण्डार के द्वारा १८,६६५ टन के सहित ।

(ग) ४९,३५० टन

(घ) १,९२,०६७ टन

(ङ) उत्पादन लागत एक गोपनीय विषय है और इसलिए प्रकट नहीं किया जा सकता । सिन्द्री रासायनिक खादें तथा रसायन, लिमिटेड आजकल अपनी रासायनिक खाद केन्द्रीय रासायनिक खाद संकोष को ३१० रुपए प्रति टन सिन्द्री स्टेशन पर भाड़ा सहित, बेचती है ।

(च) भारत सरकार की सूचना निम्नलिखित है :

घरेलू मूल्य ६५।६६४०० डालर प्रति दशमिक टन अथवा ३५० रुपए (लगभग) प्रति दीर्घ टन ।

निर्यात मूल्य ६२।६३४०० डालर अथवा ३३६ रुपए (लगभग) प्रति दीर्घ टन ।

सहकारी गृह-निर्माण मंडलों को ऋण.

११३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या १९५१-५२ तथा चालू वर्ष में भारत सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए किन्हीं सहकारी गृहनिर्माण मण्डलों को कोई ऋण दिए गए हैं और यदि ऐसा है तो दिए गए ऋणों की राशि, इन समाजों के नाम और ऋणों की शर्तें ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : वर्ष १९५१-५२ में सहकारी गृह-निर्माण मण्डलों को विशेषरूप से कोई ऋण नहीं दिया गया था । जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है, २५,६१६ रुपए का एक ऋण और १७,०७८ रुपए की एक आर्थिक सहायता ठक्कर बापा सहकारी गृह निर्माण मण्डल, भावनगर को, ३० प्रभवनों के निर्माण के लिए जो ३० जून तक पूर्ण हो जाना है, आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना में दी हुई शर्तों पर मंजूर किया जाने वाला है । आर्थिक सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए बारह अन्य मण्डलों के प्रार्थनापत्रों की परीक्षा हो रही है ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१७ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५३

सदन की बठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न तथा उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

१९५२-५३ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों सम्बन्धी विवरण

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं एक विवरण प्रस्तुत करता हूं जिस में १९५२-५३ के लिये केन्द्रीय सरकार (रेलवे को छोड़ कर) के व्यय के अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों को दिखाया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** IV. O. I. (72e)]

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब प्रोफैसर शीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा ।

डा० रामराव (काकिनाडा) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस की अनुमति नहीं देता क्योंकि वह राज्य के विषय से सम्बद्ध है । वह केन्द्रीय सरकार के विषय के सम्बन्ध में नहीं है । कुछ बिजली का कार्य राज्य सरकार ने निलम्बित कर दिया है जिस से कुछ व्यक्ति बेकार हो गये हैं । यह सर्वथा राज्य सम्बन्धी विषय है ।

हो सकता है यह गम्भीर विषय हो । परन्तु हम संघीय संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जिस में अनेक राज्य हैं जो कुछ मामलों में स्वायत्त-शासी हैं । हम यह जांच करने का अधिकार नहीं ले सकते कि राज्य सरकारों को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । मुझे माननीय सदस्य ने लिखा है कि यह अन्तर्राज्यिक मामला है । अन्तर्राज्यिक मामला क्या होता है ? मैं राज्य का क्षेत्राधिकार लेना या इस विषय में सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता । राज्यों में भी विधान मंडल हैं जो इस विषय पर कार्यवाही कर सकते हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं अपनी वक्तृता में अधिकांश जम्मू तथा काश्मीर में उत्पन्न स्थिति पर बोलूंगा, क्योंकि मैं इसे आवश्यक समझता हूं कि हमें उसे जल्दी ही सुलझा लेना चाहिये जिस से कि उस राज्य का और समस्त भारत का भला हो ।

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को ले लेता हूं । राष्ट्रपति आइजन होवर के नये विनिश्चय से कि फारमूसा का अवरोध हटाया जायेगा, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विषम हो गई है । इस विषय में प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की है उस से मैं सर्वथा सहमत हूं । हम युद्ध क्षेत्र का विस्तार नहीं चाहते और शांति बनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे ।

वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि हमें कई ओर से वाह वाह तो अवश्य प्राप्त हुई है परन्तु जब भारत का मामला विचारार्थ प्रस्तुत होता है तो हमें उतना समर्थन प्राप्त नहीं होता जितना होना चाहिये । दक्षिणी अफ्रीका, काश्मीर, पाकिस्तान् से सम्बन्ध आदि मामलों पर हमारा पक्ष युक्ति-युक्त होते हुए भी हमें बड़े देशों का समर्थन प्राप्त नहीं होता । मध्य पूर्व प्रतिरक्षा संघटन का मामला हमारे लिये चिन्ताजनक है । यह पाकिस्तान की मर्जी का ही प्रश्न नहीं है, अन्य शक्तियां, जो भारत के प्रति मित्रता-पूर्ण हैं, यह सब कुछ करा रही हैं। प्रधान मंत्री ने इस विषय में अपने विचार स्पष्टतः व्यक्त कर दिये हैं । वाइस-एडमिरल स्लेटर उसी सम्बन्ध में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं । आखिर ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकार का भारत के प्रति इरादा क्या है जो कि हमारे प्रधान मंत्री के मित्र बनते हैं ? जहां तक प्रधान मंत्री को पता है उन्होंने इस मामले में भारत को कुछ नहीं बताया है ।

फिर पाकिस्तान से सम्बन्धों का प्रश्न ह । राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि उन में कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है । यह संतोष की घातक भावना है । क्या सुधार हुआ है ? लोग अधिक संख्या में नहीं आ रहे हैं तो उस का कारण पार-पत्र प्रणाली है, यथापूर्व स्थिति जारी है, फिर कभी ऐसा अवसर आ पड़ेगा जबकि बबूला फूट जायेगा और लाखों लोगों की शान्ति तथा सुख नष्ट हो जायेगा और दोनों देशों के सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे ।

देश की आर्थिक स्थिति को लीजिये । राष्ट्रपति के अभिभाषण से पता लगता है कि पंचवर्षीय योजना से जनता में बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ है । परन्तु तथ्य यह है कि इस ने जनता को आकृष्ट नहीं किया । आशा है कि वित्त मंत्री हमें उस योजना की प्रगति की जानकारी देते रहेंगे ।

सामुदायिक योजना तो ठप्प ही हो गई है । कहीं कहीं अच्छा कार्य हो पाया है, परन्तु सामान्यतः जनता यह अभी नहीं समझ पा रही है कि यह कार्य उन की भलाई के लिये है ।

व्यापार तथा उद्योग में तो मंदी आ ही रही है । माल जमा होता जा रहा है । चाय तथा पटसन उद्योग की बुरी दशा है । इन्हीं से सरकार को विदेशी मुद्रा के रूप में करोड़ों रुपये मिलते हैं। बेकारी बढ़ रही है। नियंत्रण हटने से छंटनी अनिवार्य हो जाती है, परन्तु सरकार के पास इस के लिये कोई योजना नहीं है कि इन सहस्रों की बेकारी को रोका जाये ।

पुनर्वास के विषय में मंत्री महोदय का कथन है कि पुनर्वास लग भग पूरा हो चुका है । परन्तु उन बेचारों की दुर्दशा चल ही रही है । उस दिन सीलदाह के स्टेशन पर दो व्यक्ति मर गये थे । वहां अब भी २५०० शरणार्थी हैं । पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की कोठी पर अब भी भूख हड़ताल जारी है ।

खाद्य के विषय में खाद्य मंत्री कहते हैं कि पर्याप्त खाद्य है । परन्तु फिर भी दुर्भिक्ष है । आज समाचार-पत्रों में छपा है कि त्रिचना-

पली में कुछ लोक भूख से मर गये हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में भी अकाल है। पश्चिमी बंगाल के सुन्दर बन में सहस्रों व्यक्तियों ने भूखे मरते अपनी भूमि बेच दी है।

फिर भाषावार प्रान्तों का प्रश्न है। क्या आप आन्दोलन की प्रतीक्षा करते हैं? यदि इस प्रश्न को सुलझाना चाहते हैं तो एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण नियुक्त कर दीजिये, जो सभी क्षेत्रों के विषय में इस प्रश्न पर विचार करे।

जम्मू और काश्मीर के विषय में हमें तथा प्रजा परिषद् को बदनाम किया गया है। परन्तु एक दूसरे को गाली देने से क्या लाभ है? हमें उचित निर्णय कर लेना चाहिये।

प्रधान मंत्री हम पर सम्प्रदायवाद का आरोप लगाते हैं जो निराधार है। जम्मू के लोग सौ प्रतिशत गलत नहीं हो सकते। उन की बातों पर विचार तो करिये। डोगरा लोग कायर नहीं हैं। उन्हों ने देश की स्वाधीनता के लिये लड़ाई की है। अब उन्हें मारा जा रहा है, उन की नारियों को तंग किया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ऐसा दमन तो अंग्रेज़ी शासन में भी नहीं हुआ। ऐसे इस समस्या का हल नहीं होगा।

वे क्या चाहते हैं? पहला तो राज्य का संघ में प्रवेश का प्रश्न है। उस पर उन का समाधान करिये। सुझाव यह है कि "भारतीय संविधान को स्वीकार कर लीजिये, जिस के निर्माण में श्री जवाहारलाल नेहरू का ही अधिक हाथ था। यह साम्प्रदायिक संविधान नहीं है। यदि यह भारत के चार करोड़ मुसलमानों के लिये अच्छा है तो जम्मू तथा काश्मीर के लिये भी अच्छा क्यों नहीं हो सकता।"

फिर यह कहा गया था कि मूल विषयों सम्बन्धी उपबन्धों को कार्यान्वित किया जाये। वह भी अभी तक नहीं किया गया है। उस का कारण यह बताया जाता है कि आंदोलन शुरू हो गया है! जुलाई से नवम्बर तक कुछ नहीं किया गया। आज यह घोषणा की गई है कि कुछ प्रश्न सुलझाने हैं। कई प्रश्न हैं, मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति की शक्तियां, वित्तीय एकीकरण, सीमा शुल्कों का हटाया जाना आदि। शेख अब्दुल्ला को शत प्रतिशत संविधान स्वीकार्य नहीं है तो वे बतायें कि किस विषय में अपवाद होने चाहियें। फिर हम साथ बैठ कर निर्णय कर सकते हैं। चलिये आप बिना प्रतिकर के राज्य में भूमि लेना चाहते हैं तो हम उस पर आपत्ति नहीं करेंगे। परन्तु अन्य मामलों को तो निबटाइये। देश में एक भाग में सीमा शुल्क होना अपमान की बात है। यदि राज्य को उस के बन्द करने से हानि होती है तो हम उसे पूरा करेंगे, परन्तु सीमा-शुल्क तो बन्द होना ही चाहिये।

झंडे के प्रश्न पर प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम लाल किले पर भगवा झंडा लहराना चाहते हैं। कोई दल शक्ति प्राप्त करने पर झंडे को बदलना चाहे तो इस में क्या पाप है? परन्तु देश भर में एक ही झंडा होना चाहिये। प्रधान मंत्री कहते हैं कि भारत का झंडा सर्वोपरि है और दूसरा झंडा निम्नतर है। यदि ऐसा है तो जम्मू तथा काश्मीर में प्रतिदिन भारत का झंडा ही लहराना चाहिये, राज्य का झंडा विशेष अवसरों पर लग सकता है।

फिर उन की शिकायतों की जांच करने का प्रश्न है। इस के लिये चार सदस्यों का एक आयोग बनाया गया है। उस में एक तो राज्य के मुख्य न्यायाधिपति हैं, बाकी तीन यह हैं--एक राजस्व आयुक्त है, एक महालेखायक है, तीसरा वन संरक्षक है। क्या ये तीन अधिकारी ऐसे मामलों पर विचार कर सकते हैं जिन में उस राज्य की स्थिति को चुनौती दी जाये।

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

भारत के किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और दो न्यायाधीशों का कोई आयोग क्यों नहीं बनाया जाता जो सभी शिकायतों पर विचार करें---आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी बातों पर । बीच में बेचारे महाराजा को क्यों डालते हैं ? उस ने क्या बुरा किया है ? हमें राज्य का एक तिहाई भाग वापिस लेना है जो हम से छिन गया है । हम राज्य के टुकड़े टुकड़े करने का सुझाव नहीं देते । पर यदि सारा राज्य भारत के संविधान को तत्काल स्वीकार नहीं कर सकता तो अंश अंश में स्वीकार कर ले । जम्मू को साम्प्रदायिक क्षेत्रों में बांटा जा रहा है । जम्मू और लद्दाख को अखंड रहने दीजिये ।

प्रधान मंत्री ठीक कहते हैं कि वे शासन की अवज्ञा को सहन नहीं कर सकते । परन्तु प्रजा परिषद् के पास चारा ही क्या है । उन्हों ने दो वर्षों में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा शेख साहिब के पास प्रतिनिधि भेजे परन्तु उन से भेंट नहीं की गई । अब उन्हों ने बाध्य हो कर आंदोलन आरम्भ किया है । मैं शेख साहिब की सराहना करता हूं कि वे ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं कर सके, परन्तु वे तथा पंडित नेहरू जम्मू के लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच सके, और स्थिति को नहीं संभाल सके ।

ज्ञानी जी एस० मुसाफिर (अमृतसर) : पहले एजीटेशन बन्द होना चाहिये ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : चाहे महाराज डोगरा था, परन्तु डोगरा लोगों को सम्प्रदाय के रूप में बुरा नहीं समझना चाहिये । उन के दृष्टिकोण को समझिये । क्या इस का उपचार दमन ही है ? प्रधान मंत्री ने १०० व्यक्तियों की पुलिसजनों आदि की सूची दी है जिन पर आक्रमण किये गये । परन्तु इस का दूसरा पक्ष भी है । उसे जानने के लिये मैं ने तीन विधान सभाइयों तथा अन्य सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को वहां भेजा चाहा, परन्तु उन्हें अनुज्ञा पत्र नहीं दिये गये । एक भी सरकारी व्यक्ति नहीं मारा गया है, परन्तु सरकार के ही अनुसार ११ अन्य व्यक्ति मारे गये हैं । मेरे पास तो २० व्यक्तियों के गायब होने के समाचार हैं । उन में से कुछ व्यक्तियों को मिट्टी के तेल से आग जला कर उस में फेंक दिया गया था । तो सहस्र व्यक्ति जेल में डाल दिये गये हैं जिन में मुसलमान भी हैं । नर नारियों को नंगा किया गया । स्त्रियों को तंग किया गया और उन पर आक्रमण किया गया । क्या यह प्रजातंत्र है ? क्या यह गांधीवाद है ?

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : नहीं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या किसी मुसलमान की हत्या की गई है । फिर सम्प्रदायवाद कहां है ? अब नेशनल मिलिशिया को जिस में शेख अब्दुल्ला की पार्टी के लोग अधिकांश मुस्लिम हैं, इन लोगों को गांवों में छोड़ दिया जायेगा । आप स्वयं सम्प्रदायवाद की ज्वाला में घी डाल रहे हैं । अब विगत को भूल कर के, उन्हें बुलाइये और उन से बात तो कीजिये । हम कोई विदेशी नहीं हैं । हम आपस में क्यों लड़ें ? आप डोगरों को नष्ट नहीं कर सकेंगे । वे वीर हैं, देशभक्त हैं, निडर हैं । मैं प्रेम नाथ डोगरा का हृदय से सम्मान करता हूं । उस की पेन्शन बन्द कर दी गई है क्योंकि राज्य सरकार उन की राजनीति को पसंद नहीं करती ।

जम्मू के कई शरणार्थी ह, जिन का धन जम्मू तथा काश्मीर बैंक में है, पर उन्हें रुपया नहीं निकालने दिया जाता क्योंकि वे दस्तावेज़ उपस्थित नहीं कर सकते । राज्य के उच्च न्यायालय ने उन के पक्ष में निर्णय दे दिया तो अध्यादेश द्वारा बैंक को प्रतिषेध कर

दिया गया कि उनका रुपया नहीं दिया जाये राजा गुलाब सिंह ने धर्मार्थ न्यास बनाया था जो हिन्दू मन्दिरों के परिक्षण के लिये था, उस धन का भुगतान नहीं करने दिया जाता।

यह बात गलत है कि हम ने यह आंदोलन चलाया है। यह उन्हीं का आंदोलन है। हम उन का समर्थन अवश्य करते हैं क्योंकि यह जम्मू का ही संघर्ष नहीं है, यह तो भारत के लोगों का संघर्ष है। प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले को ठीक करें।

यदि श्री नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला डोगरों की युक्तियुक्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिये उद्यत हो जायें तो मामला दस मिनट में सुलझ सकता है। प्रधान मंत्री को इस अवसर पर महानता, उदारता और राजनीतिज्ञता का परिचय देना चाहिये।

चाहे प्रधान मंत्री हम पर कितना भी अविश्वास करें और हमें कितना भी बुरा बतायें परन्तु हमारा भी इस देश में कुछ प्रभाव है। निर्वाचनों में अनेक क्षेत्रों में पैसे और शराब ने अपनी करामात दिखाई।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जिस ढंग से यह आरोप लगाया जा रहा है वह लज्जास्पद है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : ऐसी बात हुई यह वास्तव में लज्जास्पद है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या यह ठीक है कि इस प्रकार के वाद विवाद में माननीय सदस्य ऐसे आरोप लगायें ? इन भयंकर अनुत्तरदायित्वपूर्ण और काल्पनिक आरोपों का लगाना माननीय सदस्य के लिये नितान्त लज्जास्पद है। इस से पता लगता है कि उन का समस्त भाषण किस प्रकार का है, उस के पीछे क्या मनोवृत्ति काम कर रही है और कितना अनुत्तरदायित्व है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उन का आवेश ही इस बात का सब से बड़ा प्रमाण है कि वे इस देश पर शासन करने के अयोग्य हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सज्जन से कहता हूं कि वे शराब और औरतों के विषय में अपने कथन को या तो सिद्ध करें या वापिस लें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने "औरत", तो कभी नहीं कहा। मैंने इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप ने कहा है।

डा० एस० पी० मखर्जी : मैं ने तो पैसा और शराब कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें निर्वाचनों का विषय लाना अनावश्यक है। वह तो सर्वथा प्रान्तीय विषय है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आवेश में आने से कोई लाभ नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे ख्याल में यह केवल माननीय सदस्य का ही अधिकार है कि वे आवेश में आयें और ऐसी बात कहें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : सदा आवेश में आ जाना श्री जवाहर लाल नेहरू का शाश्वत अधिकार है और उस पर झुक जाना हमारा शाश्वत कर्त्तव्य है।

खैर, हमें जम्मू के विषय में कोई हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि कोई आपात-स्थिति आती है, युद्ध की नौबत आती है तो मैं अपने दल की ओर से सरकार को बिना शर्त निष्ठा तथा समर्थन का आश्वासन देता हूं। हमें जम्मू तथा काश्मीर का मामला उस के गुणावगुण पर तय करना चाहिये।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के भाषण पर, जो प्रो० श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस का हार्दिक समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समर्थन इस लिये कर रहा हूं कि मुझ को इस भाषण में न तो कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है जिस की कोई आलोचना की जा सकती हो और न कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है जो अनावश्यक हो। कुछ बढ़ा कर कोई बात कही गई हो या इस में कोई बात शेखी मारने की हो यह दिखाई नहीं पड़ती। जो कुछ सरकार ने किया है जो उस की नीति रही है और उस का जो आगे कार्यक्रम है उस का सीधी सादी सरल भाषा में इस भाषण के अन्दर उल्लेख है। हमारी सरकार जो कर रही है उस के कारण देश की सब दिशाओं में प्रगति हुई है और उन्नति हुई है। उस का स्पष्ट विवरण हम को इस भाषण से मिलता है। किसी अच्छे राष्ट्र के लिये आवश्यक है कि उस की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो सामग्री है उस का उत्पादन बढ़े। पिछले वर्षों में उत्पादन बढ़ा है। चाहे कपड़े का हो, चाहे अन्न का हो, और चाहे दूसरी आवश्यक वस्तुओं का हो सब की प्रगति और सब की उन्नति इस भाषण के पढ़ने से दिखाई पड़ती है। किन्तु यदि हम इस के तीसवें पैराग्राफ को देखें तो उस में जहां राष्ट्रपति ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि देश ने पिछले वर्षों में सभी दिशाओं में उन्नति की है वहां वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है जो हमारा ध्येय है अपने राष्ट्र के सब व्यक्तियों के लिये, सब आदमियों के लिये और पूरी जनता के लिये सुखकारी राज्य बनाने का जो हमारा लक्ष्य है वह अभी पूरा नहीं हुआ। उन्हों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि यदि दरिद्रता बाकी रहती है, बेकारी बाकी रहती है और कुछ थोड़े ही आदमी उन्नतिशील दशा में हैं तो हम नहीं मान सकते कि हम ने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो फिर इस के बाद ऐसी कौन सी बात रहती है कि जिस के ऊपर हम किसी प्रकार का रोष प्रकट कर सकते हैं या कोई आलोचना कर सकते हैं।

कोई राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता। हमारे विद्वान मित्र श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कुछ दरिद्रता का वर्णन किया कि एक आदमी यहां भूख से मरा और ऐसे चार आदमी वहां पड़े हुए हैं जिन के पास वस्त्र नहीं हैं। यह तो ज़रूर दिखाई पड़ता है किन्तु हमको यह दिखाई नहीं पड़ता कि इतने बड़े विशाल देश में जो सुविधायें पहुंचाई गई हैं उन के कारण इस शासन व्यवस्था की प्रशंसा करने की भी कोई बात है या नहीं। किसी शासन के सूत्र को चलाने वाले को चाहे सकारण हो या अकारण कोसा ही जाता हो तो यह तो एक कृतघ्नता की बात है। आज यदि इस देश में कोई स्थाई सरकार नहीं होती, यदि इस देश में कोई सुदृढ़ शासन व्यवस्था नहीं होती तो जहां आज हम अपने जीवन को जिस तरह से सुव्यवस्थित पाते हैं वहां हम अराजकता का राज्य पाते, किन्तु यह नहीं है। हम देखते हैं कि लोग अपने कामों में लगे हुए हैं।

४ म० प०

पंचवर्षीय योजना की भी आलोचना हुई है। एक ऐसी योजना जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिये आई है एक ऐसी योजना जिस में जनता का अपार उत्साह है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दूसरे ऐसे मित्र जो पंचवर्षीय योजना में कोई उत्साह नहीं पाते वह जिन प्रान्तों या प्रदेशों से आते हैं वहां का वातावरण कैसा है। किन्तु मैं अपने प्रदेश की बात बतलाता हूं। अभी हम ने

एक सप्ताह मनाया है और उस सप्ताह में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक नगर में पंचायत के क्षेत्र में जनता ने स्वेच्छा से श्रमदान किया है। सड़कें बनाई हैं, तालाब खोदे हैं, स्कूल की इमारतें बनाई हैं, अस्पताल की इमारतें बनाई हैं। जनता ने स्वयं अपने हाथों जो कार्य किया है उस की प्रेरणा इसी पंचवर्षीय योजना से प्राप्त हुई है। तो यह कहना कि न तो कम्युनिटि प्रोजेक्ट का कार्यक्रम चल रहा है, न पंचवर्षीय योजना में जनता को उत्साह है सत्य के विरुद्ध बात कहनी है। सच्ची बात यह है कि सरकार का जो कार्य है वह जनता में नया उत्साह और नया जीवन पैदा कर रहा है चाहे इस की कितनी ही आलोचना की जाय। कितनी ही बातें इस के विरुद्ध कहीं जायें किन्तु वह सब वास्तविकता से भिन्न हैं। हमारे देश में प्रजातन्त्र की प्रणाली चल रही है। प्रजातन्त्रीय प्रणाली के माने यदि यह हैं कि विरोधी दल के लोग सरकार के ऊपर केवल आक्षेप किया करें और उस के ऊपर अनर्गल लांछन लगाया करें तब यह डिमाक्रेसी या प्रजातन्त्रीय व्यवस्था कैसे चल सकती है? कोई भी सरकार किस प्रकार अपने कार्यों में सफल हो सकती है और किस प्रकार अपनी योजना को पूरा कर सकती है यदि विरोधी दल केवल उस का विरोध ही किया करें? दूसरे देशों में मुझे कभी यह सुनाई नहीं पड़ता। मैं ने कभी नहीं सुना कि रूस में कोई विरोधी दल का भी आदमी है जो सरकार के विरोध में उस की नीतियों के विरुद्ध इस प्रकार से उच्च स्वर में अलाप करता हो। मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि चीन की सरकार के विरुद्ध कोई विरोधी दल ऐसा है जो किसी प्रकार की आलोचनात्मक बातें करता हो। या तो हम उस सरकार के अनुकूल बातें करें या चुप रहें। उन राज्यों में यह दिखाई पड़ता है। किन्तु हमारे राष्ट्र में गला फाड़ फाड़ कर सरकार के विरोध में बातें करने की आदत पड़ गई है इस कारण हम को दिखाई नहीं पड़ता कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है और कैसी दुर्व्यस्था से निकाल उस ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

मेरे मित्र ने जम्मू और काश्मीर के प्रश्न का कुछ उल्लेख किया। वह प्रधान मंत्री से राजनैतिक बुद्धिमत्ता और उदारता की प्रार्थना करते हैं मैं भी उन के इस शब्द का समर्थन करूंगा और जैसा कि भाषण के ९वें पैराग्राफ में लिखा है, राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि जो आन्दोलन परिषद् चला रही है वह आन्दोलन बिल्कुल एक उन्मार्गगामी आन्दोलन है और जनता को रास्ते से दूर ले जाने वाला है। लेकिन अन्त में उन्हों ने कहा कि यदि कोई उचित शिकायत है तो उस को सुना जायगा और उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था की जायेगी ९वें पैराग्राफ के अन्तिम दो वाक्यों में आशा की बड़ी भारी किरण दिखाई पड़ती है। यह राजनैतिक बुद्धिमत्ता है कि राजनैतिक उदारता सरकार की तरफ से आ सकती है। हम जानते हैं कि यह सारा प्रश्न यू० एन० ओ० के सामने है, हम जानते हैं कि मतगणना के बारे में हम ने एक प्रतिज्ञा कर रक्खी है हम वादे करते हैं, हम प्रतिज्ञायें करते हैं, हम वचन भरते हैं, तो उन वचनों का पालन करना चाहिये।

"प्रतिश्रुति करिष्यति उक्तं वाक्य मकुर्वतः
इष्टापूर्त वधो भूयात्. . . . . " ॥

जो आदमी वादा करता है राजनैतिक प्रतिज्ञायें करता है, और वचन भरता है और फिर उस को पल भर में ही तोड़ देता है, इच्छानुसार उस को पूरा नहीं करता है उस की शासन व्यवस्था अविश्वासनीय होती है

[श्री अलगू राय शास्त्री]

और उस का हित नहीं हो सकता । इस कारण यदि हम ने प्लेबिसाइट का वचन दे रक्खा है, हम ने मतगणना का हक, काश्मीर के भविष्य के निर्णय करने का हक उन्हीं को दे रक्खा है और वह प्रश्न अभी लटक रहा है और बीच में ही हम ने नई बात छेड़ दी । इस में कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जनता के मामूली सेन्टिमेन्ट्स को ले कर झंडे के प्रश्न, नागरिकता के प्रश्न, सदरे रियासत के प्रश्न और दूसरे नन्हे नन्हे जो प्रश्न हैं उन को ले कर मौलिक प्रश्न के सामने खड़ा कर दिया जाये । अभी प्लेबिसाइट बाकी है । कहां होगा जम्मू, कहां होगा काश्मीर अगर प्लेबिसाइट का फैसला दूसरा हो जाता है । जो वहां के नेता हैं, जो वहां की गवर्नमेंट में हैं और जनता को अपने साथ ले कर चलते हैं, जिन की राजनैतिक बुद्धिमत्ता से हमारे श्यामा प्रसाद जी को विश्वास है जिन के लिये यह माना जाता है कि जो काम उन्हों ने पूरा किया है और कर रहे हैं, वह हमारी बधाई के पात्र हैं । जब स्थिति यह है तो हमें यह देखना चाहिये कि अगर हम में राजनैतिक बुद्धिमत्ता है तो "अल्पस्य हेतोः बहु हातुमिच्छन् विचारमूढ़ः

प्रतिभासि में त्वम्,"

हम एक अंश को लेना चाहते हैं, मगर सम्पूर्ण को गंवाने का खतरा उठा लेते हैं एक आन्दोलन को छेड़ कर । और उस से एक कम्युनल या साम्प्रदायिक वातावरण पैदा हो जाता है । जो संचालकों या परिषदी लोगों का आन्दोलन है उस के लिये कहा जाता है कि वह प्रश्न तो सीधा सादा है । जनता को भ्रम में डालने की पूरी गुंजाइश इस में है । आन्दोलन इस के लिये है कि काश्मीर भारत में मिल जाये, आन्दोलन इस के लिये है कि पूरी तरह काश्मीर संविधान के अनुसार नहीं मिला, केवल सीमित अंशों में ही मिला । हम आज इस का प्रश्न उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि हमारी मामूली सी मांग है इस को पूरा क्यों नहीं करते ? नन्हीं नन्हीं मांगों को ले कर हम राजनैतिक कठिनाइयां बढ़ा देने के लिये कदम उठाते हैं और उस से उत्पन्न होने वाले वातावरण से हमारे सारे कार्यों पर पानी पड़ता नजर आता है । इस में राजनैतिक बुद्धिमत्ता की बात तो तब आये जब आदमी इस से बचे और इस तरह की बातें न करे जैसे कि यह आन्दोलन चला । तो मैं अपने मित्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उन के जैसे प्रतिभाशाली विचार वालों से आशा करता हूं कि वह राजनैतिक उदारता और दूरदर्शिता दिखाने की जो मांग प्रधान मंत्री से करते हैं उस का पहला अध्याय वह स्वयं लिख हमारे राष्ट्रपति जैसे बुद्धिमान, विचारशील और गम्भीर व्यक्ति ने कहा है कि यह आन्दोलन पथ भ्रष्ट आन्दोलन है, उन्मार्गगामी आन्दोलन है, ऐसी दिशा में हम को ले जाता है कि हम समूल नष्ट हो जायेंगे । पहले इस आन्दोलन को हटवा देना चाहिये । यह आन्दोलन बिना कंडीशन के समाप्त होना चाहिये । इस के हटने के बाद विचार किया जा सकता है । मैं इस बात से सहमत हूं कि झगड़ा हो जाता है, हम आवेश में आ कर एक काम कर डालते हैं, अंग्रेज़ों ने जलियां वाला बाग किया, मगर हम ने उस से भी समझौता किया और लार्ड माउन्टबेटन को प्रेम के साथ बिदाई दी, इसी तरह से सारी बातें मिलाई जा सकती हैं । आप तो हमारे भाई हैं इतने दिन तक हम आप के साथ रहते आये । हम को उन की कठिनाई सुन लेनी चाहिये, समझना चाहिये और उन को बुला कर बात करनी चाहिये । मगर आन्दोलन की धमकी

में, आन्दोलन के दबाव में, आन्दोलन देश व्यापी होगा, इस आन्दोलन की आग कोने कोने में देश के फैलेगी, ऐसे विषाक्त वातावरण में राज्य से यह आशा करना कि वह कोई राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस जैसी चीज़ बुलावें और आप के सामने घुटने टेकें, ऐसी भावना को ले कर और एक विजयी आन्दोलन चला कर शासन व्यवस्था को नीचा दिखाने की मनोभावना से कोई बात हो तो वह मेरे विचार से आन्दोलन चलाने वालों के लिये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी ।

तो मैं श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी से अनुरोध करूंगा कि उसी भावना से, उसी भावुकता से, उसी विनय से जिस से कि उन्हों ने प्रधान मंत्री से कहा है कि वे इस प्रश्न पर विचार करें और उदारता से विचार करें और वह आन्दोलनकारियों से अनुरोध करें कि वह आन्दोलन को समाप्त करें और तब अपनी बातों को, अपनी शिकायत को सरकार के सामने रखें। उन्हों ने कहा कि प्रेम नाथ जी ने मिलना चाहा लेकिन उन को अवसर नहीं मिला । अवसर नहीं मिला होगा। वह आज अवसर की मांग करें तो मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि देश की उन्नति के हित में, काश्मीर के हित में, जम्मू के हित में और मानवता के हित में यह अनिवार्य है कि जम्मू का यह जो आन्दोलन है यह बिना शर्त समाप्त किया जाय और उस के बाद समझौते की बात चीत चलाई जाये । क्योंकि इस भाषण में यह साफ लिखा हुआ है "कि सरकार का यह विचार है कि जहां भी कोई न्यायपूर्ण शिकायतें होंगी उन की निःसन्देह जांच की जायेगी और उन्हें दूर करने का हर प्रयत्न किया जायगा ।" इस से अधिक स्पष्ट शब्द सरकार की तरफ से उस की नीति के रूप में दूसरे नहीं हो सकते कि जो शिकायतों को दूर करने का प्रत्येक प्रयत्न करने को तैयार है । सरकार इन शब्दों में बन्धी हुई है । तो जब ऐसी अवस्था है तो इस आन्दोलन के चलते रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां इस भाषण में और बातों पर विस्तार से विचार किया गया है, इस में विदेश नीति पर भी विस्तार से विचार किया गया । हमारी विदेश नीति यही है कि हम सब के साथ शान्ति रखना चाहते हैं । यह दूसरी बात है कि यहां हमारे कुछ भाई जो कि एक विशेष दल के लोग हैं उन को उस में ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी सरकार अमरीका के साथ या इंगलिस्तान के साथ कुछ ऐसी गांठ बांधे हुए है, उन के कुछ ऐसे असर में है कि सब कुछ उन के ही प्रभाव से करती है । यह उन की निगाह का दोष है, नहीं तो उन को इस भाषण में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती । शान्ति के साथ प्रश्नों को सुलझाने की हमारी सरकार की अपनी विदेशिक नीति रही है । किन्तु जो लोग सरकार को दोष देने की चेष्टा करते हैं कि यह सरकार अमक गुटबन्दी के नीचे या किसी सत्ताधारी शासन व्यवस्था से बंधी हुई चलती है, तो वह अपनी तरफ नहीं देखते कि उन के अपने दिमाग पर एक खास किस्म की शक्ति का प्रभाव है और इसलिये वह हर प्रश्न को उसी नुक्ते निगाह से देखते हैं और सरकार को दोष देते हैं । ऐसे लोगों की बातों से जनता भ्रम में नहीं पड़ सकती और सरकार अपनी उस नीति पर जो किसी खास गुटबन्दी में न पड़ने की नीति रही है और जो कुछ आदर्शों के आधार पर अविलम्बित है, उसी शान्ति की नीति को ले कर चलना चाहती है । मुझे विशेष प्रसन्नता हुई इस भाषण में यह देख कर कि इस में यह साफ तौर से घोषित किया गया है कि जब तक इस देश पर कोई आक्रमण नहीं करेगा यह

[श्री अलगू राय शास्त्री]

देश युद्ध में नहीं पड़ेगा । आक्रमण होने पर भारत युद्ध में पड़ेगा यह इस से इम्प्लीकेशन निकलता है कि हम कुछ ऐसे शान्ति के उपासक नहीं हैं कि हमारे यहां लड़ाई का नाम ही बहिष्कृत है। आक्रमणकारी को समझना चाहिये कि भारत की जनता अपनी रक्षा के लिये और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये युद्ध से नहीं डरेगी । मैं श्यामा बाबू को उस उदारता के लिये धन्यवाद देता हूं जिस उदारता के साथ कि उन्हों ने कहा है कि यदि ऐसा अवसर आयेगा तो वह अपने दल बल के साथ शासन का साथ देंगे । उन्हों ने जो उदारता का परिचय दिया है उस की मैं प्रशंसा करता हूं । तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारी सरकार की यह नीति साफ तरह से यहां घोषित हो गई है कि हम अनप्रौवोक्ड अटैक करने वाले नहीं हैं मगर हम पर अटैक करने वाले को यह समझ लेना चाहिये कि वह किसी किचुओं की कौम पर आक्रमण नहीं कर रहा है । यह एक जीवित जाति है जो अपने देश की रक्षा के लिये और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिये लड़ेगी । जो नीति इस भाषण में वर्णित है वह एक समीचीन नीति है और इस के लिये मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं ।

मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं । जैसा कि इस भाषण में कहा गया है हमारा सर्वतोमुखी विकास हुआ है । मगर दरिद्रता अभी बाकी है, बेकारी भी बाकी है । यह सच बात है कि आज भी स्टेशनों पर भिखमंगे दिखाई देते हैं और ये भिखमंगे उन में से हैं जो कि कभी भीख नहीं मांगते थे । पंजाब से लोग हमारे यहां अपना धन और सम्पत्ति छोड़ कर आये हैं। आज उन के बच्चे भी भीख मांगते हुए देखे जाते हैं । एक सम्पन्न जाति के होते हुए भी उन को भीख मांगने के लिये विवश होना पड़ता है । हम अब भी कोढ़ियों को और अपाहिजों को भीख मांगते हुए देखते हैं । उन के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इन को आश्रय देने के लिये कोई प्रबन्ध होना चाहिये और यह संस्थायें ज़िला बोर्डों, म्युनिसिपल बोर्डों और पंचायतों के अधीन चलाई जायें । यहां इन को अन्न वस्त्र मिले और इन का प्रबन्ध किया जाये । इसी तरह से अपनी उन बहिनों के लिये जिन को कि रोटी पैदा करने के लिये अपने तन को बेचना पड़ता है कुछ नहीं किया गया है । हम् को इस चीज़ को अपने देश के लिये एक अभिशाप समझ कर इस को दूर करने का शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिये ।

मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं । हमारी जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उन का सामूहिक संगठन यह केन्द्र है । नवाबों के ज़माने में जब केन्द्रीय मुगल शासन था, उस समय जो नवाब होते थे वह केन्द्र के शक्तिशाली न होने के कारण अपने अपने प्रान्तों में अपनी अपनी नीति चलाया करते थे, जिस से राष्ट्र दुर्बल होता था । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को घरेलू नीति में ज़रा कड़ाई से काम लेना चाहिये । हम देखते हैं कि आज कहीं सेल्स टैक्स का झगड़ा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पटवारियों का झगड़ा चल रहा है और इस तरह की बातें चल रही हैं । देखने में यह बातें छोटी छोटी मालूम होती हैं लेकिन जनता को इन से बहुत कष्ट होता है । केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वह इन चीज़ों को ज़रा सक्रिय दृष्टि से देख सके ।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अन्न की, खाद्य की, स्थिति अच्छी है । १९

लाख टन के भंडार से अपना काम हम आरम्भ कर रहे हैं मैं समझता हूं कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने सत्य स्थिति को समझ लिया है और वह ठीक पथ पर चल रहे हैं।

जिस तरह जम्मू में एक आन्दोलन छिड़ा हुआ है उसी तरह यहां भी काऊ स्लाटर के नाम से एक आन्दोलन चल रहा है। लेकिन गाय के प्रश्न को धर्म का रूप नहीं देना चाहिये। अभी हमारे फूड मिनिस्टर ने पटना में बोलते हुए कहा था कि अगर जनता चाहती है तो हम को काऊ स्लाटर के प्रश्न को लेना चाहिये और इस बात से नहीं डरना चाहिये कि यह कोई धर्म का प्रश्न हो जायेगा। बल्कि जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रश्न को उठा रहे हैं यदि सरकार इस प्रश्न को ले ले तो यह आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। यह एक मौलिक प्रश्न है और इस का कृषि के साथ गहरा सम्बन्ध है। इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार गौ रक्षा के प्रश्न पर विचार करे और इस का कोई उचित प्रबन्ध करे।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे अपाहिज, कोढ़ी, बीमार भाई हैं उन के लिये आश्रय का प्रबन्ध किया जाये और जो हमारी बहिनें रोटी के लिये अपना तन बेचने को विवश होती हैं उन की दशा को सुधारा जाय। यह ऐसी चीज़ है कि इन को करना अनिवार्य है और इन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पंचवर्षीय योजना की है। इन के लिये भी एक पंचवर्षीय योजना होनी चाहिये।

अन्त में मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो माननीय सदस्य श्री अग्रवाल ने इतनी योग्यता के साथ प्रस्तावित किया है।

हमारी विदेश नीति की आलोचना की गई है। परन्तु हमें नई ही स्वतंत्रता मिली है और हमारे साधन-सम्पत्ति सीमित हैं। जब समस्त संसार दो गुटों में विभाजित है जो अपने सारे साधनों से नाश का साज-सामान तैयार कर रहे हैं, तब इन परिस्थितियों में हमारी नीति यही हो सकती है कि हम किसी गुट में शामिल न हों। इसी नीति में हमारे राष्ट्र का हित है। यदि हम किसी गुट में मिलेंगे तो हमारी हालत कोरिया जैसी हो जायेगी।

काश्मीर और जम्मू के विषय में, स्थिति यह है कि अभी तक राज्य का तृतीयांश आक्रमणकारी के अधीन है। अतः जम्मू तथा लद्दाख के लोगों को उस समय तक ठहरना चाहिये जब तक कि इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय न हो जाये। गलत कदम उठाने से हम वह सब कुछ खो बैठेंगे जिस के लिये हमारे जवानों ने काश्मीर में अपना रक्त बहाया है। कुछ समय ठहरने से कोई हानि नहीं होने वाली है। वहां के लोगों पर संविधान के मूल अधिकार लागू करने और वहां पर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू करने के प्रश्न पर भी यदि हम कुछ ठहर जायें तो क्या हानि है? आखिर हमारे प्रधान मंत्री ने यह घोषणा तो कर ही दी है कि राज्य का भारत में पूर्ण प्रवेश हो चुका है और इस के बारे में कोई सन्देह नहीं है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अच्छा होगा यदि लोग इस प्रश्न को किसी सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से न देखें, अपितु भारत की सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से देखें। हो सकता है कि कुछ उचित शिकायतें हों, परन्तु हमें अभी ठहरना चाहिये। आवेश उत्पन्न करने या दलबंदी की बातें करने से बुरे परिणाम हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष काश्मीर के प्रश्न पर जो कार्यवाही चल रही है, उस

[श्री पाटस्कर]

से हमें पता लगता है कि इस मामले को लंबा करने में किन पक्षों का हाथ है और उन का क्या उद्देश्य है। अतः जो माननीय सदस्य जम्मू के लोगों की शिकायतों पर इतना ओजस्वनी भाषण देते हैं उन से मेरा अनुरोध है कि वे समस्त राज्य के व्यापक हितों को देखें, और कुछ समय तक ठहरने से कोई हानि नहीं होगी ।

अगला प्रश्न भाषावार राज्यों का है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मैं ने स्वयं बहुत प्रयत्न किया था कि भाषावार राज्य बन जाने चाहियें । संविधान सभा (विद्यायी) में तो मैंने इस विषय में एक प्रस्ताव भी रखा था। संविधान निर्माण करते समय ही भाषावार प्रान्त बना देने के लिये सब से अच्छा अवसर था। जब भारत शासन अधिनियम, १९३५ लागू किया गया था तभी सिंध को बंबई से और उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। संविधान निर्माण के समय तो ऐसा नहीं किया गया। अब भी इस मामले पर विलम्ब करने से बहुत उलझनें पैदा हो सकती हैं ।

महाराष्ट्र के विषय में मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आंध्र लोग बहुत समय से आन्दोलन करते रहें हैं । ऐसे राज्य के लिये लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिये। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में तो हमारे लिये आन्दोलन करने का यह बहुत अनुचित अवसर है। हमने संयुक्त महाराष्ट्र के लिये आंदोलन किया था। क्योंकि उस में महा विदर्भ को शामिल करने का प्रश्न था, इसी लिये संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया था। संविधान के अधीन संयुक्त महाराष्ट्र का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उस में इस प्रकार राज्यों के मिलाने का उपबन्ध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि संयुक्त महाराष्ट्र के स्थान पर विभक्त महाराष्ट्र बने। आंध्र में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि अभी आन्दोलन करने से तो हमें केवल विभक्त महाराष्ट्र ही मिलेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): मध्य प्रदेश हैदराबाद तथा बंबई के मराठी भाषी प्रान्तों को मिलाने में क्या सांविधानिक कठिनाई है ?

श्री पाटस्कर : हम ने संयुक्त शब्द का प्रयोग इसी लिये तो किया था कि विदर्भ नाम के एक पृथक प्रान्त के लिये पहले ही प्रश्न उठ चुका था। इसी आधार पर हम चाहते थे कि एक उप-प्रान्त हो, और दोनों क्षेत्रों के मराठी भाषी लोगों में कुछ समझौता सा हो गया था और संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया था। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना आज नहीं तो पांच दस वर्ष में हो सकती है, परन्तु हम ऐसा महाराष्ट्र चाहते हैं जिस में सभी मराठी भाषी प्रदेश हों। यदि ऐसा महाराष्ट्र नहीं बन सकता तो हमें कुछ समय तक वैसे ही काम चलाना चाहिये। हमारी वर्तमान समस्या दुर्भिक्ष भाषावार प्रान्त से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम महाराष्ट्र के लिये आंदोलन करेंगे तो हमें संयुक्त महाराष्ट्र नहीं मिलेगा, विभक्त महाराष्ट्र मिलेगा। अभी तो उस के तीन ही भाग हैं, यदि हम आंदोलन करेंगे तो चार भाग बन जायेंगे। बंबई चौथा भाग होगा। यह मेरी आशंका है। एक और भी भय है। जो लोग अभी तक भाषावार प्रान्तों की मांग का विरोध कर रहे थे, अब वे ही सांस्कृतिक प्रान्तों की मांग करने लगे हैं, जो कि बहुत हानिकारक है ।

भारत की संस्कृति एक है। हम लोग, जो कि भाषावार प्रान्तों की मांग कर रहे हैं, यह कभी नहीं कहते कि हमारी संस्कृति भिन्न

है। मुझे यह सुन कर दुःख तथा आश्चर्य हुआ कि ये लोग दावा करते हैं कि बम्बई में चार भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं। हमारे लिये इस समय आन्दोलन करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे जीवन काल में नहीं तो दस वर्ष पश्चात् महाराष्ट्र बन जायेगा। मुझे ऐसी चीज़ के लिये प्रयत्न करने का कोई अधिकार नहीं है जिस से कि सदा के लिये संयुक्त महाराष्ट्र बनने की संभावना समाप्त हो जाये। कन्नड़ और महा-गुजरात वाले आंदोलन करते हैं तो करें, और अपने अपने पृथक राज्य बना लें।

अभी तो महाराष्ट्रियों को दुर्भिक्ष से अनुतोष के लिये आन्दोलन करना चाहिये। उस मामले पर योजना आयोग को विचार करना चाहिये। श्री एस० एस० मोरे वहां के भिन्न भिन्न भागों की स्थिति पर प्रकाश डाल ही चुके हैं और राममूर्ति आयोग का प्रतिवेदन भी आ ही जायेगा। आप को जनता में उत्साह पैदा करना है पर वह कैसे हो सकता है जब कि पंचवर्षीय योजना में कोई नई सिंचन योजनाओं की व्यवस्था ही नहीं है, सिवाय दो विद्यमान योजनाओं के जो १९४९ में आरम्भ की गई थीं और लगभग पूर्ण हो चुकी ह। महाराष्ट्र में तो सैंकड़ों वर्षों में दुर्भिक्ष चला आ रहा है और प्रत्येक तीन चार वर्षों में कुछ छोटी अस्थायी योजनायें आरम्भ कर दी जाती हैं। यदि आप नई योजनाओं को छोड़ देते हैं तो लोगों में उत्साह कहां से उत्पन्न होगा। ब्रिटिश सरकार भी अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि केवल स्थायी प्रकार की सिंचन योजनाओं से समस्या हल होगी। परन्तु प्रान्तीय तथा अंतर्प्रान्तीय ईर्षाओं के कारण इस कार्य को बन्द करना पड़ा है। हम कोयना योजना के बिना काम चला सकते हैं। जिस के लिये ३३ करोड़ रुपये रखे गये हैं। हम कुछ समय तक विद्युत के बिना काम चला सकते हैं। हमें तो सिंचन सुविधायें चाहियें। इन ३३ करोड़ रुपयों को सिंचन योजनाओं पर लगाइये। उन क्षेत्रों पर पहले ध्यान देना चाहिये जहां सौ वर्षों से प्रतिवर्ष दुर्भिक्ष पड़ता रहता है, चाहे वे क्षेत्र कोई भी भाषा भाषी हों। आशा है योजना आयोग इस पर ध्यान देगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं ने धन्यवाद प्रस्ताव पर दो संशोधनों की सूचना दी है—एक तो एकीकृत अखिल भारतीय शिक्षा नीति की आवश्यकता पर था और दूसरा हमारे लोगों को अधिक अनुशासन-प्रिय बनाने के विषय में था। पर मैं इन दोनों विषयों पर नहीं बोलूंगा।

मैं साम्यवादी टोली के नेता प्रोफैसर हीरेन मुखर्जी की वक्तृता से उत्तेजित होने के कारण यह भाषण दे रहा हूं। प्रधान मंत्री तथा कांग्रेसी तो अत्यधिक सहनशील हैं अतः वे साम्यवादियों के असत्य प्रचार का भंडा फोड़ करने का प्रयत्न नहीं करते, परन्तु मैं स्वतन्त्र होने के कारण ऐसा कर सकता हूं।

प्रोफैसर मुखर्जी ने राष्ट्रपति के अभि-भाषण में विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। साम्यवादी यह भूल जाते हैं कि हम लोकतन्त्र में निष्ठा रखते हैं। हम उन ऐतिहासिक श्रृंखलाओं को मिटा नहीं सकते जिन से भारत तथा लोकतांत्रिक देशों के बीच, अदृश्य तथा दृश्य बन्धन स्थापित हुए हैं। हमारी विचार धारा ही ऐसी है कि हमारा लोकतांत्रिक देशों से अधिक सम्बन्ध अनिवार्य हो जाता है जो साम्यवादी देशों से नहीं स्थापित हो सकता।

साम्यवाद के आकर्षक सिद्धान्त से कई परिकल्पनावादी और मिथ्या विवेकी कभी न कभी आकृष्ट हो ही जाते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि साम्यवादी उपदेशों तथा आच-रण के बीच की खाई चौड़ी होती जाती है।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मेरे मित्र ने अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा उन के ब्रिटिश पिछलग्गुओं को कोसा है । इस सदन में कोई भी उन अमरीकी साम्राज्यवादियों की या उन के ब्रिटिश पिछलग्गुओं की हिमायत नहीं करेगा । भारत भर में कोई उन की हिमायत नहीं करता । हम 'मेकारथर-वाद' की निंदा करते हैं और 'टाफ्टवाद' की भी। अमरीका के रिपबलिकन नेता आग उगलते हैं, मुझे उन पर बहुत अविश्वास है। हम दक्षिण अफ़रीका के विषय में ब्रिटिश सरकार के तटस्थ दृष्टिकोण पर क्षुब्ध हैं । हम देखते हैं कि दक्षिण अफ़्रीका में जातिवाद की ज्वाला भड़क रही है और मलान जैसे अल्प-दृष्टि वाले अपराधी उसे दकियानूसी तथा प्रतिगामी उपायों से बुझाना चाहते हैं, परन्तु वे घी का काम कर रहे हैं और अन्ततोगत्वा यह ज्वाला मलान तथा उस के साथी अपराधियों को भस्म कर देगी । हम उन सब की निंदा करते हैं परन्तु क्या कभी प्रोफेसर मुखर्जी सोवियत रूस तथा चीन सरकार की आलोचना करते हैं---क्या क्रेमिलिन वालों के---मैं उन्हें इन के गुरू नहीं कहूंगा---उद्देश्य अमरीकी साम्राज्यवादियों से कुछ ऊंचे हैं ? अमरीका में कम से कम लोकतन्त्र तो है जो स्तालीन के नृशंस आधिपत्य में कभी पनप नहीं सकता ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान् । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते समय हम भारत की स्थिति के सम्बन्ध में ही अमरीकी लोकतन्त्र पर बोल सकते हैं । क्या सोवियत साम्यवाद सम्बन्धी यह चर्चा ठीक है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने स्वयं इस विषय पर पर्याप्त बातें कही थीं कि अभिभाषण में भारत पर अमरीकी प्रभाव को रोकने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है आदि। माननीय सदस्य तो उस का उत्तर ही दे रहे हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी । चाहे अमरीका में साम्राज्यवादी हैं, परन्तु वहां लोकतन्त्र भी है । अमरीका तथा भारत जैसे लोक राज्यों में प्रशासन की प्रत्येक नीति की आलोचना की जाती है । क्या कभी क्रेमलिन की किसी नीति पर किसी रूसी ने या रूस के पिछलग्गू देश में किसी ने भी आलोचना करने का प्रयास किया है। यदि मेरे मित्र रूस जाकर उन की आलोचना करने का प्रयत्न करेंगे तो अपना शीश गंवा बैठेंगे। हम बाहर के गुरुओं के चरणों की उपासना नहीं करते।

मैं यह नहीं कहता कि भारत को लोकतंत्रीय गुट में शामिल हो जाना चाहिये । गांधी परम्परा के अनुसार हम किसी सैनिक नीति में किसी का साथ नहीं दे सकते । इंगलिस्तान में भी श्रम दल वर्तमान अमरीकी नीति की कटु आलोचना करता है । पर पूर्वी यूरोप में कोई भी रूस की आलोचना नहीं कर सकता । टीटो के साथ क्या हुआ ? वह यूगोस्लाविया के लिये जरा सी स्वाधीनता मांगता था ।

मेरे मित्र ने कहा है कि भारत आंग्ल-अमरीकियों का दास है । प्रधान मंत्री कई उदाहरण बता चुके हैं कि जब कि भारत ने आंग्ल-अमरीकी गुट का विरोध किया। प्रधान मंत्री तो बल्कि चीन पर इतना विश्वास करते हैं जो उन की महानता है और गलती है । परन्तु फिर भी चाऊ-एन-लाई ने हमारे प्रधान मंत्री को "अमरीकी साम्राज्यवाद का दौड़ने वाला कुत्ता" कह डाला। हम ने इस की परवाह नहीं की । एक थप्पड़ खा कर हम ने तिब्बत के रूप में दूसरा गाल आगे कर दिया । पर कब तक ? आज चीन रूस का पिछलग्गू है ।

चीन में स्वतंत्रता के नाम पर बीस लाख चीनी मौत के घाट उतार दिये गये हैं । रूस में ऐसा ही हुआ था ।

जब साम्यवादी देश लोकतंत्रवादियों, उदार पंथियों आदि की लाशों पर अपना राज्य सुदृढ़ कर लेते हैं तब अपने ही निर्माताओं पर टूट पड़ते हैं । प्रेग में हाल ही में जो मुकद्दमे चले थे वे कितने मानवीय पतन के निकृष्टतम उदाहरण थे । उन्हीं लोगों की मृत्यु की मांग की गई, जो कभी नेता तथा शहीद थे, जिन्हों ने वहां साम्यवाद की स्थापना की थी । लेनिन ने कहा था कि "विश्व साम्यवाद पेकिंग तथा कलकत्ता के मार्ग से पेरिस पहुंचेगा ।" आधा मार्ग तय हो चुका है और मेरे बंगाली मित्र शेष मार्ग तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

ठीक है साम्यवाद से आर्थिक सफलतायें बहुत मिली हैं, परन्तु यह सब कुछ लाखों निर्दोष व्यक्तियों का रक्त बहा कर प्राप्त हुआ है । आधिपत्यवाद में लोकतन्त्र की तुलना में शीघ्र काम होता है । हिटलर ने जर्मनी में कुछ वर्षों में ही बेकारी दूर कर दी परन्तु अन्ततः विनाश ही हुआ ।

५ म० प०

भारत लोकतन्त्र है । हम धीरे तो अवश्य चलेंगे, परन्तु हम पन्द्रह बीस वर्ष में जो कुछ कार्य कर पायेंगे वह स्थायी होगा हम सदा स्वतन्त्र विदेश नीति पर चलेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिण्डा) : मैं अपने संशोधन का समर्थन करूंगा । राष्ट्रपति ने भाषा वार प्रान्तों के विषय में अपने अभिभाषण में निम्न शब्द कहे थे :

> "भाषावार प्रान्तों के प्रश्न के कारण देश के विभिन्न भागों के लोग बहुधा आन्दोलित हुए हैं । जहां कि राज्य निर्माण में भाषा और संस्कृति महत्वपूर्ण बातें होती हैं वहीं यह भी स्मरण रखना चाहिये कि राज्य भारत संघ में प्रशासनीय इकाइयां हैं और उन के बारे में अन्य बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है । सर्वोपरि यह बात है कि भारत की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वदा प्रथम पूर्ववर्तिता देनी आवश्यक है ।"

ठीक है, भारत की एकता तथा सुरक्षा को प्रथम पूववर्तिता दी जानी चाहिये । परन्तु कोई कसौटी होनी चाहिये जो कि देश के सभी भागों पर लागू हो । उत्तर भारत के साथ इस विषय में मतभेद बरता जा रहा है । संविधान सभा के प्रस्ताव के फलस्वरूप जब एक आयोग बनाया गया तो उस ने भी कंडिका १२० में कहा कि भाषावार प्रान्तों के निर्माण के कारण सिक्खों, जाटों आदि की मांगों को भी बल मिलेगा । प्रान्तों के निर्माण को स्थगित करने का यह कारण था । क्या यह ठीक था ? आप ने भी उन दिनों जाट प्रान्त की, हरियाना प्रान्त की मांग की थी ।

सभापति महोदय : मैं ने कभी जाट प्रान्त की मांग नहीं की ।

सरदार हुक्म सिंह : गलती है तो मैं मान लूंगा । आप हरियाना प्रान्त कहते थे और धर समिति ने उसे जाट राज्य कहा है, एक ही बात है ।

सभापति महोदय : क्या पंजाबी भाषी प्रदेश में जाट नहीं हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : धर आयोग ने एक ओर सिक्खों को लिया है और दूसरी ओर जाटों को। फिर कांग्रेस ने जे०वी०पी० समिति बनाई । उस ने विभेद किया और अपने प्रतिवेदन के पृष्ट १० पर लिखा कि अभी उत्तर भारत में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिये ।

हम पर यह लांछन लगाया गया हैं कि हम एक पृथक राज्य बनाना चाहते हैं, हम पार्थक्यवादी हैं, हम मुस्लि लीग के चरण-

[सरदार हुक्म सिंह]

चिन्हों पर चल रहे हैं। यह केवल मिथ्या प्रचार है। ५ जुलाई को प्रधान मंत्री ने कहा था कि सिक्ख पृथक राज्य चाहते हैं। मैं ने कहा "राज्य की मांग किस ने की है ?" और उन्हों ने इस कथन का स्वागत किया। परन्तु गृह मंत्री ने हैदराबाद में एक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए कह डाला कि सिक्ख तो खालिस्तान और सिक्खिस्तान चाहते हैं जो अवांछित है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं ने सिक्खिस्तान शब्द तो बोला ही नहीं। मैं ने तो अपने महान मित्रों सिक्खों की प्रशंसा में कुछ कहा था। मैं ने तो यह कहा था "मैं देखता हूं कि सिक्ख भारत भर में फल गये हैं और इस महान देश के सम्मानित नागरिक हैं, और मुझे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता कि वे एक सीमित क्षेत्र में ही सीमित क्यों रहें।" मैं ने बिल्कुल ये ही शब्द कहे थे। वहां सैंकड़ों सिक्ख थे। सब प्रसन्न हुए और उन्हों ने कहा "आप पंजाबी हैं और आप सच बात कह रहे हैं।"

सरदार हुक्म सिंह : मैं ने तो पत्रों में पढ़ा था। यदि वह गलत था तो मुझे यह जान कर प्रसन्नता है।

सब को पता है कि पंजाब में भाषा-विवाद चल रहा है। आप ने स्वयं संविधान सभा में अपने भाषण में कहा कि आप के बच्चों को पंजाबी पढ़ने के लिये बाध्य न किया जाय। आप को आशंका थी कि पंजाबी आप पर लादी जायेगी इसी लिये आप ने पृथक प्रान्त की मांग की थी। आप ने कहा था कि "हरियाना जो इस समय पूर्वी पंजाब में सम्मिलित है, गत ४० वर्षों से प्रयत्न कर रहा है कि उसे ऐसे क्षेत्रों के साथ रखा जाये जिन की भाषा, रूढ़ियां, तथा परम्परायें उस की जैसी हों। परन्तु उत्तर प्रदेश वालों ने उस पर विचार भी नहीं किया। उन्हों ने कहा कि यह तो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हड़पने का उपाय मात्र है। कोई भी किसी वस्तु पर गुणावगुण पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है।"

जो लोग ऐसी मांग करते हैं उन्हें साम्प्रदायिक पार्थक्यवादी कहा जाता है। मेरी भी नियत इस विषय में इतनी ही साफ है जितनी कि आप की थी।

सब को पता है कि पिछली जनगणना में अधिकांश बहुसंख्यक सम्प्रदाय वालों ने अपनी मातृभाषा को अपनाने से इन्कार कर दिया। जालंधर नगरपालिका ने, जहां कि १९३१ तथा १९४१ की जनगणना के अनुसार ९८ प्रतिशत जनता पंजाबी भाषी थी, एक संकल्प पारित किया है कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिये। सिक्खों को भी हिन्दी से प्रेम है। हिन्दी तो राष्ट्रभाषा होने से उच्चतर है। परन्तु वे चाहते हैं कि पंजाबी को प्रादेशिक भाषा का स्थान प्राप्त हो। कहा जाता है कि सिक्ख पंजाबी का समर्थन क्यों करते हैं जबकि बहु संख्यक सम्प्रदाय हिन्दू उस के पक्ष में नहीं हैं। भाषा माता के समान है। यदि एक भाई माता को न माने तो क्या दूसरा भी न माने ? जो माता को नहीं मानता उस के मस्तिष्क में कोई विकार है जिस का निदान होना चाहिए।

पंजाबी को संविधान में भाषा माना गया है तो उस का कोई प्रदेश भी होना ही चाहिये: १९४१ तथा १९५१ की जनगणनाओं में मुस्लिमों ने अपनी भाषा उर्दू लिखवाई और हिन्दुओं ने हिन्दी, केवल सिक्खों ने ही अपनी मातृ भाषा पंजाबी लिखवाई। यह विचित्र अवस्था है। सिक्खों को दोष क्यों दिया जाता है ? वे बेचारे कहां जायें ? वे कोई विशषाधिकार या अधिमान नहीं चाहते, परन्तु वे समान नागरिक समझे जाना चाहते हैं,

परन्तु वैसा नहीं किया जाता। उन्हें सम्प्रदायवादी कहा जाता है। वे चाहते हैं कि नौकरियों में धर्म के आधार पर विभेद न हों। अनुसूचित जातियों के विषय में उन के साथ विभेद न हो। यदि भाषावार प्रान्त बनाये जायें तो उत्तर भारत के प्रश्न पर भी विचार किया जाये ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं सर्वप्रथम वित्त आयोग के प्रतिवेदन के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। आसाम को, जिस की अंग्रेज़ी शासन में उपेक्षा की जाती रही, अब अपना तन ढांपने के लिये कुछ मिल गया है, चाहे उसे इत्र और लिपस्टिक नहीं मिली है। इस के लिये हम वित्त आयोग और उस के अध्यक्ष के आभारी हैं।

परन्तु हमें जो कुछ मिला है उस से प्रांत के आयव्ययक का घाटा भी कठिनाई से पूरा होगा। गत वर्ष हमें तीन करोड़ का घाटा रहा था। हमें पेट्रोल के उत्पादन शुल्क का कोई अंश भी नहीं दिया गया है। आसाम में जहां पैट्रोल होता है उस का भाव ३=) प्रति गैलन है और दिल्ली में जहां एक बूंद भी पैट्रोल नहीं होता उस का भाव २॥≡) प्रति गैलन है। कैसी विधि विडम्बना है? मेरे माननीय मित्र श्री के० सी० नियोगी ने भी इस विषय में आसाम की उपेक्षा कर दी है। अब भी समय है और आसाम के लिये कुछ किया जा सकता है।

चाय के विषय में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ कहा गया है। हमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था का आधार चाय ही है। उत्तर भारत के सदस्य चाय के कुछ विरुद्ध हैं। परन्तु कृपया इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार कीजिए कि आसाम के चाय बागों में १३ लाख श्रमिक काम करते हैं। उन में से एक भी आसामी नहीं है। वे बिहार, उड़ीसा, मद्रास आदि राज्यों के हैं। जैसा कि श्रम मंत्री ने बताया है, लगभग ६० चाय बाग बन्द हो गये हैं और ४६,००० श्रमिक बेकार हो गये हैं। आसाम सरकार के पास और कौन सा काम है जिस में वह इन श्रमिकों को लगा सकती हो? उन की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उन के लिये कुछ करना आवश्यक है। आसाम में एक भी वस्त्र का मिल नहीं है, पटसन का मिल नहीं है, कोई बड़ा कारखाना नहीं है। इन श्रमिकों के लिये क्या होगा यह सदन को सोचना चाहिये। मेरी वाणिज्य तथा उद्योग के माननीय मंत्री से और माननीय श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। आसाम सरकार को जो २५ लाख रुपये दिये गये हैं उन से इस समस्या का समाधान कदापि संभव नहीं है। यदि वे श्रमिक साम्यवादी बन गये तो साम्यवादियों को इस का श्रेय नहीं होगा, अपितु यह हमारे लिये लज्जास्पद होगा।

पंचवर्षीय योजना में भी आसाम के लिये केवल एक ही चीज रखी गई है—वह है एक जल-विद्युत संयंत्र। हमें तो 'मथारी' की आवश्यकता है, एक पुश्ता बांधने की अपेक्षा है, क्यों कि वहां प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं, समस्त फसल नष्ट हो जाती है, और दुर्भिक्ष फैल जाता है। १९५० तक आसाम में पर्याप्त अनाज था और वह बंगाल को चावल देता था, परन्तु आज घाटे की स्थिति है। यदि हमें थोड़ी सी धन राशि दे दी जाये तो हम कुछ वर्षों में पुनः पड़ौसी प्रान्तों को चावल देने योग्य बन जायेंगे। मेरे राज्य की उपेक्षा का कारण यह है कि कुछ लोगों को इस के विषय में ज्ञान नहीं है। यदि एक उंगली गल जाती है तो समूचा शरीर गल जाता है इसी प्रकार यदि आसाम गली हुई ऊंगली बन जायेगी तो भारत के समस्त शरीर पर उस का कभी न कभी असर पड़ेगा।

काश्मीर तथा जम्मू के विषय में श्री चटर्जी तथा डाक्टर मुखर्जी के भाषणों

[श्री आर० के० चौधरी]

से हमें बहुत दुःख हुआ है । हम सदा दमन के विरुद्ध हैं । नेहरू सरकार दमन से भारत पर शासन करना नहीं चाहती । फिर भी मैं श्री चटर्जी के कल के सुझाव का समर्थन करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री दोनों दलों को साथ बुलायें और कोई समझौता करने का प्रयत्न करें । काश्मीर भारत का सर्वोत्कृष्ट रत्न है, प्रादेशिक रूप में भी और धार्मिक रूप में भी । वह भू स्वर्ग कहा जाता था । हम उसे किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहते ।

यदि प्रधान मंत्री दोनों पक्षों को बुलायेंगे तो जम्मू तथा काश्मीर में शांति अवश्य स्थापित हो सकेगी । यदि इस कार्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सकते तो कोई और भी नहीं कर सकेगा ?

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, आज चौथा दिन है इस बहस का जो राष्ट्रपति जी के उस ऐड्रैस पर शुक्रिया अदा करने के लिये शुरू की गई है, जो मौसूफ ने पार्लियामेंट के मुशतरका अजलास में अरशाद किया था । इस सिलसिले में बहुत सी चीज़ें अब तक बड़ी तफसील के साथ कही गईं । मैं उन्हें टच नहीं करूंगा । मैं काश्मीर के मसले के चेहरे से जहां से आने का मुझे शरफ हासिल है, थोड़ा सा नकाब हटाना चाहता हूं क्योंकि कल और आज खसूसियत के साथ दो मुअजिज मैम्बरों ने गरम और सरद हवायें यहां चलाईं । उन की वजह से बहुत से मेम्बरान पार्लियामेंट के दिलों में ऐसे शकूक और शुबहात पैदा होने का खदशा है जो हकीकत पर मबनी न होंगे । लेकिन किब्ल इस के कि मैं जम्मू के एजिटेशन और काश्मीर के सवाल पर उन भाइयों की पेश की हुई बातों का जवाब दूं मैं, जनाब वाला, चाहता हूं कि आप की वसासत से हाऊस को काश्मीर के सवाल की कुछ बैक ग्राऊंड की तरफ मुतवज्जो करूं । काश्मीर के सवाल की एक बैक ग्राऊंड इन्टरनेशनल है, न सिर्फ इस लिहाज़ से कि यह सवाल पिछले पांच साल से दुनिया की सब से बड़ी बैन अलाक्वामी काऊंसिल के सामने है बल्कि इस लिहाज़ से भी कि गुजश्ता एक दो महीने से काश्मीर का सवाल एक नई अहमियत इख्तियार कर गया है । इस वक्त दुनिया के वह दो धड़े जो तीसरी जंग की तैयारी अपनी अपनी जगह कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अपने अपने धड़े में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं उन की नज़रों में काश्मीर की अहमियत भी एक गैर मामूली अहमियत है । पिछले दो महीनों ने दुनिया की डिक्शनरी और एन्साइक्लोपीडिया को एक नया लफ्ज़ दिया है, "मीडो" यानी मिडिल ईस्ट डिफेंस आरगेनाइज़ेशन, जो बन रहा है और जिस में शमूलियत के लिये मिस्र और ईरान की खसूसियत के साथ हमवार किया जा रहा है और जो रियायतें आज से एक साल पहले उन के लिये इस काबिल भी नहीं थीं कि वह उन की तरफ आंख उठा कर देखते, आज रेडिली उन को पेश की जा रही हैं । सूडान और स्वेज का वह मसला जिस पर कुछ मुद्दत पहले मसूदियों का खन बहाया गया था और जबरन इंगलिस्तानी फौजें स्वेज के किनारों पर इस तरह से जा कर काबिज हो गई थीं जिस तरह से एक नये फतह किये हुए मुल्क पर कोई जा कर काबिज हो जाता है । आज वही मसला चुटकी बजाने में हल किया जा रहा है और जनरल नजीब की मुंह मांगी शर्तें मंजूर की जाती हैं । डाक्टर मुसद्दिक से भी कुछ कम चापलूसी के साथ पेश नहीं आया जा रहा है । लेकिन इस सिलसिले में "मीडो" के तालाब में जो सब से ज्यादा मोटी मछली घेर लाने की कोशिश की जा रही है वह पाकिस्तान है । लेकिन क्या यह हकीकत आप की नज़र से छिप सकती है कि 'पाकिस्तान प्लस काश्मीर' और 'पाकिस्तान मायनस काश्मीर' मीडो में एक ही कीमत

रखता है । अगर काश्मीर पाकिस्तान के साथ में न हो तो क्या उस की शमूलियत मीडो में उतनी ही जरूरी और उतनी ही कीमती होगी जितनी इस सूरत में हो सकती है जबकि काश्मीर पाकिस्तान के साथ में हो। यह एक बुनियादी सवाल है जो काश्मीर के मसले में इन्टरनैशनल बैक ग्राऊंड है। इस मसले पर गौर करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस हाउस का हर एक मैम्बर इस को अपने सामने रखे ।

इस के साथ ही इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि काश्मीर का जो सवाल यू० एन० ओ० में है उस का फैसला करने में और उस पर राय देने में बहुत बड़ा इख्तियार उन लोगों को हासिल है जो 'मीडो' के मसले में और 'मीडो' में पाकिस्तान की शमूलियत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और उन की निगाह में काश्मीर एक स्ट्रैटिजिक मकाम है। आम लोग समझते हैं कि काश्मीर की अहमियत उस के बागात की है, उस की झीलों की है, दरयाओं की है, नदी नालों की है, खुशगवार हवाओं की है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की है, लेकिन मीडों वालों की निगाहों में इस की वह अहमियत नहीं । उन की निगाहों में काश्मीर की और कोई अहमियत है, उन की निगाहों में काश्मीर की अहमियत उस नुक्ता की अहमियत है जो ऐशिया में चाईना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान और तिब्बत के मिलाप का नुक्ता है । उस की अहमियत को अपनी आंखों से ओझल न होने दीजिये और फिर इस हकीकत को भी अपनी आंखों से ओझल न होने दीजिये कि आने वाली जंग में काश्मीर तमाम एशिया में एक गैर मामूली अहमियत रखता है। यह वह मकाम है कि दो पार्टियों में से जिस के कब्जे में हो वह वहां मजबूत से मजबूत अपना अड्डा और स्ट्रांग होल्ड बना सकती है और उस पर बाहिर से कोई हमला करना आसान काम नहीं रह जाता। चार पहाड़ियों पर चार तोपें और सारी वादी की हिफाज़त कर सकती हैं। और वहां से उड़े हुए जहाज़ ऐशिया के हर किसी हिस्सा पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जरा इस को भी देख लीजिये । इन तमाम चीज़ों को समझिये ताकि आप यह समझ सकें कि आज हमारी लड़ाई काश्मीर के बारे में सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो यह समझते हैं कि उन के साथ या किसी भी दूसरे के साथ मिलाने के लिये पाकिस्तान एक आसान साथी है। एक आसान शिकार है। जिस को आसानी के साथ काबू में लाया जा सकता है। लेकिन इस के बरखिलाफ हिन्दुस्तान एक फौलाद का मुश्किल चना है जिस को कोई चबा नहीं सकता। काश्मीर के सवाल की यह इन्टरनेशनल बैक ग्राऊंड है जिस को आप अपने सामने रख लीजिये ।

जनाब वाला, इस सवाल की एक दूसरी बैक ग्राऊंड है और वह है इन्डो-पाकिस्तान बैक ग्राऊंड। हिन्द और पाकिस्तान के दरमयान काश्मीर हकीकत के लिहाज़ से तो नहीं, अलबत्ता इस वक्त में हुई कुछ बातों की वजह से और उस से पहिले किये हुए कमिटमैंट्स की वजह से एक ऐसी स्टेट है जिस पर कि अभी तक दोनों के क्लेम एक जैसे तसव्वर किये जाते हैं। हम काश्मीरी उन क्लेम्स को एक जैसा तसव्वर नहीं करते। हम तो सिर्फ हिन्दुस्तान के क्लेम को दुरुस्त समझते हैं और मानते हैं कि पाकिस्तान का क्लेम किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं था और न है और न हम उस को तसलीम करने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस तलख हकीकत के साथ हमें वास्ता पड़ा है कि काश्मीर के सवाल का आखिरी फैसला करने के बारे में इन्टरनैशनल स्फीयर में हमारी आवाज़ आप ही के ज़रिये जा सकती है । हम अलग थलग हो कर कोई आवाज़ उठा नहीं सकते। खैर कुछ भी हो। काश्मीर एक स्टेट है जिस पर एक तरफ पाकिस्तान का

[मौलाना मसूदी]

क्लेम है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान का। और यह भी एक हकीकत है कि कुछ लोगों की सुस्ती से, उन की गफलत से, उन की ना समझी से मैं अगर नरम से नरम लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मैं यही कहूंगा कि उन की नादानी से मुनासिब वक्त पर जम्मू और काश्मीर की रियासत का हिन्दुस्तान के साथ एक्सैशन और इलहाक नहीं किया गया और पाकिस्तान को यह मौका दिया कि वह काश्मीर को खींचने के लिये अपने हक में जब लोगों की राय से मायूस हो जायें तो काश्मीर पर एक वहशियाना हमला कर दे। इसलिये एक्सैशन निहायत ही नाजुक हालत में मजबूरी की हालत में किया, वह अमल में आया, और उस के बाद हिन्दुस्तान की फौजों ने हमलावरों का मुकाबला किया, लेकिन आधा मुकाबिला हुआ, जिस का नतीजा यह है कि इस रियासत का रकबा के लिहाज से, जमीन के लिहाज़ से तकरीबन एक तिहाई हिस्सा और आबादी के लिहाज़ से कुछ एक चौथाई से कम हिस्सा अभी तक हमलावर के कब्ज़े में है। अभी तक वह हिस्सा बाकी रियासत से कटा हुआ है और हम से जुदा है और हम यह दावा करते हुए भी कि काश्मीर हिन्दुस्तान का है, काश्मीर हिन्दुस्तान है और उस की ज़मीन का एक एक चप्पा हिन्दुस्तान है, फिर भी उस के एक हिस्से पर एग्रैसर (आक्रमणकारी) के कब्ज़े को बरदाश्त कये हुए हैं, न जाने किस वक्त के इन्तज़ार में यह घड़ियां गिन रहे हैं कि एक वक्त आयेगा जब हिन्दुस्तान की सर जमीन का यह हिस्सा उस धब्बे से पाक हो जायेगा जो आज एग्रैसर के कब्ज़े में होने की वजह से इस पर लगा हुआ है। इस हकीकत को भी न भूलिये कि पिछले चार साल से जब से गोली बन्द की गई है इधर की हुकूमतें और उधर की हकूमतें बीसों मुआहिदे और बीसों एलान आपस में कर चुकी हैं कि फिर दुबारा गोली चलानी शुरू नहीं की जायगी। और कोई फैसला करने के लिए लोगों से राय ली जाएगी। इस हकीकत को आप लाज़मी तौर पर अपने सामने रखें। यह हैं इन्टरनैशनल बैक ग्राऊंड और इस मसले की इन्डो-पाकिस्तान बैक ग्राऊंड।

इस सवाल की एक तीसरी बैकग्राऊंड भी है और वह है 'इंडो काश्मीर बैक ग्राऊंड', गो यह लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे दुःख होता है, क्योंकि हिन्दुस्तान का काश्मीर एक हिस्सा है, इस किस्म के अल्फाज़ दो मुख्तलिफ मुल्कों के दरम्यान ही इस्तेमाल होने चाहियें। लेकिन मफहूम अदा करने के लिये बात को बयान करने के लिये मुझ जैसे अनपढ़ आदमी के पास ज्यादा मौजूं अल्फाज़ नहीं हैं। इसलिये अल्फाज़ की मुआफी चाहते हुए मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझ को 'इन्डो-काश्मीर बैक ग्राऊंड' की इसलाह इस्तेमाल कर लेने दें। इन्डो-काश्मीर बैक ग्राऊंड क्या है, वह है काश्मीर और मरकज़ का आयनी सम्बन्ध। काश्मीर और मरकज़ का सम्बन्ध इस वक्त तक जब तक कि आखिरी फैसला इस रियासत का नहीं हो जाता तीन बातों पर खड़ा है।

६ म० प०

पहली बात २६ अक्तूबर सन् १९४६ ई० का वह इन्स्ट्रूमैंट आफ एक्सैशन (प्रवेश-पत्र) था जिस की रू से डिफैंस (प्रतिरक्षा), फौरेन ऐफेयर्स (वैदेशिक मामले) और कम्युनिकेशन्स (संचार) तीन बातें मरकज़ के सुपुर्द की गई हैं और जिस में एक स्तर यह भी अजाफा की गई है कि एक्सैशन की आखिरी तसदीक वहां के रहने वाले अवाम से उस वक्त हासिल की जायगी जब हालात दुरुस्त हो जायेंगे।

दूसरा सम्बन्ध जो जम्मू व काश्मीर और मरकज़ के दरम्यान है उस की बुनियाद

इस मुल्क हिन्दुस्तान के आइन की एक दफा पर है जिस का नम्बर ३७० है। जिस के मुताबिक हिन्दुस्तान की कान्स्टीचूऐंट एसैम्बली ने मुद्दतों गौर करने के बाद यह फैसला किया है कि हिन्दुस्तान का विधान उन तीन बातों के अलावा जो इन्स्ट्रूमैंट आफ एक्सैशन के जरिये मरकज के सुपुर्द की गई हैं जम्मू व काश्मीर पर लागू नहीं होगा। उन तीन बातों के अलावा जो बात भी लागू करनी होगी वह जम्मू और काश्मीर की कान्स्टीचूऐंट एसैम्बली के फैसले के जरिये ही लागू होगी। किसी और जरिये से वह लागू नहीं हो सकती और उस के साथ ही उस धारा की रू से न सिर्फ जम्मू और काश्मीर को एक कान्स्टीचूऐंट असैम्बली बनाने का इख्तियार दिया गया है बल्कि यह भी तसलीम किया गया है कि जम्मू और काश्मीर पर जो विधान लागू होगा वह जम्मू और काश्मीर की वह कान्स्टीचूऐंट असैम्बली बनायेगी। यह दूसरी बुनियाद है मरकज़ और स्टेट के दरम्यान तअलुक की।

तीसरी बुनियाद जो है वह यह है कि आज से पांच छै महीने पहिले जुलाई सन् १९५२ ई० में एक एरेन्जमेंट हुआ जिस को बाज लोग एग्रीमेंट भी कहते हैं। यह वह एरेंजमेंट था जो जम्मू और काश्मीर वह मरकज के दरम्यान करार पाया था और जिस पर इस मुअजिज हाऊस के सामने बहस की गई और बहस करने के बाद इसको एप्रूव (मंजूर) किया गया और फिर वह एरेंजमेंट्स जम्मू और काश्मीर कान्टीस्चूऐंट एसैम्बली के सामने पेश किये गये और लफ्ज बलफ्ज़ जो कुछ यहां अप्रूव हुआ था उस को वहां भी एप्रूव कर दिया गया। जनाब वाला ये तअलुकात हैं जो जम्मू और काश्मीर की स्टेट और हिन्दुस्तान के मरकज़ के दरम्यान खड़े हैं। आज वहां के गवर्नमेंट, वहां की कांस्टीचूऐंट एसेम्बली, और वहां के तमाम इरादे जिस बुनियाद पर काम कर रहे हैं जिसके मुताविक अमल कर रहे हैं वह सिर्फ यही इन तीन बातों पर कायम एक बुनियाद है।

जम्मू और काश्मीर की इन्टरनैशनल स्फीयर में बैकग्राऊंड, जम्मू और काश्मीर की बैकग्राऊंड, इन्डो पाकिस्तान स्फीयर में और जम्मू और काश्मीर की बैकग्राऊंड इन्डो-काश्मीर स्फीयर में, उन तमाम चीज़ों को आज अपने सामने रख लीजिये और इस के बाद आप यह सोचिये कि जिस एजिटेशन के बारे में इतना कुछ हंगामा किया जा रहा है, इस कदर जिस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जिस की तारीफ करते हुए आज और कल इस हाउस के दो बहुत बुजुर्ग तजुरबाकार और काबिल मैम्बरों ने इतना कुछ कहा कि मेरा ख्याल है कि इस से ज्यादा कहना उन के लिये नामुमकिन है, इस एजिटेशन की हिमायत को उन तअलुकात में किस जगह खपाया जा सकता है, कहां बिठाया जा सकता है, क्यों हमारे दोनों भाइयों ने कल और आज यह मुतालबा किया है कि जो लोग ऐजीटेशन कर रहे हैं उन की बात को उन के मुतालबे को कहीं न कहीं एडजस्ट करना चाहिये, और किसी न किसी तरीका से उन की तसल्ली करनी चाहिये। लेकिन जब तक आप यह न सोचें कि उन का वह मुतालबा है क्या, तब तक आप कोई जवाब नहीं दे सकते। इसलिये मैं बताता हूं कि उन का मुतालबा क्या है। उन की तरफ से शाया किया हुआ लिटरेचर, उन की तरफ से किये हुए ऐलान, उन की तरफ से की गई तकरीरें आप के सामने हैं, वह तमाम बातें जो आज लम्बी फैहरिस्तों की शक्ल में यहां बयान की गई हैं, या बयान की जा रही हैं बतौर मुतालया उन को परिषद् वालों ने कहीं टच नहीं किया। मैं यह मानता हूं कि उन का मुतालबा उन का अपना मुतालबा नहीं और वह मुतालबा पिछले ज़माने में नहीं हुआ करता था।

[मौलाना मसूदी]

नया मुतालबा तब शुरू हुआ जब हमारे दोस्त डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज से छै महीने पहले जन संघ की वरकिंग कमेटी से एक रैज़ोल्यूशन पास कराया जिस का लफ्ज़ी मफहूम यह था कि "हिन्दुस्तान का विधान जैसा है वैसे का वैसा लफ्ज़ बलफ्ज़ जम्मू और काश्मीर पर भी लागू कर दिया जाये, नहीं तो जम्मू और लद्दाख को इख्तियार दिया जाये कि वे अलग हो कर जो रास्ता अपने लिये पसन्द करें वह रास्ता अपना लें।" मुझे आज यह सुन कर खुशी हुई कि डाक्टर साहब अपने उस मुतालबे से बाज आ गये हैं। उन्हों ने फरमाया कि "मैं ने उसे वापिस ले लिया है।" अगर सुबह का भूला शाम को घर आजाये तो कहते हैं कि उसे भूला नहीं कहना चाहिये। लेकिन सुबह से शाम तक भूला रहने की वजह से जो दिन उस का जाया हो गया उस का खसारा कहीं न कहीं तो इन्सान को भुगतना ही पड़ता है। भूला हुआ खुद वापिस आजाता है मगर गुजरा हुआ दिन तो वापिस नहीं आता। डाक्टर साहब तो वापिस आये लेकिन उस एक गलत कदम से जिस को वह खुद भी गलत समझते हैं, एक ऐसी खराबी हो गई जिस के नतीजे में वहां उन की हदायत पर चलने वाले मेरे परिषदी दोस्त बहुत ज्यादा गुमरा हो गाये। उन्हों ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ एक उस मुतालबे को सामने रखा है कि 'या तो सारा विधान रियासत पर लागू करो या जम्मू को काश्मीर से काट कर अलग कर दो'। उन के पिछले तीन महीने के तमाम नारे, तमाम कोशिशें 'एक विधान, एक प्रधान, एक निशान' और वह तमाम चीज़ें कि यह नहीं चलेगा या वह नहीं चलेगा इसी एक बात पर मबनी थीं कि या तो सारा विधान वहां लागू कर दिया जाये या जम्मू को काश्मीर से काट दिया जाये। आज डाक्टर साहब फरमाते हैं कि मैं तो इस से बाज़ आ गया हूं, मगर डाक्टर साहब, आप तो बाज आ गये, क्यों कि आप किनारे पर खड़े थे, आप साहिल पर थे लेकिन जिन को एक किश्ती पर बिठा कर आप ने आगे को ढकेल दिया है, लहरों के सुपुर्द कर दिया है उन को भी तो वापिस लाने की कोशिश कीजिये। महज आप के वापिस आ जाने से मुआमिला खत्म नहीं होता। उन को वापिस लाइये ताकि वह भी किनारे पर आ कर मुआमिले को ठंडे दिल से सोचें और जो गलतियां उस वक्त तक कर चुके हैं, जो कुछ उन के मुफाद को और मुल्क के मुफाद को उन की उस गलत एजीटेशन ने नुक्सान पहुंचाया है, उस की कुछ न कुछ तलाफी हो सके। आप ने पिछले अजलास में भी और इस अजलास में भी यह फरमाया कि 'हमारा वहां के एजीटेशन में कोई दखल नहीं' और उधर अभी अभी आप ने यह भी फरमाया कि 'हम उन की हिमायत करने के लिये तैयार हैं।' यह अजब सा मसला है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम उन की हिमायत में सब कुछ करने को तैयार हैं और साथ ही कहते हैं कि हमारा कुछ दखल नहीं, अजीब मासूमियत है।

साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं
कैसा परदा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

तो मैं अदब से अर्ज़ करता हूं डाक्टर साहब से कि यह तो सब आप का किया कराया है, जब मुआमला आप ने खराब किया है तो आप खुद ही दुरुस्त भी कर सकते हैं। आप ने अपनी स्पीचों में जो वहां की गई हैं या बाहर की गई हैं बहुत जोर दिया है वकार के सवाल पर और बार बार आप ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को एक्यूज किया है, मुल्जिम ठहराया है,

बल्कि उस बात के लिये मुल्जिम ठहराया है कि उन के रास्ते में वकार का सवाल आ गया है। डाक्टर साहब आप बुजुर्ग हैं, आप आलम हैं, मैं आप के अकीदतमन्दों में से एक हूं आप की काबलियत का हमेशा मोतरिफ रहा हूं, लेकिन मुझे आप की यह बात समझ में नहीं आई कि जहां तक शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू का तअलुक है उन के सामने वकार का सवाल है। हकीकत यह है कि उन के सामने वकार का सवाल नहीं असूल का सवाल है। असूल तो यह है कि अगर वह सारा विधान लागू करते हैं किसी एक एजिटेटर के कहने से और जो फैसले उस पार्लियामेंट न किए हैं उन को एक तरफ रख कर काम करें तो वह अपनी ज़िम्मेदारियों को सही अंजाम नहीं दे रहे हैं। उन के लिये कहा जायेगा कि उन्हों ने अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तौर पर अंजाम नहीं दिया। अगर वे आप के साथियों का दूसरा मुतालबा मान लेते हैं कि जिस तरीके से हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए उस तरीके से जम्मू और काश्मीर के भी दो टुकड़े हो जायें तो वे उन तमाम असूलों को आज खैरबाद कह देंगे जिन के लिये वे जिन्दगी भर लड़ते रहे हैं। आप भी आज उस की इजाज़त देने को तैयार नहीं हैं कि जम्मू को काश्मीर से जुदा किया जाये, गो छः महीने पहिले आप उस के लिये तैयार हो गये थे। इस लिये साफ जाहिर है कि जहां तक शेख अब्दुल्ला और जवाहर लाल का ताल्लुक है उन के सामने वकार का सवाल नहीं है। गौर तो फरमाइये कि कहीं यह मुआमला दूसरी तरफ तो नहीं है। यह वकार का सवाल कहीं आप को तो पेश नहीं आ रहा है क्योंकि एक तरफ तो आप अली उल ऐलान कहते हैं कि परिषद् की तहरीक गलत है। आप कहते हैं कि जम्मू में जो कुछ हो रहा है उस से हिन्दुस्तान को नुक्सान पहुंच रहा है इस से दुश्मन को फायदा पहुंचेगा, इस से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सवाल को हल करने में नुक्सान होगा, इन्टरनेशन स्फीयर में नुक्सान होगा, यह आप सब कुछ कहते हैं और मानते भी हैं; और दूसरी तरफ आप जो इस एजिटेशन को एक इशारे पर वापिस बुला सकते हैं, वापिस भी नहीं बुलाते हैं, तो अन्दाजा किया जा सकता है कि अगर इस मुआमिला में कहीं वकार का सवाल है तो वह कहां है और किस को है। आप ने इस बात को बार बार कहा है कि हम कोनेशनल मुआमलात में, वतन के मुआमला में और मुल्क के मुआमलात में वकार को सामने नहीं लाना चाहिये। तो आप को यह महसूस होना चाहिये कि यह वकार का सवाल जवाहरलाल और शेख अब्दुल्ला के सामने नहीं है बल्कि यह सवाल जन संघ और महा सभा के सामने है। जिस जुर्रत के साथ आप ने तसलीम फरमाया कि प्रजापरिषद् की बातें कौमी मुफाद को नुक्सान पहुंचानेवाली हैं इसी तरह आप प्रजा परिषद् के ऐजीटेशन के बारे में यह भी फरमा दीजिये कि यह गलत बात है। इस को छोड़ दो। बाकी अगर कोई ऐसी बातें होंगी जिन में असूल के साथ समझौता नहीं करना होगा तो उन के मुतअलक बात करने से कौन इन्कार कर सकता है। एक तरफ हमारी विधान सभा और पार्लियामेंट का फैसला है, एक तरफ दफा ३७० है और एक तरफ इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन है जिस के हम और आप पाबन्द हैं एक तरफ हम और आप इस पार्लियामेंट के फैसले के पाबन्द हैं और दूसरी तरफ जम्मू और कुछ भाइयों की यह आवाज़ है कि हिन्दु विधान की दफा ३७० को तोड़ दो। तो क्या ऐसी हालत में आप यह कहते हैं कि जिन लोगों को आप ने और इस अज़ीम उल्शान हाउस हिन्दुस्तान और काश्मीर की हुकूमत चलाने की बागडोर सौंप रक्खी है, वे इन लोगों के साथ समझौता करें? शायद इसलिये कि यह आप के कहने से गुमराह हुए हैं हमें इन की इज्ज़त है, हमें इन का अदब

[मौलाना मसूदी]

है, हमें बड़ी हमदर्दी है उन की तमाम तकलीफों के साथ, लेकिन आप ही फरमाइये कि असूल के साथ किस हद तक कम्प्रोमाइज़ किया जाये। आप ने मुंजमिला और इरशादात के यह भी फरमाया कि क्यों काश्मीर में अब तक उन बातों को ला कर नहीं किया गया जो मरकज और स्टेट के दरम्यान तै हुई थीं। जहां तक मैं जानता हूं हो सकता है कि स्टेज पर और गैलरी के सामने आप मसलेहतन उस बात को गवारा न करें कि आप साफ साफ एक हकीकत का एतराफ करें। लेकिन यह हकीकत है कि जो कुछ जुलाई सन् १९५२ के फैसले के बाद थोड़ी बहुत बातें होती रही हैं और एग्रीमेंट को अमली शक्ल देने में जो वक्त लगा है उस की तफसीलात आप के सामने हैं। आप से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है ।

एक बात पर आप ने बहुत ज्यादा ज़ोर दिया है; आप ने कहा कि प्रजा परिषद् को कोई बुलाता नहीं, कोई उन की बात नहीं सुनता। डाक्टर साहब, क्या मैं आप को याद दिला सकता हूं कि जिस वक्त हिन्दुस्तान की मरकज़ी हुकूमत के और जम्मू और काश्मीर स्टेट के दरम्यान यह फैसला हो गया था कि आप महाराजा को डिपोज़ कर दिया जाये और उस के बाद युवराज कर्ण सिंह जी को सदरे रियासत मुन्तखिब किया जाय, क्या यह हकीकत नहीं है कि पंडित जवाहरलाल और मौलाना आजाद की कंन्सेंट से और शेख अब्दुल्ला के मशवरे से युवराज कर्ण सिंह जी ने प्रजा परिषद् के सदर और उन के कई दोस्तों को बुलाया, तमाम म आमलात उन के सामने रखे और उन से डिस्कशन किया ? और मैं तो कहूंगा कि बीसों बातों में उन से मशवरा लिया और यह सब कुछ हुआ। उस के बावजूद भी आप की यह शिकायत बाकी है कि उन को बुलाया नहीं जाता तो मैं तो सिर्फ यह ही कह सकता हूं कि या तो आप से वाक्यात और फैक्ट्स पोशीदा रखे जाते हैं या जो बातें आप के खिलाफ जाती हैं उन को आप जाहिर नहीं करना चाहते । और आप के नज़दीक फैक्ट वही है जो आप के माफिक हो। और जो बात आप के खिलाफ है उस को न दुनियां को देखना चाहिये, न जानना चाहिये और न समझना चाहिए ।

डाक्टर साहब मैं आप से इस अमर में मुत्तफिक हूं कि जम्मू और काश्मीर एक हैं, उन को एक रहना चाहिये और जब तक वह एक रहेंगे तभी तक वह हिन्दुस्तान का एक मज़बूत अंग बन सकते हैं, और एक ऐसे मकाम पर अपना फर्ज अदा कर सकते हैं जो बहुत ही मखदोश और बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है लेकिन क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि इसको टुकड़े टुकड़े किस ने किया ।

आप से यह कहा गया है कि फलां जिला बनाने से मुस्लिम पाकिट बन गया और फलां थाना या तहसील बनाने से हिन्दू पाकिट बन गया। जनाब वाला ! मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह महज किस्से और कहानियां हैं, उन में कोई हकीकत नहीं है । वाक्या यह है कि रियासत का एक हिस्सा दुश्मन के कब्जे में चले जाने के बाद और सीज फायर लाईन खिंच जान की वजह से एक ऐसी सूरत बन गई कि एक तहसील आधी इधर रह गई और आधी उधर चली गई । एक तहसील के कुछ गांव एक तरफ आ गाये और कुछ दूसरी तरफ चले गये । अब अगर एक तहसील का एक गांव हमारी तरफ आ जाये तो क्या हम एक गांव से एक तहसील बना लेते या एक ज़िला बना लेते। जम्मू से लेकर गिलगित तक इस तरह से हुआ है । इसलिए हम को नया इन्तज़ाम करने के लिये कुछ रद्दोबदल करना पड़ा । हमें को कुछ हिस्सों को बारामूला

और श्रीनगर में मिलाना पड़ा और इसी तरह सूबा जम्मू में पूंच और राजोरी के हिस्सों को मिला कर एक ज़िला बनाना पड़ा। लेकिन एक बात रही कि जो जम्मू का हिस्सा था वह जम्मू में मिलाया गया और जो काश्मीर का हिस्सा था वह काश्मीर में मिलाया गया। यह नहीं किया गया कि जम्मू के किसी हिस्से को काश्मीर में मिलाया जाता और काश्मीर के किसी हिस्से को जम्मू में मिलाया जाता।

अब रही यह बात कि वहां कुछ इलाके ऐसे [हैं जहां मुस्लिम पापूलेशन ज़्यादा है कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हिन्दू पापुलेशन ज्यादा है। आप को मालूम है कि इस की बुनियाद क्या है। इस की बुनियाद यह है, डाक्टर साहब, कि पूरे सूबे में मुस्लिम पापुलेशन ज़्यादा थी। हर तरफ एक ही किस्म के पाकेट थे। उन में मुसलमान भी बसते थे और हिन्दू भी बसते थे लेकिन एक ताकत आई जिस के बारे में कल बुजुर्ग चटर्जी ने फरमाया कि जम्मू के प्रजा परिषदियों को फिरक़ा-परस्त कह देना एक 'बिग जोक' है। 'बिग' उन्हों ने इस कदर बड़े लफ़्ज़ों में कहा कि पूरे हाल पर लिखा हुआ वह दिखाई देने लगा। उन्हों ने कहा कि यह एक बिग जोक है कि जम्मू और काश्मीर की प्रजा परिषद् को फिरका-परस्त कहा जाये।

मैं उन के साथ झगड़ा नहीं करता। मुमकिन है ऐसा ही हो। लेकिन यह तभी हो सकता है कि नैशनलिस्ट और फिरका परस्त लफ़्ज़ों के जो मानी पिछले १०० साल से आप लेते आये हैं उन में रद्दोबदल हो जाये। बहर सूरत मिस्टर चटर्जी जी के कौल के मुताबिक इस "नैशनलिस्ट पार्टी" ने जिला खतुआ, जिला जम्मू, तहसील ऊधमपुर, तहसील रामनगर और तहसील रियासी में बसे हुए पांच लाख मुसलमानों को, मैं एक वाक्या बयान करने के लिये यह कहता हूं, वरना मैं यह कहूंगा कि पांच लाख इन्सानों को तबाहकिया, कतल किया, मार डाला, और इतना हंगाम मचाया कि जो बचे खुचे थे वह पाकिस्तान की तरफ भाग जाने और पनाह लेने के लिये मजबूर हुए, और इस तरह एक हिन्दू पाकेट तैयार किया गया। यह १९४६ की बात है, यह ठीक है और यह आप को जाहिर ही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस फितने का इन्चार्ज था। लेकिन क्या यह तलख हकीकत आप ने बाकी उन साथियों पर जाहिर की है कि वह प्रेम नाथ, (पर्सनल्ली मैं भी उस की इज्ज़त करता हूं और आप ने उन की तारीफ में बहुत कुछ अरशाद फरमाया वह दुरुस्त हो या गलत) वह प्रेम नाथ संचालक थे उस वक्त वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक थे और आप जानते हैं कि संचालक के क्या मानी हैं। यह वे भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि पांच लाख इन्सानों को ढाई जिलों में से किन हालात में ढकेल कर दुश्मन मुल्क की तरफ भगाया गया। ये सब चीज़ें आप मानते हैं और इस के बाद अगर आप इस पर नाराज़ हों कि हम उन को नैशनलिस्ट नहीं समझते तो हम इस को अपनी समझ का कसूर मानते हुए एतराफ़ करेंगे कि आप दुरुस्त कहते हैं। कोई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि हकीकत को दुनिया के सामने रख दीजिये और फिर कहिये कि यह शेख अब्दुल्ला इतना बुरा इन्सान है कि इस इन्सान को वह फिरका परस्त कहता है जिस ने कल पांच लाख आदमियों को ढाई ज़िलों में से भगा कर बाहिर निकाल दिया और जिन में से चन्द एक हज़ार को कतल कराया। उन की मां और बहनों की वह तबाही कराई जो उस वक्त कई जगह कराई जाती थी। उन में से कई जानें वहां खतम कराईं, और मकान सब के जलवा दिये तो कौन सी बड़ी

[मौलाना मसूदी]

बात हो गई। जायदादें लूट लीं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यह सब बातें आप कह दें और फिर कहें कि ऐसे आदमी को फिरका परस्त नहीं कहना चाहिये तो मैं मान लूंगा और फिरक़ा परस्त नहीं कहूंगा। क्योंकि फिरक़ा परस्त लफ्ज़ पर कोई झगड़ा नहीं है। फिरक़ा-परस्त इन्सानों में भी बड़ी हस्तियां हैं। बड़े बड़े अच्छे ख्यालात की हस्तियां हैं। लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी को फिरका-परस्त कहने के लिए तैयार नहीं हूं जिस के कारनामों में, जिस की हस्ती में इन्सानों के क़तल, खून, बइन्साफियां, सब कुछ लिखा हुआ है। उस को मैं फिरका-परस्त क्यों कहने लगा? फिरका परस्त लफ्ज़ अच्छे अच्छे आदमियों पर भी इस्तेमाल किया जाता है वे चाहे उस को पसन्द करें या न करें।

अभी चन्द महीने हुए जन संघ की और खुद आप की एक तकरीर मैंने पढ़ी थी और महा सभा हमेशा से, मुस्लिम लीग हमेशा से इस 'फिरका-परस्त' लफ्ज़ पर फखर किया करती थी। वह फखर से कहती थी कि हां, हम फिरका-परस्त हैं तो क्या है। क्या हुआ अगर हम हिन्दू हैं फिरका-परस्त हैं? आज एकदम क्यों यह लफ्ज़ इतना मरदूद हो गया है कि हमारे यहां से तो निकाला ही गया था आप के यहां भी इस को जगह नहीं मिलती। खैर, यह थे वजूहात जिन से जम्मू में हिन्दू पाकेट और मुस्लिम पाकेट बन गये।

तो जनाब वाला! डाक्टर मुखर्जी ने फरमाया था कि मामला सिर्फ कान्स्टीट्यूशन लागू करने का ही नहीं है कुछ और सवालात भी हैं। तो मैं ने आप से अर्ज़ किया कि मामले दो ही हैं, मुतालबे दो ही हैं। एक उन का कान्स्टीट्यूशन का है और दूसरा तकसीम का है। यह दोनों मामले इतने असूली हैं कि पहले मामले में सिवाय इस हाउस के और कोई तबदीली नहीं कर सकता। न पंडित जवाहरलाल नेहरू और न शेख अब्दुल्ला। और दूसरे मामले को तो कोई भी तसलीम नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार तसलीम कर के हम ने इस के नतीजे देख लिये। मैं इस मौके पर उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता कि जिस वक्त रियासत जम्मू और काश्मीर की तकसीम हो जायेगी तो बाकी रहेगा क्या, नतीजा क्या होगा, न मैं इस हकीकत की तरफ जाना चाहता हूं कि जितने नारे तक़सीम के लगाये जाते हैं वे सब धोखा है। लद्दाख का नाम भी इस तरह से लिया जाता है कि जैसे वह भी कोई एक मुल्क है, बड़ी भारी दुनिया है, करोड़ों इन्सान उस में आबाद ह, क्या जनाब वाला मैं आप से अर्ज़ कर सकता हूं कि लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट था, जिस की तीन तहसीलों में कुल दो लाख के लगभग आदमी बसते थे? सैंकड़ों मीलों पर वह बिखरे हुए थे। उन में से सवा लाख के करीब बदकिस्मती से गिलगित की तरफ एग्रैसर के कब्ज़े में हैं। बाकी रह जाते हैं ८० हजार आदमी, उन ८० हजार में से कोई तकरीबन ४५ हज़ार मुसलमान हैं। वे एक टुकड़े में रहते हैं और कुछ ३६ हजार के करीब बौद्ध भाई हैं। वे दूसरे टुकड़े में रहते हैं। दोनों टुकड़ों के दरम्यान जो रास्ता है वह १६ दिनों का है। और अगर कोई जाना चाहता है तो बराबर खच्चर पर या पैदल चलते रहने पर सोलहवें दिन एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पहुंचता है। फिर जो ३० हजार के करीब उधर रहते हैं वे भी सारे बौद्ध नहीं हैं। पांच हजार मुसलमान हैं और तीन हजार के करीब ईसाई हैं।

अब इस लद्दाख का नाम ले कर बड़े बड़े ऐलानों में और बड़ी बड़ी सुरखियां दे कर कहा जाता है कि लद्दाख एक अलग थलग सूबा होना चाहिये, खुद मुख्तियार

और आजाद न मालूम क्या क्या । लेकिन मैं आप की इत्तिला के लिये अर्ज करूंगा कि अभी अभी जिस वक्त प्रजा परिषद् की ऐजीटेशन शुरू हुई तो वहां के अक्रेडिटेड लीडर मिस्टर कश्क बकोला ने ऐलान किया कि "लद्दाख को अलग करने के मुतालबे से हमारा कोई तअलुक नहीं है, जब तक काश्मीर हिन्दुस्तान में है लद्दाख काश्मीर में रहेगा।" यह उन का एलान है । खैर, जो भी हो लद्दाख कोई गैर मुसलिम सूबा नहीं है । जम्मू के बारे में भी तो यही कैफियत है । आखिर तकसीम से पहले की अठारह से उन्नीस लाख तक की आबादी में से बारह ग्यारह लाख मुसलमान हैं । क्या महज़ इसलिये कि उन्हें कितना फसाद के वक्त झगड़े कर के स्यालकोट की तरफ ढ़केल दिया, इस वजह से उन के हक्क तबदील हो जायेंगे । यह वह इलाका है जिस को वापिस लेने के बारे में कम से कम मैं और आप सब से ज्यादा मुत्तफिक हैं । और यह हकीकत चाहे और किसी की जबान से न निकलती हो लेकिन मसूदी और मुखर्जी दोनों हमेशा यह कहते रहेंगे कि हम इस इलाके को वापिस ले कर दम लेंगे । और इस इलाके में इस वक्त भी आठ लाख मुसलमान हैं । उन को भी तो आप को वापिस लेना है । उन को वापिस लेने के बाद जम्मू के लिये यह हिन्दू सूबे का तस्सवर कहां बाकी रह जाता है । यह तो उन बेचारे परिषदियों के लिये एक धोखा है ।

यह बेइन्साफी है उन गरीबों के साथ, बल्कि उन के साथ यह ज्यादती की जाती है। इस ऐजीटेशन के मुतअलिक यहां बहुत हंगामा आराई की जाती है । कहा जाता है कि एजीटेशन में यह नुक्सान हुआ इतने कत्ल हुए, यह हुआ, वह हुआ । डाक्टर मुखर्जी की बात पर बहैसियत कोलीग के ही यकीन करता हूं और आप को भी मुझ पर यकीन करना चाहिये । हम दोनों ही इस हाउस के मैम्बर हैं। जनाब मेरा यकीन आप के जरिये है और उन को भी मुझ पर आप के जरिये यकीन होना चाहिये। तो जनाब मैं आप को यकीन दिलाता हूं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इस हाउस में खड़े हो कर । चाहे एक आदमी कत्ल का शिकार हुआ हो या कई हुए हों यकीनन हमें इस के लिये इतना ही सदमा है जितना एक बड़ी तादाद के कत्ल हो जाने लिये हो सकता है । लेकिन तादाद मकतूलों की सिर्फ ग्यारह है, ज्यादा नहीं । और आप ने भी तसलीम किया है कि जो इत्तलाआत आप के सामने एजीटेशन करने वालों की तरफ फैंकी गई हैं उन के पीछे कोई अथारिटी नहीं है । मगर आप ने फरमाया कि जो सरकारी रिपोर्टें हैं उन पर भी आप शुब्हा कर सकते हैं। लेकिन सरकारी रिपोर्टें कम से कम ऐसी तो हैं कि उन के पीछे एक अथारिटी है । और वह सरकार है, जाहिर है कि सरकार से पूछा जा सकता है कि जो कुछ आप की रिपोर्ट में लिखा है वह सच है या झूठ है । लेकिन जो इत्तिलाआत आप के पास पहुंच रही हैं उन की सच्चाई और झूठ किस से दरयाफत करेंगे । मैं आप को बताऊं कि आज कल हो क्या रहा है। अभी चन्द दिन की बात है, शायद एक हफ्ते की, 'प्रताप' अखबार में पहले सफे पर चार कालम की खबर इस बेनर हेड लाइन्स में छपा कि शेख मुहम्मद अब्दुल्ला कहता है कि "मेरी तलवार इस वक्त तक मियान में नहीं जायेगी जब तक मैं इतने करोड़ डोगरा कत्ल न कर डालूं जितने सन् १९४७ ई० में जम्मू के मुसलमान कत्ल हुए हैं" और साथ ही यह कि बख्शी गुलाम मुहम्मद कहता है कि "जैसे कि अपने ज़माने में महाराजा गुलाब सिंह ने लोगों की खाल उतारी थी उसी तरह से मैं भी उतारूंगा।" मैं डाक्टर मुखर्जी से पूछता हूं कि आप ने यह अखबार देखा ?

एक आनरेबुल मैम्बर : कौनसा अखबार?

मौलाना मसूदी : 'प्रताप' अखबार,

[मौलाना मसूदी]

जो कि जन संघ का तरजमान और माऊथ पीस है, तारीख इतवार, ८ फरवरी का और फिर हम से शिकायत की जाती है। डाक्टर साहब ने फरमाया कि वहां सिविल लिबर्टी नहीं है। जनाब वाला! अगर वहां सिविल लिबर्टी नहीं होती तो फिर वहां पंडित प्रेम नाथ और उन के साथी ऐसे तकरीर करते जिन का कोई हिस्सा भी शरम से सर झुकाये बगैर इस हाउस में नहीं दुहराया जा सकता। सिविल लिबर्टी और क्या चाहते हैं कि जलसा हो रहा है और खड़े हो कर कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला का खून चूसेंगे। अगर यह भी सिविल लिबर्टी नहीं तो कैसी होनी चाहिये? आप पूछते हैं कि उन अखबारों को रियासत में जाने से क्यों रोका जाता है। क्या सिविल लिबर्टी के माने यही हैं कि अखबार इस तरहसे बड़े बड़े झूठ बोलें? शायद अब यहां इस सिविल लिबर्टी को गवारा कर सकेंगे। लेकिन शेख अब्दुल्ला एक गरीब आदमी है। छोटे से झौंपड़े में रहता है। वह सिविल लिबर्टीज़ के इस तूफान को नहीं संभाल सकता, इस लिये दरवाज़ा बन्द करने पर मजबूर है। खुद आप ने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि डोगरा कौम जम्मू में एक फौजी कौम है, लड़ाका कौम है, बहादुर कौम है। यहां से अगर कोई चाहता है कि डोगरों को शेख अब्दुल्ला के खिलाफ इश्तआल दिलाये तो क्या शेख अब्दुल्ला इस के लिये दरवाज़ा भी बन्द न करे? एक गरीब आदमी, जो आपकी सिविल लिबर्टीज़ के तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता है, उस को आप इतनी इजाज़त भी नहीं देते हैं कि वह अपना दरदांज़ा ही बंद करके बैठ जायें, कम अज़ कम इतनी इजाज़त तो दीजियेगा। यहां बहुत खूबसूरत अल्फाज़ में डाक्टर साहब ने सारी चीज़ें फरमाईं। फरमाया कि हम को मुहब्बत है शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ; काश्मीर के साथ और वहां की हर एक चीज़ के साथ, लेकिन जनाब वाला। क्या मैं डाक्टर साहब से पूछ सकता हूं कि क्या मुहब्बत का मुजाहिरा वही था जो पांच छः दिन पहले इस नई दिल्ली में कनाट प्लेस से लेकर काश्मीर एम्पोरियम तक जन संघ के जलूस की सूरत में दिखाया गया, जिस में शेख अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मुहम्मद पर गालियां बरसाई जा रही थीं, जिसकी खबरें पाकिस्तान प्रैस ने मजे ले ले कर छापीं और 'डान' ने इस पर जो एडिटोरियल लिखा, उस का अनवान था 'शेख अब्दुल्ला दी डूम्ड'। यह हैड लाइन थी। यह अनवान था। एडिटोरियल खबर का नहीं। आप ने शिकायत की कि बार बार हम को गालियां देते हो। यकीनन डाक्टर साहब अगर कोई गाली दे या कोई सख्त अल्फाज़ कहे तो आप को हक है कि शिकायत करें। आप बुजुर्ग हैं। आप हमें बतायें कि यह अलफाज़ गाली बन जाते हैं और यह अल्फाज़ तारीफ बनते हैं। लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि जन संघ ने जो कुछ यहां किया देहली में जो मुजाहिरा कर के आप का ऐलेक्शन जीता है क्या वह फूल बरसाये जा रहे थे?

डा० एस० पी० मुखर्जी: आप भी तो भाषण देते थे।

मौलाना मसूदी: उन जलूसों के नारे क्या हमारी तारीफ कर रहे थे। हां मैं आप को मुबारकबाद देना भूल गया था आज मैं आप को मुबारकबाद देता हूं कि आप ने एक सीट जीत ली लेकिन डाक्टर साहब मैं आप को कहना चाहता हूं कि प्रजा परिषद् की हड्डियों से।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे कहिये।

मौलाना मसूदी: जनाब वाला! मैं आप के जरिये से डाक्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो सीट जन संघ ने जीती उस पर भी हमारा अहसान है। वह हमारे प्रजा परिषदियों के नाम की हड्डियों से जीती। मुजाहिरा किया गया। नारे लगाये गये

और उस पर चन्द वोट लिये जिस पर वह फखर फरमा रहे थे । क्या यही हथियार हैं ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : हथियार तो आप के हाथ में है ।

मौलाना मसूदी : अगर यही रास्ता है, यही डेमाक्रेसी है, अगर यही वह प्रोग्राम है जिस को लेकर के आप हिन्दुस्तान को लीड कर रहे हैं तो यह हिन्दुस्तान की अवाम का काम है कि वह जज करें इन चीज़ों को ।

एक और बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है आज कल और वह यह कही जा रही है कि जम्मू में एस इजीटेशन को जो मदद मिल रही है वह वहां के इन हालात की वजह से मिल रही है जो अवाम के हालात हैं । और वह माली और व्यापारी लोगों की तकलीफें हैं ।

मैं आप की वसातत से जनाब डाक्टर साहब पर और इस तमाम हाउस पर एक वाक्या जाहिर करना चाहता हूं और वह यह है कि इस रियासत जम्मू और काश्मीर की तरफ से तजारत के जो रास्ते थे उन में से तक-सीम से पहले जो सब से बड़ा रास्ता था वह रावलपिंडी से बारामूला का रास्ता था । दूसरा सिक्यांग से लद्दाख होता हुआ श्रीनगर तक का रास्ता था । एक एबटाबाद की तरफ से मुज़फराबाद होता हुआ काश्मीर को जाता था । एक जेहलम से मीरपुर और पूंछ को जाने वाला रास्ता था । गुजरात के पास से भिम्बर के रास्ते राजौरी को एक और रास्ता जाता था, और एक रास्ता सियालकोट से जम्मू को जाता था । इन तमाम रास्तों से जो माल अन्दर जाता या बाहिर जाता था जम्मू के रास्ते जाने वाले माल का हिस्सा इस में रुपये में चार आने से भी कम था । बाकी इन तमाम रास्तों से माल जाता था । और जब मौजूदा सिचुएशन जो हमले के बाद पैदा हुई उस की वजह से सिर्फ जम्मू का एक रास्ता बाकी रह गया । असल में बाकी तो कोई रास्ता नहीं रहा । लेकिन एक रास्ता हम ने नया बनाया और वह है पठानकोट से जम्मू और तमाम स्टेट में जाने वाला रास्ता । जो एक बाटल नैक और वाहिद तंग दरवाज़ा है जिस के ज़रिये तमाम चीज़ें हिन्दुस्तान से जा कर काश्मीर में तकसीम होती हैं और स्टेट की तमाम चीज़ें जम्मू से हो कर बाहिर जाती हैं । चाहे वह लद्दाख हो, राजोरी हो या पूंछ हो या कोई दूसरी जगह हो आज सब जगह जाने का रास्ता सिर्फ जम्मू से हो कर है । अगर आप थोड़ी देर के लिये यह भी मान लें कि बाहिर से आने वाली चीज़ों की काश्मीर में कुछ कमी हो गई है तो भी मैं आप से पूछता हूं कि और कोई इलाका चिल्लाये तो चिल्लाये लेकिन जम्मू कैसे चिल्ला सकता है । जम्मू एक ऐसी जगह है जो कि इस मौके पर भी ज्यादा से ज्यादा फायदे में रह सकता है । इस के फायदे में रहने से किसी दूसरे इलाके को हसद नहीं है । लेकिन अगर फायदे में रहते हुए भी पोलिटीकल अगराज की खातिर इस तरीके से चिल्लाया जाये तो कम से कम फैक्ट्स को तो फेस करना चाहिये और उन के सामने रखना चाहिये । आज कल सूरत यह है कि अगर रावलपिंडी है तो जम्मू है, जेंहलम है तो जम्मू है, स्यालकोट है तो जम्मू है। यानी अब सिर्फ एक रास्ता जम्मू ही है । ऐसी हालत में जम्मू को कारोबार के मन्दे की जाइज शिकायत कैसे हो सकती है ।

इस के बावजूद एक कमेटी मुकर्रर की गई है जो कि सबसे पहले जम्मू के मामलात पर गौर करेगी और वह सारी तकलीफ पर गौर करेगी । व्यापारियों की अक्सर तकालीफ कंट्रोल की वजह से हैं । कंट्रोल की बीसियों शाखें हैं । कंट्रोल मकान और दूकान के रेंट से लेकर अदना से अदना

[मौलाना मसूदी]

चीज़ तक पहुंचता है । उन सब चीज़ों पर वह गौर करेगी और इस के बाद अपना फैसला देगी । जनाब वाला, यह हालात हैं जो कि मैं इस थोड़े से वक्त में आप के जरिये इस हाउस के सामने रख सका हूं ।

एक लफ्ज़ जनाब मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं । बातें तो बहुत हैं । लेकिन एक जरूरी सी बात है एक्सैशन की । बहुत लोग कहते हैं कि अगर जम्मू के लोगों के दिल में यह इत्मीनान हो जाये कि एक्सैशन यकीनन हिन्दुस्तान के साथ होगा तो फिर यह नारे वादे उन को परेशान नहीं करेंगे । और उन के दिल को तसल्ली हो जायेगी । हजूर वाला ! किसी के दिल को तसल्ली या तो गुज़िश्ता हिस्ट्री से हो सकती है या मौजूदा हालात से हो सकती है । बाकी रह गया आयंदा का जमाना इस के बारे में कोई ऋषि मुनि भी नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है । आज वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिस की वजह से यह खतरा महसूस किया जाता है कि एक्सैशन नहीं होगा । एक्सैशन एक बुनियादी सवाल है । बाकी कौन सा महकमा मरकज़ के साथ में सरैंडर किया जाता है और कौन सा महकमा स्टेट के पास रहता है इस से कोई फर्क नहीं पड़ता । एक्सैशन नाम है लोगों के इरादे का, एक कौम के फैसले का । और ऐसी कौमी फैसले की बैक-ग्राऊंड देख लीजिये । जम्मू और काश्मीर की पिछली बीस साल की सियासत देख लीजिये । वहां की सियासी बैक-ग्राऊंड हमेशा कांग्रेसी बैक-ग्राऊंड रही । लीगी बैक-ग्राऊंड नहीं रही । इबतदा से ही लीग की लीड को जम्मू और काश्मीर ने कबूल नहीं किया । और जनता और नैशनल कानफ्रैंस हमेशा लीगी मुतालबे के खिलाफ रही । और फिर जिस वक्त दुश्मन आ जाता है और हमारे सामने तमाम रास्ते खुले हैं कि हम जिधर चाहें चले जायें । उस वक्त यही सियासी बैक-ग्राऊंड थी जिस ने जम्मू और काश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ रखा और पाकिस्तान के साथ नहीं जाने दिया । जब एग्रेशन हुआ तो कबायली हजारों की तादाद में आकर लोगों के दरवाज़े खटखटाते थे कि चलो पाकिस्तान के साथ, तो किस चीज़ ने उन को पाकिस्तान के साथ जाने से रोका । और पिछले पांच सालों में कोई ऐसा जलसा या कोई ऐसी मीटिंग हुई हो तो बतला दीजिये कि जिस में कौम ने यह नहीं दुहराया हो कि हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं । इतना ही नहीं जम्मू और काश्मीर की नैशनल कांफ्रैंस के सालाना अजलासों और उस के कन्वैन्शनों में पास किये गये मुतालबात आप के सामने हैं । इस की बड़ी बड़ी तजबीजें और रैज्यूल्यूशन आप के सामने हैं । उन को बार बार कौम ने पास किया है । फिर इतना ही नहीं जिस जम्मू और काश्मीर असैम्बली को आप के बरखुरदार और हमारे भाई प्रजा परिषद् वाले मानने को तैयार नहीं हैं, उस असैम्बली के अलैक्शन के मैनिफैस्टों में हिन्दुस्तान के साथ एक्सैशन के इलावा क्या बात थी ? मैं चैलेंज करता हूं प्रजा परिषद् को और किसी दूसरे शख्स को जो कि शक करता हो । हमारा मैनिफैस्टो यही था कि हम को वही शख्स वोट दे जो कि हिन्दुस्तान के साथ एक्सैशन की ताईद करता हो । गो कि यह एक बदकिस्मती थी, कि अगर इस मौके पर किसी ने नैशनल कांफ्रैंस की मुखालफत की तो वह प्रजा परिषद् ने की और किसी ने नहीं की । यह एक बदकिस्मती थी लेकिन यह एक मौका था जब कि कौम ने अपना फैसला दिया । अब कहा जाता है कि अगर कांस्टीचूऐंट एसैम्बली यह रैजोल्यूशन पास कर दे कि जम्मू और काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ एक्सैशन करता है तो उन को तसल्ली हो जायेगी । तो डाक्टर साहब क्या यही आखिरी शर्त

आज ठहरी है ? क्या इसी एक बात पर फैसला होने वाला है ? तो लीजिये वह बात भी कर दी गई है, वह रैजोल्यूशन भी पास कर दिया गया है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह संविधान का भाग नहीं है : फिर तो वह बिल्कुल ठीक है ।

मौलाना मसूदी : यकीनन डाक्टर साहब अभी १८ नवम्बर को जब कि कान्स्टीचूऐंट असैम्बली ने अपना एक स्टैचूट पास किया था, उस के अल्फाज़ यह हैं कि "इस रियासत का सदर यानी सदरे रियासत वह शख्स होगा, जिस को उम्मीदवार के तौर पर क्वालिफाई करने के लिये यह लैजिस्लेटिव असैम्बली चुने और जिस को हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति मंजूर फरमायें और वह उन की मंजूरी के ताबे पांच साल तक अपने औहदे पर रहेगा ।" तो क्या यह हिन्दुस्तान के साथ एक्सैशन नहीं है, पाकिस्तान के साथ एक्सैशन है ? यह कांस्टीचूऐंट असैम्बली का फैसला है या किसी और का फैसला है । यह तो एक स्टैचूट है, यह तो काश्मीर विधान की सब से पहली दफा है । मैं कहता हूं कि इस को काश्मीर और जम्मू की कांस्टीचूऐंट असैम्बली ने पास किया है । एक रैजोल्यूशन की तरह नहीं, बल्कि एक स्टैचूट की तरह, कि सदरे रियासत हिन्दुस्तान के प्रेज़ीडेंट की मंजूरी के ताबे अपने औहदे पर रहेंगे । तो डाक्टर साहब ! क्या फिर भी आप को शक है ?

जनाब वाला ! एक है दुनिया में इत्माद और दूसरा है बे-इत्मादी । सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि इत्माद से इत्माद पैदा होता है और बे-इत्मादी से बे-इत्मादी । इत्माद कीजिये शेख अब्दुल्ला और काश्मीरियों पर । यह तमाम हिस्ट्री जो मैं ने एक्सैशन के बारे में आप के सामने रखी है अगर आप समझते हैं कि यह भी काबिले-तवज्जोह नहीं है तो भी इत्माद कीजिये और देखिये .....

डा० एस० पी० मुखर्जी : अभी जम्मू में डंडा और गोली पर विश्वास कीजिये ।

मौलाना मसूदी : जी हां । डंडा यहां भी चलता है और वहां भी । लेकिन अगर राजस्थान में चलता है तो मैं ने नहीं देखा कि आप ने इस तरह शोर किया हो । अगर किसी और जगह में डंडा गोली चली हो तो आप ने इस के खिलाफ वह हंगामा बरपा किया हो यह मैं ने नहीं देखा जो आज आप काश्मीर के खिलाफ कर रहे हैं । मालूम होता है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है ।

जो जनाब वाला, मैं ने आप का बहुत वक्त लिया है उस का मैं शुकरिया अदा करता हूं । आखिर में मैं इस हाउस से सिर्फ यही अपील कर सकता हूं कि असूलों का नजर अन्दाज़ न करें और इस बैक-ग्राऊंड को नजर अन्दाज न करें जिस के दरम्यान में से काश्मीर इन्टरनेशनल एफेयर्ज़ में, इन्डो-पाकिस्तान एफेयर्स म और खुद इन्डो-काश्मीर ऐफेयर्ज में से गुजर रहा है । यह नहीं होना चाहिये कि एक हाथ से पार्लियामेंट कोई चीज़ हथियार समझ कर शेख अब्दुल्ला के हाथ में देती है तो प्रजा परिषद् दूसरे हाथ से उस को वापिस ले आये । ऐसी चीज़ न हिन्दुस्तान के लिये न पार्लियामेंट के लिये, और न मुल्क के लिये, एक बाइज्ज़ते चीज़ हो सकती है ।

इन हालात में जनाब वाला ! मैं साहब सदर के एड्रैस के बारे में पेश किये हुए इस रैजोल्यूशन की ताईद करता हूं जो शुक्रिया अदा करने के लिये पेश किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : इस वाद विवाद में कई ऐसी बात उठ खड़ी हुई हैं जिन का मुझे उत्तर देना है, अतः दुर्भाग्य है कि मैं खाद्य समस्या पर नहीं बोल

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

सकती यद्यपि, सैंकड़ों सहस्रों व्यक्ति भोजन के अभाव में पीड़ित हैं। मेरे पहले जो नाम-निर्देशित सदस्य बोले हैं, उन का उत्तर तो देना व्यर्थ है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय तो वे अंग्रेज़ों के साथ थे और यहां भी उन्हों ने अंग्रेज़ों की ही बातों को दुहराया है।

मैं उस भारतीय योजना पर बोलूंगी, जिस पर माननीय महिला सदस्या, जो भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधि हैं, यहां बोली हैं। कुछ वर्ष पहले उन्हों ने अमरीका में कहा बताते हैं कि उन्हों ने उस देश को (adopted) अपना लिया है। अब वे उस अपनाये हुए देश की भाषा में बोल रही है "लौह आवरण के देश" और "रूस के पिछ-लग्गू" आदि। यह तटस्थता की आवाज तो नहीं है। इस भारतीय योज़ना के पक्ष में कहा गया है कि "दोनों विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य का यह सच्चा प्रयत्न था।" क्या हम ने अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के समय एबीसीनिया और इटली में सामंजस्य करने का कभी प्रयास किया, कभी ठीक और गलत का समन्वय किया, कभी स्वतंत्रता के योद्धाओं और दमनकारियों में सामंजस्य करवाया? हम सदा स्वाधीनता के सिद्धान्त पर ही अड़े रहे। सोवियत संघ तथा चीन ने तो यही स्पष्ट कहा था "युद्ध बंदियों के विषय में यथापूर्व स्थिति रहे, आइये, युद्ध बन्द कीजिये।" क्या वह हमारी राष्ट्रीय परम्परा के विपरीत था? उस का समर्थन करने से क्या हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती या घटती? अब जनरल आइजन होवर चियांग का समर्थन करने का औचित्य भारतीय प्रस्ताव के आधार पर सिद्ध करता है। भारतीय योजना का यह परिणाम है कि आजन होवर को बहाना मिल गया कि वह सप्तम बेड़े को हटाले और समस्त विश्व को युद्ध की अग्नि में झोंक दे।

भारतीय योजना को अमरीका द्वारा स्वीकृत कराने के लिये उस में ईडन द्वारा प्रस्थापित संशोधन किये गये। युद्धबंदियों का अंतिम निर्णय राजनैतिक सम्मेलन पर छोड़ा जाना था, परन्तु ईडन और अचेसन के संशोधनों के फलस्वरूप उसे संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दिया गया जिस पर अमरीका हावी है। यह मूल संशोधन था। इसी से रूस तथा चीन उसे मान न सके।

७ म० प०

जम्मू तथा काश्मीर के प्रश्न पर मैं कहना चाहती हूं कि कुछ सच्ची शिकायतें हैं कि डोगरा राजपूत, जो राजा की सेना में थे, आज बेकार हैं। उन्हें काम मिलना चाहिये। इन से लाभ उठा कर प्रतिगामी लोग, प्रजा परिषद् आदि, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जिन का असली उद्देश्य महाराज को लौटाना है और भूमि-सुधारों का अंत करना है। सम्पूर्ण एकीकरण का आंदोलन तो दिखावा ही है। परन्तु उस का इलाज गोलियां चलाना नहीं है। उन्हें निवारक निरोध से निकाल कर उन पर मुकदमे चलाइये, उन की पोल खोलिये, लोकतंत्री शक्तियों को मौका दीजिये।

फिर साम्राज्यवादी भी काश्मीर का विभाजन करना चाहते हैं और उसे अपना युद्ध का अड्डा बनाना चाहते हैं। प्रजा परिषद् वाले उन के हाथों में खेल रहे हैं। काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र से वापस ले लेना चाहिये और पाकिस्तान के साथ सीधा तय करना चाहिये।

अब मैं खाद्य समस्या को लेती हूं। राष्ट्र-पति ने कहा है कि खाद्य स्थिति में सुधार है। परन्तु वास्तव में लाखों व्यक्ति भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि अन्न का भंडार है परन्तु उसे खरीदने के लिये लोगों के पास पैसा नहीं है। इसी कारण राशन की दुकानों से

निकासी कम हो गई है। लोग गेहूं चावल नहीं खरीद सकते, इसलिये अब वे ज्वार बाजरा आदि सस्ता अनाज मांगते हैं। ग़रीब किसान निर्धनता के कारण अपनी भूमि बेच रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हस्नाबाद में १९५० में ४९०० भूमि खंडों का हस्तांतरण हुआ, १९५१ में ८००० का हुआ और १९५२ के छः मासों में ६००० का हुआ। तीन वर्षों में २८००० बीघा भूमि तो बिक ही गई होगी।

इस क्रय-शक्ति की कमी का कारण ऊंचे भाव हैं। चाहे खुले बाज़ार के भाव गिरे हों, परन्तु चोर बाज़ार के भाव तो बढ़े ही हैं। बिक्री कम होने के कारण सस्ते भावों की दुकानें बन्द की जा रही हैं, परन्तु उन के बन्द होते ही भाव फिर बढ़ जायेंगे। हैदराबाद के बाबू खां ने चीनी का भाव १=) कर दिया था जब कि वह बाजार में १।) था। जब सरकार ने अपना सारा स्टाक उसे बेच दिया तो उस ने भाव १।=) कर दिया। शायद इसी बाबू खां को उद्योग वित्त निगम से ४० लाख रुपये का ऋण भी मिला था। पूंजीपति ऐसा ही करते हैं।

मद्रास विधान मंडल में यह स्वीकार किया गया है कि तंजोर में भाव ११।) से बढ़ कर २७) हो गये हैं। अनेक अन्य स्थानों पर भी यही हाल है। अनाज वसूली में भी अधिक वसूली छोटे किसान से ही की जाती है। रामेश्वरपुर संघ के बेलारी स्थान पर ३० बीघे वाले किसानों से ३३ मन की वसूली की गई, जब कि १,१०० बीघे वाले जमींदारों से केवल ११० मन की वसूली की गई

अतः राष्ट्रपति का यह कथन कि स्थिति सुधर रही है मिथ्या संतोष भावना है जिस से हानि होगी।

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलिचेरी): भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्संगठन के विषय में राष्ट्रपति की वक्तृता अस्पष्ट है। कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। केवल आंध्र के विषय में कुछ कार्यवाही करने का संकेत है परन्तु वह भी पूरा भाषावार राज्य नहीं होगा। जब तक कि हैदराबाद के तेलुगु-भाषी क्षेत्रों को उस में सम्मिलित न किया जाये। हमारे प्रधान मंत्री हैदराबाद के निज़ाम को राजप्रमुख के पद से हटाने के अनिच्छुक हैं। भारत में उसे कौन चाहता है, केवल वह निज़ाम स्वयं और हमारे प्रधान मंत्री दो ही चाहते हैं कि निज़ाम राजप्रमुख रहे। निज़ाम की गति काश्मीर के युवराज तथा राजप्रमुख जैसी होनी चाहिये परन्तु प्रधान मंत्री को दो व्यक्तियों का बहुत ख्याल है—निजाम का और शेख अब्दुल्ला का। प्रधान मंत्री हैदराबाद तथा काश्मीर के विषय में पृथक पृथक सिद्धान्तों पर चल रहे हैं। वे कहते हैं कि हैदराबाद के विघटन से दक्षिण का संतुलन बिगड़ जायेगा। वास्तव में उस से केवल उस अनचाहे राजप्रमुख निज़ाम का ही संतुलन बिगड़ेगा। हैदराबाद के तीन भागों में प्राकृतिक भाषावार विभाजन से और कोई संतुलन नहीं बिगड़ेगा।

कांग्रेस के संकल्प में कहा गया है कि हम आंध्रराज्य के स्थिर होने तक ठहरें परन्तु जब तक सभी तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र में नहीं आते तब तक उस का स्थिर होना भी एक समस्या हीरहेगी। उस से अन्य भाषावार प्रान्तों के गठन का उचित अनुमान कैसे लग सकता है? यदि अन्य भाषावार राज्य नहीं बनाये जायेंगे तो वहां भी आन्ध्र समान विद्रोह की भावना फैल सकती है। मौलाना आज़ाद ने मुगल सम्राटों के समान भषावार प्रान्तों के समर्थकों को धमकी दी, परन्तु स्वतंत्र तथा लोकतंत्रीय देश में ये बातें नहीं जचतीं। जो लोग भाषायी प्रान्तों का समर्थन करते हैं उन्हें अपने स्थानों से हटाया जा रहा है। केरल से दो सदस्य कांग्रेस कार्य समिति में केवल इसी कारण लिये गये

[श्री एन० पी० दामोदरन]

हैं कि वे भाषावार प्रान्तों का चिर-विरोध करते हैं।

यह कहा जाता है कि भाषावार राज्यों के निर्माण से बल्कान जैसी स्थिति हो जायेगी। यह उल्टी बात है। भाषावार राज्यों के निर्माण से तो भारत का सच्चा एकीकरण हो जायेगा। उससे राज्यों की सीमाओं में हेर फेर ही तो होना है। यदि मद्रास के मलयालम भाषी क्षेत्र तिरुवांकुर-कोचीन में मिला कर 'एक्य केरल' बना दिया जायेगा तो उस से एकीकरण ही होगा, विखंडन नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषाण में भारत में विदेशी बस्तियों की कोई चर्चा नहीं है। उन बस्तियों को अब सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि उन से भारत की सुरक्षा को जोखम है। लंका के भारतीयों के प्रति भी अभिभाषण में कोई सहानुभूति का शब्द नहीं है। उन्हें नागरिकता के अधिकार नहीं दिये जाते, राशन भी नहीं दिया जाता। छोटा सा पड़ौसी राज्य भारत को डंडा दिखाये यह आश्रेय की बात है।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मेरे से पहले जो साम्यवादी सदस्या बोली हैं उन्होंने कहा था कि कांग्रेसी सदस्या श्रीमती विजय लक्ष्मी संयुक्त राज्य अमरीका की 'दत्तक पुत्री हैं। परन्तु मैं साम्यवादी सदस्या से पूछना चाहता हूं कि क्या वे भी जाने या अनजाने, किसी अन्य देश की दत्तक पुत्री हैं—शायद सोवियत रूस की या चीन की। मैं चाहता हूं कि भारत की पुत्रियां किसी अन्य देश की दत्तक पुत्रियां न बनें।

साम्यवादी दल के नेता श्री मुखर्जी ने कहा है कि हमारे प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति में कोई वास्तविकता नहीं है। परन्तु उन की अपनी वक्तृता भी कोई वास्तविकता नहीं थी, वे तो किसी विदेशी अभिकरण से सीखी हुई बातें कह रहे थे।

मैं प्रधान मंत्री की विदेश नीति का सदा समर्थन करता रहा हूं। भारत की सुरक्षा के हित में कोई अन्य नीति हो ही नहीं सकती। हो सकता है हमसे रूसी भी अप्रसन्न हों और चीनी भी, और अमरीका तथा ब्रिटेन भी हमें पसद न करते हों, परन्तु हमारी नीति स्पष्ट तथा ईमानदारी की है। हम उसे ठीक समझते हैं और हम ने अब तक अपने आत्म-सम्मान की रक्षा की है

एशिया के देशों को अपनी स्वतंत्रता को मज़बूत बनाने के लिये समय चाहिये। यदि बर्मा, हिन्देशिया और मध्यपूर्वी देश मिश्र आदि भविष्य में किसी गुट की ओर से युद्ध में शामिल हो जायेंगे तो वे अपनी स्वाधीनता खो बैठेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एशियाई देश स्थिर हो जायें, वे किसी विदेशी, किसी श्वेतांग या रूसी के चक्कर में न पड़ें। हम चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल कराना चाहते हैं। यदि फिर कभी अमरीकी चीन की मुख्य भूमि पर उतर जायेंगे तो उस की स्वाधीनता जोखम में पड़ जायेगी। और सम्पूर्ण एशिया की स्वतंत्रता को भी पुनः संकट उत्पन्न हो जायेगा। प्रधान मंत्री को यही आशंका है।

भाषावार प्रान्तों का मैं कभी समर्थक नहीं था और १६४६ या १६४७ में मैं ने इस विषय पर एक प्रबन्ध भी लिखा था भाषावार प्रान्तों से वही पुरानी जाति-व्यवस्था पुनः भयानक रूप में स्थापित हो जायेगी। उस से देश के निर्बल वर्गों के दमन के लिये सम्प्रदायवाद का भी उदय होगा। आंध्र लोग कहते हैं "हम विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, हम अब पुनः शासक बनना

चाहते हैं।" क्या यह प्रगतिशील विचारधारा है? हां, केरल तो भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से मलाबार सहित अच्छा एकक बन सकता है। परन्तु वह भाषावार राज्य नहीं है। भारत को प्रशासन की दृष्टि से छोटे छोटे एककों में बांट देना चाहिये।

काश्मीर तथा जम्मू में जन संघ और प्रजा परिषद् के आन्दोलन का क्या उद्देश्य है? क्या पंडित नेहरू या शेख अब्दुल्ला काश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं? कुछ एकीकरण तो हो चुका है और अग्रेतर एकीकरण भी हो जायेगा; हम सभी काश्मीर को रखना चाहते हैं। और उसके लिये हम ने वहां के लोगों को वचन भी दिया है। अतः यह आन्दोलन केवल प्रतिगामी ही है। वहां दो सौ वर्षों तक हिन्दू अल्पसंख्यकों का शासन था। अब वहां मुस्लिम शासक हैं जो बहु संख्या में हैं। अब पुराने शासकों, प्रतिगामी लोगों के पक्ष में लोग आंदोलन चलवा रहे हैं क्योंकि उन का प्रभाव अभी शेष है।

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में कोई लोकतन्त्र का तत्व नहीं है। प्रत्येक हिन्दू की रग रग में जातिवाद समाया हुआ है। डा० खरे कहते हैं कि भारत में मौलाना आज़ाद का शासन है। मुस्लिम भारत में लोकतन्त्रीय शक्ति हैं, मैं उन्हें भारत से निकालना नहीं चाहता। वे करोड़ों उत्पीड़ितों, अछूतों के लिये लोकतन्त्रीय शक्ति ह। हिन्दू समाज में लोकतंत्रीय भावना का नाम भी नहीं है। अतः मुस्लिम देश के लोकतंत्रीय सामाजिक ढ़ांचे में ारी अंशदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लोकतन्त्रीय प्रयास का विरोध करना भारत में फासिज़म को बुलाना है। साम्यवादियों और सम्प्रदायवादियों में कोई अंतर नहीं है। साम्यवादी भारत में सबसे अधिक सम्प्रदायवादी हैं। निर्वाचनों में हम ने उन का समर्थन किया जिससे कि वे सफल हो गये। परन्तु हाल ही के नगरपालिका निर्वाचनों में क्या हुआ? वे सम्प्रदायवादी हैं, अतः उन्हों ने अपने सम्प्रदायवाद का नग्न प्रदशन कर दिया। जब तक साम्यवादी अपनी शुद्धि नहीं करेंगे तब तक उन के लिये भारत में कोई स्थान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य चर्चा समाप्त हो गई है और कल प्रश्नोत्तरों के पश्चात् मैं सभा-नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू को उत्तर देने के लिये कहूंगा और फिर संशोधनों पर मत लूंगा।

इसके पश्चात सदन की बैठक बुधवार, १८ फरवरी, १९५३ को दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।